संख्या : एच.एस.सी.एल/एजीएम/46/2010

## सूचना

सेवा में,

**सभी सदस्यगण**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 46वीं साधारण वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2010 को 11.00 बजे कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय 5/1, कमीसेरियट रोड, हेस्टिंग्स, कोलकाता 700022 में निम्नलिखित कार्यसम्पादन के लिए होगी :

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक मंडल के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उन्हें अभिस्वीकृत करना।
2. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षित लेखाओं, तुलन पत्र और लाभ व हानि व्योरा तथा उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, उन पर विचार करना एवं उन्हें अभिस्वीकृति प्रदान करना।

**विशेष कार्य :**

1. एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समोचित संशोधन या संशोधन के बिना पारित करना :

   "पारित किया गया है कि श्री एस.बी. मिश्रा, जो क्रमवार से सेवानिवृत्त हुए और फिर से नियुक्ति के पात्र है को फिर से कम्पनी के अंशकालिक अधिकरीक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तथा उनके कार्यालय की अवधि का निर्धारण निदेशकों की क्रमवार सेवानिवृत्ति के हिसाब से होगा"।

2. एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर अनुरुप सोचे तो संशोधन या संशोधन के बिना पारित करने के लिए :

   "पारित किया गया है कि धारा 224 (8) (एए) की धारा 619 के साथ पठित के अनुसार और अन्य सभी प्रावधान, यदि कोई है तो कम्पनी अधिनियम, 1956 की (कम्पनियों के रूप में कम्पनियों द्वारा संशोधित (संशोधन) कानून 2000), वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये हुए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए लेखा परीक्षण कार्य की पारिश्रमिक और जेब खर्च के बाहर के अन्य प्रतिपूर्ति और नियम और शर्तें तय करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल को मान्यताप्राप्त है"।

निदेशक मंडल के आदेश से

**कृते हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड**

ह./- **विनीता बच्छावत**

**कम्पनी सचिव**

दिनांकः- 3 सितम्बर 2010

स्थानः- कोलकाता

**नोट**

1. कोई भी सदस्य, जिसे बैठक में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त है, अपने बदले प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए भेज सकता है और प्रतिनिधि के लिए आवश्यक नहीं कि वह कम्पनी का सदस्य हो।
2. कम्पनी अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार, अल्पकालीन सूचना देने एवं बैठक की तारीख से न्यूनतम 21 दिनों पहले तुलन पत्र और उससे संबंधित कागजात, लाभ व हानी लेखा, निदेशकों/लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन आदि वितरित करने की सम्मति अंशधारियों से ले ली गई है।

# कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 173(2) के तहत व्याख्यात्मक बयान

**विषय सं. 1**

कम्पनी संघ के लेख के अनुच्छेद 66 का उल्लेख है कि अन्य सभी व्यापार लेन देन में प्राप्त करने के लिए और लाभ और हानि खाता, तुलन पत्र और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार, और लाभांश घोषित करने के अलावा आम बैठक में यदि कोई हो तो वह विशेष कार्य के रूप में होगा।

अनुच्छेद 96(च) और कम्पनी धारा 255 और 256 के संबंधित प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 1956, के तहत कम्पनी के एक तिहाइ अंशकालिक अधिकरीक निदेशक क्रमवार से सेवानिवृत्त करने के भागी हैं। इस तरह के निदेशक पुनर्नियुक्ति के पात्र हो जाएगें। श्री एस.बी. मिश्रा जो अकेले अंशकालिक कम्पनी के निदेशक हैं और क्रमवार से अवकाश ग्रहण करने वाले हैं को पुनः अंशकालिक अधिकरीक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। श्री एस.बी. मिश्रा, को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्ताव में रुचि नहीं रखते हैं। सुचना में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित घोषणा अनुसंशित है।

**विषय सं. 2**

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अनुसार, एच.एस.सी.एल. के सांविधिक लेखा परीक्षकों को, एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त किए गये है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 8 (एए) धारा 224 के अनुसार एक नियुक्त लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार कम्पनी के आम बैठक में तय किया जाएगा या इस तरह जैसा कम्पनी के आम बैठक में निर्धारित करते हैं।

वितीय वर्ष 2010-2011 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स एस.एन. मुखर्जी एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एस.के. भट्टाचार्य एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किए गये है। वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक और जेब खर्च के बाहर के अन्य प्रतिपूर्ति को तय करने के लिए आवश्यक संकल्प सदस्यों के सामने निदेशक मंडल को अधिकृत करने के लिए रखा गया है। निदेशकों में से कोई भी प्रस्ताव में रुचि नहीं रखते हैं। सुचना में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित घोषणा अनुसंशित है।

निदेशक मंडल के आदेश से
**कृते हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड**

ह./- **विनीता बच्छावत**
**कम्पनी सचिव**

दिनांक:- 3 सितम्बर 2010
स्थान:- कोलकाता

## दस वर्ष - एक झलक

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राधिकृत पूंजी | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| चुकता पूंजी | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 |
| ऋण | | | | | | | | | | |
| - भारत सरकार से | 276.76 | 370.20 | 435.31 | 439.31 | 514.20 | 518.20 | 546.64 | 546.64 | 546.64 | 549.64 |
| - बैंक से वी.आर.एस. के लिए | 252.32 | 318.36 | 518.36 | 518.36 | 518.36 | 518.36 | 218.36 | 518.36 | 518.36 | 518.36 |
| परिचालन से आय | 247.57 | 250.37 | 266.46 | 295.60 | 313.94 | 341.21 | 423.83 | 513.55 | 706.41 | 785.17 |
| अन्य आय | 9.59 | 5.84 | 10.49 | 11.35 | 8.37 | 8.59 | 9.50 | 12.63 | 14.85 | 15.18 |
| **कुल आय** | 257.16 | 256.21 | 276.95 | 306.95 | 322.31 | 349.80 | 433.33 | 526.18 | 721.26 | 800.35 |
| परिचालन लाभ | -79.76 | -32.57 | 3.90 | 18.40 | 28.68 | 30.96 | 30.17 | 40.21 | 64.63 | 69.09 |
| ब्याज | 6.42 | 11.31 | 22.59 | 36.74 | 51.13 | 69.82 | 82.91 | 30.68 | 65.21 | 100.65 |
| वी.आर.एस पर व्यय | 83.06 | 95.35 | 114.88 | 67.61 | 69.50 | 35.62 | 26.30 | 7.59 | 3.35 | 1.66 |
| शुद्ध लाभ/हानि | -172.55 | -142.08 | -136.35 | -88.50 | -94.21 | -85.97 | -83.50 | -26.72 | -6.88 | -54.59 |
| शुद्ध मूल्य | -730.10 | -864.47 | -1035.20 | -1070.24 | -1108.84 | -1164.49 | -1226.87 | -1248.86 | -1252.88 | -1305.81 |
| कर्मचारियों की संख्या | 7302 | 5897 | 2771 | 2394 | 1924 | 1843 | 1612 | 1480 | 1248 | 1007 |
| आर्डर बुकिंग | 201.00 | 233.00 | 305.00 | 513.00 | 521.00 | 430.00 | 781.00 | 940.00 | 871.00 | 1036.00 |

# निष्पादन विवरण

## कुल आय

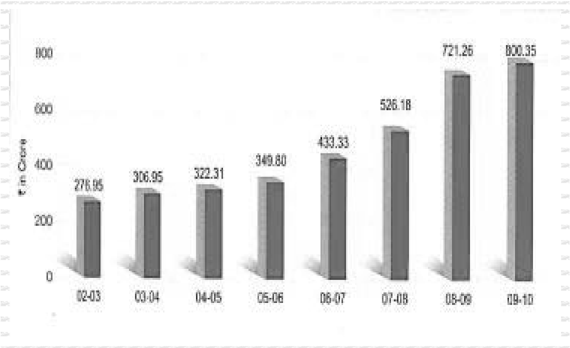


## आर्डर बुकिंग

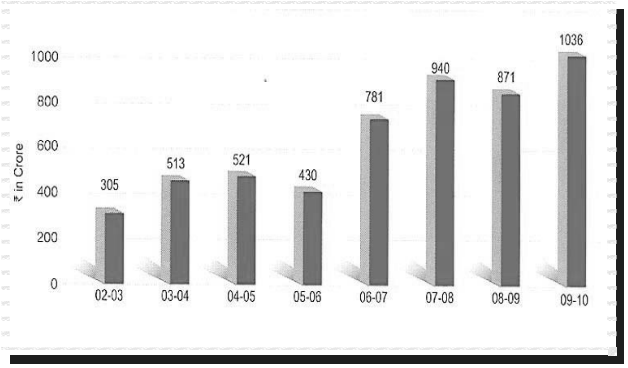


## आय प्रति कर्मचारी

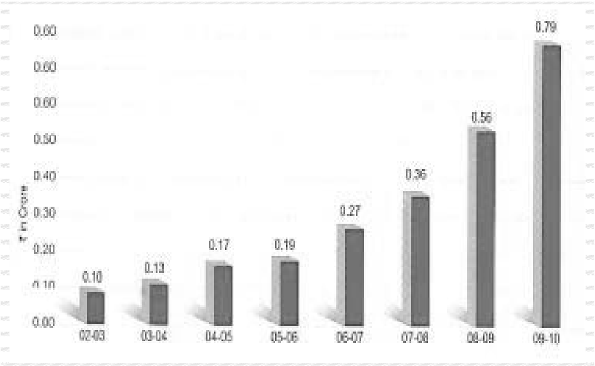


## परिचालन लाभ

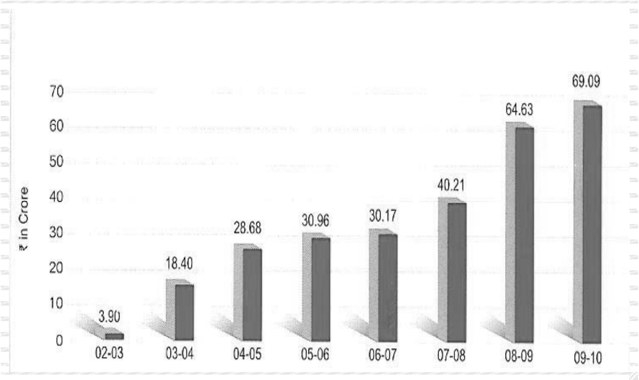

# निदेशक मंडल

श्री मलय चटर्जी

डॉ. दलीप सिहं, भा.प्र.से

श्री अभिजित घोष

श्री एस.बी मिश्रा

श्री जे.पी. शुक्ला

# निगमित सूचना

## हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

**पंजीकृत कार्यालय**

पी-34 ए गरियाहाट रोड (साउथ) कोलकाता – 700031

**प्रधान कार्यालय**

5/1, कमिसेरियट रोड, हेस्टिंग्स, कोलकाता – 700022

**निदेशक मंडल**

**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

श्री मलय चटर्जी (01.09.2010 से)

**निदेशक (वित्त)**

श्री अभिजित घोष

**निदेशकगण**

डा. दलीप सिहं, भा.प्र.से

श्री जे.पी. शुक्ला (30.4.2009 से)

श्री एस.बी. मिश्रा (27.10.2009 से)

श्री पार्थसारथी के. (30.4.2009 तक)

श्रीमती इंद्रानी कौशल (29.4.2009 तक)

श्री व्ही. के. श्रीवास्तव (27.10.2009 तक)

श्री आर. रामाराजू (31.03.2010 तक)

**कम्पनी सचिव**

विनीता बच्छावत (16.3.2010 से)

**लेखा परीक्षक**

मेसर्स एस.एन. मुखर्जी एण्ड क०
चार्टर्ड लेखापाल
1 बी ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001

मेसर्स एस.के. भट्टाचार्या एण्ड क०
चार्टर्ड लेखापाल
एई - 23, सेक्टर – I,
2 रा तल
साल्ट लेक सीटी
कोलकाता – 700064

**मुख्य बैंकर्स**

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, विजया बैंक, एक्सीस बैंक, इण्डियन बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक

# अध्यक्ष का भाषण

प्रिय अंशधारियों,

वर्षों से अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन द्वारा एच.एस.सी.एल. ने भारत में इस्पात और संरचनात्मक विकास में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। अब तक की हमारी यात्रा चुनौतियों से भरी रही जिसपर हमने अपनी विशिष्टता और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा काबू पा लिया है। आगे हमारे रास्ते में बड़ी से बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं जो उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता में हमारी दक्षता की परीक्षा होगी। मुझे यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2009-10 एच.एस.सी.एल. के लिए एक और सफलतापूर्ण वर्ष रहा। कम्पनी ने अपने टर्नओवर में प्रगतिशीलता प्रदर्शित की है। इसने रु. 800.35 करोड़ टर्नओवर की कीर्तिमान दर्ज की है जो 2008-09 की तुलना में 11% या रु.79.09 करोड़ की वृद्धि है।

वर्ष 2009-10 के दौरान देश का समग्र औद्योगिक परिदृश्य उत्साहवर्द्धक रहा। ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत सरकारी अनुमोदन से 47,000 कि.मी. होने वाले राजपथ निर्माण से संरचनात्मक क्षेत्र में 12% तक की विकास सुनिश्चित है। सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों के साथ ही साथ विविध संरचनात्मक क्षेत्रों की क्षमता सम्बर्द्धन कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं से हमारी आय में उल्लेखनीय अनुपात में वृद्धि हुई है। एच.एस.सी.एल. ने इस्पात, ऊर्जा, रेलवे, आपदा प्रबंधन और संरचनात्मक विकास जैसे सभी क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रारम्भ की है और राष्ट्रीय विकास में व्यापक और महत्वपूर्ण सहयोगिता की। इन क्षेत्रों में हाल की रुझान ने हमें अपने देश के लिए नए एवं बेहतर संरचना निर्माण में अपनी सक्षमता को बढ़ाने में मदद की है।

एच.एस.सी.एल. अति उत्साह और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि व्यवसायिक सुअवसरों को बढ़ाने के लिए हमने अपने मानवशक्ति का व्यवसाय की मांग के अनुरूप तैयार कर लिया है। कम्पनी आधुनिक तकनीकी और ज्ञान से युक्त और अधिक ऐसे युवा पीढ़ी की तलाश में है जो रोज की चुनौतियों का सामना करने और संकट की घड़ी में कम्पनी को उबारने में सक्षम हो। कोसी आपदा प्रबंधन परियोजना से संबंधित कुसहा (नेपाल) में बांध का बहाव और दरार को बंद करने का निर्माण कार्य में कम्पनी को "उत्कृष्टता का प्रमाणपत्र" मिला है। यह अपने आप में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना थी क्योंकि वर्ष 2008 के दौरान कोसी नदी के तट पर स्थित सुपौल, मधेपुरा और सहरसा का विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाने से उस क्षेत्र के 30 लाख स्थानीय निवासी असहाय हो गये थे। भारत की संरचनात्मक निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान के लिए कम्पनी को इस्सार इस्पात ने ई 18 और सी एन बी सी टी व्ही 18 के साथ संयुक्त रूप से "सम्मान प्रमाणपत्र" प्रदान किया है।

सभी अंशधारियों की उन्नति और समृद्धि को दीर्घावधि आधार पर कायम रखने के लिए कम्पनी सर्वोच्च नैतिक मानकों के साथ व्यवसाय संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान के सभी स्तरों पर विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और युक्तिसंगत व्यवसाय निर्णयों द्वारा कम्पनी अपनी सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सच्चे दिल से प्रयास कर रही है।

कम्पनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में मैं श्री एस.बी. मिश्रा का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है वे अधिकारी वर्ग के सर्वोच्च पद पर पिछले लम्बे समय तक रह कर जो विपुल अनुभव और दक्षता अर्जित की है उससे वे वोर्ड को मजबूती प्रदान करेंगे तथा भविष्य में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों के लिए कम्पनी को परिचालित करेंगें।

आने वाले दिनों में सरकार और सरकारी संस्थानों सहित इस्पात और संरचनात्मक क्षेत्रों में होने वाले बड़े पैमाने पर निवेशों की मैं उम्मीद करता हूँ। कम्पनी के लिए नए सुअवसर उत्पन्न करने के अलावा ये निवेश कम्पनी को निर्माण उद्योग की पराकाष्ठा पर बने रहने में मदद करेगी।

कम्पनी हमेंशा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रिया कलापों में सक्रिय रूप से सहभागिता करती रही है और आगे इसी प्रकार के और अधिक कार्यों द्वारा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और आधारभूत संरचनात्मक सुविधा प्रदान कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की योजनाएं बनाई हैं।

निगमित नियमन मार्गदर्शनों का संभावित बेहतरीन तरीके से अनुपालन किया गया है और स्वतंत्र निदेशकों के अधिष्ठापन के साथ कम्पनी इसे समग्र रूप में क्रियान्वित करने की योजना बना रही है।

इस अवधि के दौरान सभी स्तरों पर अपनी महत्व और मान्यता का एहसास दिलाते हुए कम्पनी विभिन्न ग्राहकों के पास विशेषकर संरचनात्मक क्षेत्रों में पहुँच चुकी है। अपनी तमाम गौरवपूर्ण अतित का स्मरण दिलाते हुए सिविल और मेकानिकल इंजीनियरिगं क्षेत्रों में अपनी दक्षता के साथ कम्पनी अति अल्प समय में एक आकर्षक और शक्तिशाली कम्पनी बन कर उभरी है।

मैं बोर्ड में अपने सदस्य निदेशकों के प्रति उनके अथक और समर्पित सहयोग के लिए आभारी हूँ। मैं एच.एस.सी.एल. के प्रत्येक अंशधारियों को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा जिनकी आस्था और विश्वास ने हमें अपनी सभी प्रयासों में प्रेरित करती रहीं हैं। मैं अपने सभी ग्राहकों, व्यवसाय सहयोगियों और कर्मचारियों को उनकी अत्यधिक निष्ठा के लिए धन्यवाद देता हूँ। डा. दलीप सिहं, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय को उनके उत्साहवर्द्धक सहयोग और समय-समय पर उनके विवेकपूर्ण सलाह के लिए विशेष शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है क्योंकि उनकी सलाह और प्रोत्साहन के वगैर हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाते। सबसे बढ़कर मैं भारत सरकार, विशेषकर इस्पात मंत्रालय को कम्पनी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक सहयोग और दूरदर्शिता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं वादा करता हूँ हम अपनी सभी प्रयासों में सम्पूर्णता हासिल करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोडेंगें एवं ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि यह एक अग्रणी केन्द्रीय सरकारी संस्थान के रूप में बन कर उभरे एवं इस्पात और संरचनात्मक क्षेत्रों में कम्पनी का नाम प्रतिष्ठा से ली जाए।

सधन्यवाद

मलय चटर्जी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

# निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय,
अंशधारीगण,
हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड

सज्जनों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन, जाँच किए गए हिसाब किताब का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और उसके साथ–साथ भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की समीक्षा एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

**1. वित्तीय समीक्षा –**

पिछले तीन वर्षों में कम्पनी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही :-

₹ करोड़ में

| | | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | व्यापारावर्त | 800.35 | 721.26 | 526.18 |
| 2 | श्रमशक्ति लागत | 18.26 | 17.29 | 19.90 |
| 3 | प्रशासनिक व्यय | 15.62 | 17.64 | 10.85 |
| 4 | परिचालन लाभ | 69.09 | 64.63 | 40.21 |
| 5 | सेवानिवृत्ति लाभ | 18.60 | 0.39 | 2.55 |
| 6 | ह्रास मूल्य | 2.80 | 2.77 | 2.44 |
| 7 | सरकारी ऋण पर ब्याज | 98.34 | 63.54 | 29.63 |
| 8 | अन्य ब्याज और वित्तीय प्रभार | 2.31 | 1.67 | 1.05 |
| 9 | आस्थगित राजस्व व्यय | 1.66 | 2.96 | 5.04 |
| 10 | असामान्य व्यय | - | - | # 23.90 |
| 11 | अन्य मद.... | - | - | 2.19 |
| 12 | आस्थगित कर एवं एफ.वी.टी. | -(-)0.03 | 0.18 | 0.13 |
| 13 | शुद्ध हानि | **(54.59)** | **(6.88)** | **(26.72)** |

\# लीबिया परियोजना पर हानि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उल्लेखनीय रूप में कम्पनी की वित्तीय स्थिति में चौतरफा सुधार हुआ है। कम्पनी का व्यापारावर्त प्रगति के रुख को दर्शाती है। वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में यह 11% प्रतिशत या ₹ 79.09 करोड़ तक बढ़ी। वर्ष के दौरान 2008-09 में शुद्ध हानी ₹6.88 से बढ़ कर ₹ 54.59 करोड़ हुइ है, जो सरकारी ऋण पर ब्याज में वृद्धि के लिए ₹ 189.93 करोड़ के गैर योजना पर ब्याज, प्रोद्भवन पर स्थगन की

समाप्ति के कारण ऋण और उपदान की दिशा में अतिरिक्त प्रावधान करने के कारण हुई है। कम्पनी की जनशक्ति लागत थोड़ा बढ़ कर ₹ 18.26 करोड़ हुई है जो प्रतिबन्धित महंगाई भत्ता को चालू करने के कारण हुई है ।

कम्पनी के नकद में भी 31 मार्च 2010 तक सुधार हुआ है । कम्पनी की कार्यशील पूंजी बढ़ी है जो सकारात्मक संतुलन को दर्शाती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में स्वीकृत पुनर्सरचना-सह-वित्तीय पैकेज के अनुसरन में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के खर्च को चुकाने के लिए कम्पनी ने विभिन्न बैंको से ₹ 518.36 करोड़ का ऋण प्राप्त किया जिसके ब्याज पर भारत सरकार द्वारा पूर्ण परिदान स्वीकृत है। स्वैच्छिक सेवानिवृति के तहत 31 मार्च 2010 तक कुल 11,485 कर्मचारी कम्पनी की सेवा से अलग हुए ।

**2. आर्डर प्राप्ति**

उच्च मूल्य और अखिल भारतीय परियोजनाएं आपकी कम्पनी की कार्यक्षमता के प्रति विभिन्न ग्राहकों के विश्वास को दर्साती है । कम्पनी ने ₹ 1036 करोड़ की आर्डर प्राप्त की है जिसमें ₹ 117 करोड़ मूल्य के आर्डर इस्पात क्षेत्रों से है तथा ₹ 919 करोड़ मूल्य के आर्डर बुनियादी संरचना क्षेत्रों से हैं ।

**महत्वपूर्ण आर्डरों में निम्नलिखित शामिल है –**

1. सेल, भिलाई एवं बोकारो में परियोजना कार्य ₹ 23 करोड़ ।
2. ₹ 89.00 करोड़ की लागत का सेल, बोकारो, भिलाई एवं आराआईएनएल भैजाग में प्रचालन एवं रख-रखाव कार्य।
3. ₹ 3.00 करोड़ की लागत से एनएसपीसीएल के तहत राउरकेला में राखड़ बांध का स्थापना कार्य।
4. बागमती नदी के बाढ़ संरक्षण का कार्य, इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 798 करोड़ है जिसमें मार्च 2010 तक ₹ 217.00 करोड़ का आर्डर प्राप्त हुआ।
5. हजारीबाग से बरकाखाना के बीच छोटे पुलों और तटबंधों का निर्माण और कोडरमा, रांची - गोमोह एवं बरकाखाना के मध्य बड़ी लाइन का कार्य। पूर्व मध्य रेलवे के तहत ₹ 91 करोड़ के 6 कार्य कम्पनी के पास है।
6. कर्नाटक, हुबली में ₹ 8 करोड़ की लागत से कर्मचारी भविष्य निधी कार्यालय भवन का निर्माण कार्य
7. प्राधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ₹ 245.00 करोड़ की लागत से झारखंड में 439 कि.मी. ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य।
8. प्राधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण VII के तहत ₹ 41.00 करोड़ की लागत से त्रिपुरा में ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य।
9. त्रिपुरा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत 3 जिला अस्पतालो के लिए प्रत्येक में 126 निवास स्थान ₹ 45.00 करोड़ के मूल्य का।
10. बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के तहत भुटाइ बालन की दाईं और बाईं तटबंधों को ऊपर उठाने और मजबुत करने के ₹ 32 करोड़ मूल्य के 2 कार्य।
11. फुलकुमारी, उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा में ₹ 15 करोड़ के लागत का पॉलीटेक्निक का निर्माण कार्य।

12. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत ₹ 100 करोड़ के लागत का पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के तटीय क्षेत्रों में 90 स्थानों पर आपदा आश्रय का निर्माण कार्य। मूल्य में लगभग ₹ 380 करोड़ वृद्धि की संभावना है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एनडीएमए के स्वीकृति के लिए विचाराधिन है।
13. सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइयर तिब्बतन स्टडिज, सारनाथ में ₹5 करोड़ के लागत से बुनियादी ढांचा विकास कार्य
14. विभीन्न राज्यों में नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण एवं मरम्मत के अलावा वर्तमान स्कूलों में अनुषंगिक कार्य जिसका मूल्य ₹176.00 करोड़ है।

निकट भविष्य में कम्पनी 'सेल' के भिलाई स्टील प्लांट के क्षमता सम्बर्द्धन कार्यक्रम तथा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, रेलवे तथा श्रम मंत्रालय से प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की परियोजना के तहत पूरे भारत में बुनियादी संरचना क्षेत्रों में और अधिक आर्डर प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है।

वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त आर्डरों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है :-

₹ करोड़ में

| | |
|---|---|
| इस्पात के क्षेत्र में | 117.00 |
| रेलवे का आधुनिकीकरण | 135.00 |
| केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं अन्य परिसर | 282.00 |
| बांध एवं सिंचाई | 108.00 |
| रोड | 294.00 |
| **आपदा प्रबंधन परियोजना** | 100.00 |
| **योग –** | **919.00** |

कुल प्राप्त आर्डर (117.00 + 919.00) = 1036.00 करोड़

**3. परियोजनाओं का साधारण पर्यावलोकन**

आपकी कम्पनी पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों जैसे इस्पात, पावर, रेलवे, आपदा प्रबंधन और बुनियादी संरचाओं की परियोजनाएं आरम्भ कर पुरे देश में अपनी एक खास स्थापित की है।

**(क) इस्पात संयंत्र कार्य –**

इस्पात मंत्रालय के अधिन हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० (एच.एस.सी.एल.) की स्थापना 1964 में एक निर्माण संस्था के रूप में हुइ जो देशी साधनो के बल पर इस्पात संयंत्रों का निर्माण कर सके। यह उभरती हुई संस्था इस चुनौती पर खड़ी उतरी और काबील मानव संसाधन और उपयोगी निर्माण उपकरण के बल पर सफलता हासील की। तब से लेकर अब तक निर्माण के क्षेत्र में पिछे मुड़ कर नहीं देखा। बाद के वर्षों में भारत के लगभग प्रत्येक बड़े बड़े सरकारी इस्पात संयंत्रों का निर्माण एच.एस.सी.एल. द्वारा किया गया।

कम्पनी की कार्य क्षमता क्षेत्र भूमी विकास से लेकर प्लांट चालू करने तक विस्तृत है। नब्बे दशक के अंत और वर्तमान दशक के आरम्भ में इस्पात उद्योग में मंदी का दौर रहा। ग्यारवीं योजना के दौरान सेल और आर आइ एन एल के क्षमता सम्बर्द्धन कार्यक्रम के तहत लगभग ₹52,000 करोड़ के नये निवेश की संभावना है। हालांकि हालात इतने अनुकूल नहीं है, कम्पनी कठिन प्रयास कर रहा है अपने इस्पात संयंत्रों में व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए।

कम्पनी ने अपनी स्थापना से लेकर 31.3.2010 तक इस्पात संयंत्रों में करीब ₹5607 करोड़ मूल्य का कार्य निष्पादन किया है।

कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान इस्पात क्षेत्र में करीब ₹235 करोड़ का व्यापारावर्त प्राप्त किया है।

- **बोकारो इस्पात संयंत्र**

कम्पनी ने 1964 में बोकारो स्टील प्लांट के प्रथम अथार्त 1.7 एम.टी. से कार्य आरम्भ किया। आगे चलकर 2.5 एम.टी. और 4 एम.टी. क्षमता का कार्य कम्पनी ने अपने हाथों में लिया एवं उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में कोक ओवन बैटरी, वाई प्रोडक्ट प्लान्ट, रॉ मटेरीयल प्लान्ट, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टींग शाप, हॉट रॉलिंग मिल, कोल्ड रॉलिंग मिल तथा स्टील और कंक्रीट चिमनी सहित अन्य पूरक सुविधाओं के लिए मृदा परीक्षण से लेकर चालू करने तक एच.एस.सी.एल. की हिस्सेदारी सम्पूर्ण एवं विस्तृत थी। यह एक गौरव की बात है कि यह संयंत्र आज अपनी पूरी क्षमता और ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के साथ चालू स्थिति में है। परियोजना कार्य में कमी आने के फलस्वरूप इकाई में अपने संस्थापन के सहायतार्थ एच.एस.सी.एल. बोकारो स्टील प्लांट के परिचालन एवं चिरस्थायी कार्यों को अपने हाथों लेना शुरू किया । इस्पात संयंत्रों की जरुरतों के मद्दे नजर एच.एस.सी.एल. स्थायी तौर पर बोकारो में आधुनिक निर्माण उपस्करों का रख रखाव कर रही है।

वर्ष 2009-10 के दौरान बोकारो में कम्पनी के निम्नलिखित कार्यकलाप रहे :

- ऐश पोण्ड से ऐश निकाल कर उसकी ढुलाई करना
- कीचड़ उप खण्ड से कीचड़ की निकासी एवं स्लैग
- बी.पी.सी.एल के तहत ब्वॉइलर न. 9 का सिविल एवं स्ट्रकचरल कार्य
- साज समानों का संचालन
- एलडी स्लेग की प्रोसेसिंग
- बी.एफ. स्लैग के लिए स्लैग डम्प-2 पर अतिरिक्त साईडींग
- द्वितीय लैड्ल फर्नस एस.एम.एस.- II
- एस.एम.एस. III के लिए चारदिवारी
- टाउन सर्विसेज एवं अन्य फुटकर कार्य

- **भिलाई इस्पात संयंत्र**

भिलाई इस्पात संयंत्र के 4 एम.टी. विस्तार कार्य में एच.एस.सी.एल. का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य इकाइयां जो कम्पनी द्वारा निर्माण कर चालू की गई है वे इस प्रकार हैं प्लेट मिल I और II, कन्वर्टर शॉप, कनकास्ट, घमन भट्टी न. 7, कोक ओवन बैटरी नं 9, रॉ मेटेरियल प्लांट – II, वेनजॉल परिसोधन प्लांट सहायक शॉप, संयंत्र के अन्दर रेलवे कार्य, वायर रॉड मिल, टाउंशिप इत्यादी।
भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षमता सम्बर्द्धन कार्यक्रम के तहत एच.एस.सी.एल. ने अनेक पैकेजों का कार्य पूरा किया है। परियोजना पैकेज के अलावा, कम्पनी प्लांट के परिचालन और रखरखाव का कार्य नियमित रूप से कर रही है। इकाई में एच.एस.सी.एल. के निर्माण उपकरणों का बेड़ा काफी सुसज्जित एवं प्रर्याप्त है जो परियोजना के परिचालन और किसी भी प्रकार की आकस्मिक कार्यों को अविलम्ब करने में पूर्ण सक्षम है। भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार कार्यक्रम के तहत एच एस सी एल ने अपने कदम पहले ही बड़ा दिये हैं जिससे निकट भविष्य में कुछ उच्च मूल्य के सीविल और स्ट्रक्चर्रल कार्य का आर्डर प्राप्त हो सके। ₹98 करोड़ मूल्य के दो परियोजाना में एच.एस.सी.एल. एल्वन है और जिसके मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

**कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में निम्नलिखित कार्यों को अंजाम दिया है।**

- पैकेज 117 के तहत 7 एम. टी में शामिल प्रशासनिक ब्लाकों का विस्तार कार्य
- संयंत्र पुर्जा स्टोर का पुनर्वास
- एमआरएस एवं क्वेन्चिग कार रिपेयर शॉप का पुनर्वास, मूल्य ₹4 करोड़
- पैकेज 118 (ई एंव एफ) का विस्तार कार्य
- सड़क और पुलिया पैकेज 100-2 का सिविल कार्य, मूल्य ₹12 करोड़
- 700 टी डी पी – ए एस यु (ओ पी - II) की स्थापना के लिए सिविल एवं स्ट्रक्चरल कार्य
- कोक ओवन बैटरी नम्बर 4 की शीत मरम्मत
- कोक ओवन बैटरी सी ओ बी 1 से सी ओ बी 10 का रख रखाव कार्य
- सी ओ बी 1 से सी ओ बी 10 तक क्षय हुए बी एफ गैस पाइप को बदलना
- पैकेज 118 (बी) के तहत 7 एम.टी. का निराकरण और पुनर्वास कार्य
- 1400 व्यास की पाइप लाइन को प्लेट मिल गैस बुस्टर स्टेशन तक एवं 3000 व्यास वाली पाइप लाईन बी.एफ. गैस हेडर को बदलने का कार्य।
- मरोदा जलाशय से गाद का परिवहन, मूल्य ₹2 करोड़
- टाउनशिप का रखरखाव और फुटकर मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य

- **विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र**

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण कार्य में एच.एस.सी.एल. की संलग्नता पूरे प्लांट क्षेत्र में भूसमतलन कार्य से शुरू हुई। तदोपरंत घमन भट्ठी नं 1 और 2 का सिविल कार्य, कच्चे माल का संचालन पद्धत्ति, स्टील मेल्टिंग शॉप के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। प्रथम चरण के चालू होने के

पश्चात कुछ चिरस्थायी कार्य जैसे कोक ओवन बैट्रीयों का हॉट एवं कोल्ड मरम्मत तथा परिचालित् प्लांट में अन्य रख रखाव कार्यों को अपने हाथों में लिया। 6.3 एम.टी. के तहत चालू विस्तार कार्यक्रम के कार्यों से भी युक्त है। एच.एस.सी.एल. ने कुछ सिविल, संरचनात्मक एवं पाईलिंग पैकेजेस का कार्य किया है जो कि जल्द ही पूर्ण हो जाऐंगी।

**वर्ष 2009-10 में कम्पनी द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (आर.आई.एन.एल.) में निम्नलिखित गतिविधि की गई –**

- कच्चा माल संचालन संयंत्र का संरचनात्मक इस्पात कार्य
- वायर रॉड मिल का संरचनात्मक इस्पात कार्य
- विशेष बार मिल के लिए पाईलिंग कार्य
- स्ट्रकचरल मिल का पाईलिंग कार्य
- 14 मेगा वाट पावर प्लान्ट चरण II का सिविल कार्य
- फेनॉल उपशिष्ट जल अभिक्रिया प्लांट का सिविल कार्य
- कोल हैन्डलींग प्लांट बैट्री न. 4 का सिविल कार्य
- कोक ओवन बैट्ररी नं. 4 के इस्पात संरचनाओं का निर्मान उत्थापन और क्लेडिंग
- कोक ओवन बैट्रीयों का निरन्तर और आयोजित मरम्मत
- कोकओवन बैट्री नं. I, II एवं III के चालू और नियमित मरम्मत के लिए तकनिकी सहायता प्रदान करना।
- गैर घूमावदार ब्लूम्स का प्रबंधन एवं संसाधन
- ब्लूम स्क्रैप भ्रंशोद्धार
- अन्य संचालन एवं फुटकर कार्य

- **एन.आई.एन.एल./डुबुरी, उड़ीसा** – एन.आई.एन.एल. डुबुरी में 1 एम.टी. घमन भट्ठी का एच.एस.सी.एल. द्वारा सफलतापूर्वक निर्माण कर चालू कर दिया गया है। यह अपने आप में एक अनोखा किस्म का कार्य था। यह एक पूराना घमन भट्ठी था जिसे पुनः अनुकुलित कर एच.एस.सी.एल. द्वारा अन्य पूरक इकाइयों के साथ साथ उत्थापन किया गया। यह भट्ठी अपनी पूरी क्षमता के साथ ग्राहकों के पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप कार्य कर रही है।
  कम्पनी डुबुरी में फिलहाल बी.ओ.एफ., जी.सी.पी. एवं सी.सी.पी. का सिविल और संरचनत्मक कार्य एवं अन्य संचालन और फुटकर कार्यों को कार्यान्वित कर रही है।

- **सेलम इस्पात संयंत्र** – सेलम इस्पात संयंत्र के पिछले तीनों चरणों के निर्माण में सिविल और संरचात्मक कार्यों में एच एस सी एल का योगदान रहा है। कम्पनी ने प्रथम चरण में कोल्ड रॉलिंग मिल, द्वितीय चरण में जेड मिल एवं तृतीय चरण में हॉट रॉलिगं मिल का निर्माण किया। चालू विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पनी निम्नलिखित कार्यों को कार्यान्वित कर रही है।
  - सी.आर.एम. परिसर के लिए संरचनात्मक स्टील एवं क्लेडिंग वर्क।
  - प्लांट के भीतर रेल लाइन का कार्य।

सेलम इस्पात संयंत्र में रेलवे लाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है, वहीं कोल्ड रॉलिंग मिल की पुनर्संरचना का कार्य पुरा कर के सेल/एसएसपी को सौंपने के लिए तैयार है ।

- **विद्युत संयंत्र कार्य**
  वर्षों से कम्पनी विद्युत क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं के कार्यों को अंजाम दे चुकी है। जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

  - एन.टी.पी.सी. सुपर थर्मल पावर प्लांट, सिमाद्री में जल प्रणाली तैयार करना जिसमे गहरे समुद्र में कुंआ और जेट्टी का निर्माण शामिल है।
  - एन.टी.पी.सी. तालचर सुपर थर्मल पवर प्लान्ट के यूनिट संख्या 3,4,5,6(4 x 500 मेगावाट) का निर्माण।
  - एन.टी.पी.सी, ऊँचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट में मुख्य प्लांट और ऑफ साइट सिविल कार्य पैकेज।

  **एन.टी.पी.सी. के ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :-**

  - **कहलगाँव (बिहार)**
  - एस.जी. एरिया सिविल कार्य पैकेज और मुख्य प्लांट कार्य पैकेज क्रमशः ₹32 करोड़ और ₹26 करोड़ का कार्य पूरा हो चुका है।
  - ₹7.00 करोड़ मूल्य के लागून III ए, बी, सी का एस डाइक कार्य पूरा हो चूका है।
  - **विन्ध्याचल**
  - एस.जी.एरिया सिविल कार्य पैकेज और ऑफ साइट एरिया सिविल कार्य पैकेज जिसका मूल्य क्रमशः ₹33.00 करोड़ और ₹18.78 करोड़ का कार्य पूरा हो चुका है।

  - **सीपत**
  - एस.जी.एरिया सिविल कार्य पैकेज ₹64.29 करोड़ मूल्य के कार्य प्रगती पर हैं और कुछ ही महीनो में पूर्ण होने की संभावना है।

- **अन्य पावर प्लांट परियोजनाएँ**

  - **आनपारा डी**
  - भेल के तहत ₹24 करोड़ का यू.पी.आर.यू.वी.एन.एल. का आनपारा-डी थर्मल पावर स्टेशन (2x500 मेगावाट) में भूमी समतलन एवं ग्रेडिंग कार्य पुरा हो चुका है संबंधित सड़क कार्य के लिए ग्राहक की अनुमति लम्बित है।

  - **डी वी सी/बी टी पी एस**
  - ऐश पोण्ड का निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹49.00 करोड़ है। यह काम पूरा होने के कागार पर है।

- **बांध एवं सिंचाई परियोजनाएँ**

  पुरे देश में सिंचाई परियोजनओं के निर्माण में कम्पनी का अनोखा इतिहास रहा है।

- कर्नाटक राज्य के सूपा में निर्मित 350 मीटर लम्बा और 101 मीटर ऊँचा कँक्रीट बान्ध आज कम्पनी के निर्माण क्षमता का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है।
- आन्ध्रप्रदेश में परनापल्ली के नजदीक चित्रावती संतोलन जलाशय का निर्माण। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए इंचा डेम बेतवा रिभर बोर्ड के लिए बिहार में मिट्टी का बान्ध परियोजना आदि उल्लेखनीय है।

- **बिहार में बागमती नदी का अनुकूलितकरण परियोजना**

  बिहार के जल संसाधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन के आधार पर कम्पनी ने हाल में बागमती नदी का नदी अनुकूलितकरण का मेगा टर्नकी परियोजना अपने हाथों में लिया है । परियोजना की अनुमानीत लागत ₹798 करोड़ है जिसका निर्णय 2011-12 तक होने की उम्मीद है। अभी तक ₹217 करोड़ मूल्य का कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना में, एच.एस.सी.एल की भागीदारी मिट्टी जांच, डीपीआर तैयार करना, निष्पादन दोष और दायित्व अवधि के माध्यम से रखरखाव शामिल है।

- **कोसी नदी आपदा प्रबंधन परियोजना**

  यह बहुत गर्व की बात है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने कोसी आपदा प्रबंधन परियोजना के संबंध में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रशन लिमिटेड को कुसाहा (नेपाल) में प्रवाह बन्द और दरार बन्द के निर्माण में कम्पनी के प्रदर्शन के लिए **"सर्वश्रेष्ठता का प्रमाणपत्र"** से सम्मानित किया है। यह परियोजना सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के विशाल क्षेत्रों के 30 लाख असहायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो 2008 के दौरान कोशी नदी के तट पर जलप्लावित थे। यह काम एच.एस.सी.एल. द्वारा 23 दिनों में किया गया जबकि अनुबंध की अवधि 30 दिनों की थी।

  परियोजना के तहत कम्पनी द्वारा क्रियान्वित प्रमुख कार्य निम्नलिखित है -

| | | |
|---|---|---|
| मिट्टी की खोदाई और भरने का कार्य | : | 27,77,000 (घन मीटर) |
| खाली सीमेंट बैग भरने और आपूर्ति का कार्य | : | 2,40,000 (घन मीटर) |
| बोल्डरों की आपूर्ति और बिछाने का कार्य | : | 80,000 (घन मीटर) |
| पॉरक्युपाइन की आपूर्ति और बिछाने का कार्य | : | 7,000 (संख्या) |

कम्पनी की प्रमुख मौजूदा चल रही सिंचाई परियोजनाऐं निम्नलिखित हैं -

- दुर्गावती में स्पिल्वे बांध परियोजना, सासाराम (बिहार) में कार्य शुरू करने के लिए बिहार सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा है जो मूल्य के वृद्धि को स्वीकार करने के साथ जुड़ीत है। वर्तमान में परियोजना का मूल्य ₹80 है जिसमें ₹60 करोड़ का कार्य किया जा चुका है।
- भागलपुर, पटना में गंगा नदी का कटाव बचाओ कार्य। ₹60 करोड़ की परियोजना जो समय-सारणी के अनुसार पूरा हो चुका है।
- ₹29 करोड़ की लागत का नगर निगम, दिल्ली के तहत मादीपुर में नाले का कार्य जो कुछ महीनों में पूरा होने की संभावना है।

- **रेलवे परियोजनाएँ**

  कम्पनी ने हाल के वर्षों में पूरे देश में रेलवे परियोनाओं की ओर व्यापक रूप में अपने कार्यकलापों को मोड़ दिया है। रेलवे परियोजनाओं में एच.एस.सी.एल. की सहभागिता में तटबंधो का निर्माण, गेज परिवर्तन के लिए छोटे एवं बड़े पुलों का निर्माण एवं नई लाइनों का निर्माण, वर्कशॉप, प्रशासनिक भवन, तथा अन्य सुविधाएं शामिल है। पूर्व मध्य, दक्षिण मध्य, और दक्षिण पश्मिम रेलवे कम्पनी के बड़े ग्राहक हैं।

**वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित रेलवे परियोजनाओं का कार्य पूरा किया है :–**

- ₹7.5 करोड़ रुपये लागत के पूर्व मध्य रेलवे जय नगर, दरभंगा और नरकटियागंज, बिहार के छोटे-बड़े पुल नं 66, 68, 68 ए, 68 बी, 72 ए, 78 एवं 78 बी का निर्माण कार्य।
- ₹7 करोड़ रुपये लागत के सोनपुर एवं हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का क्वाटर निर्माण कार्य।

**कम्पनी की चालू रेलवे परियोजनाएँ**

- ₹22 करोड़ के लागत का पूर्व मध्य रेलवे समसतिपुर में कार्यशाला का निर्माण कार्य।
- ₹5.7 करोड़ का राजगिर और तलैया के मध्य ब्रिज नं 30, 31 एवं रेलवे ओवर ब्रिज एवं अन्डर ब्रिज का सब स्ट्रकचर एवं सुपर स्ट्रकचर का निर्माण कार्य।
- ₹21 करोड़ के लागत का अधिकारीयों के लिए क्वाटर का निर्माण कार्य।
- ₹5.5 करोड़ के लागत का पूर्व मध्य रेलवे बखतीयारपुर में ऊपरी मार्ग पुल का निर्माण कार्य।
- ₹9 करोड़ के लागत का पूर्व मध्य रेलवे का रोड निर्माण कार्य।
- ₹8 करोड़ के लागत का पूर्व मध्य रेलवे का भूमी कार्य।
- बोकारो इकाई के अन्तर्गत ₹12 करोड़ मुल्य का बरकाखाना और हजारीबाग के मध्य भूमी कार्य, छोटे पुल एवं नदी बड़ी लाइन का कार्य।
- बोकारो इकाई के अन्तर्गत ₹34 करोड़ मुल्य की तीन परियोजनाऐं जिनमें कोडरमा एवं राँची के मध्य, डुमका और रामपुरहाट (पुर्व रेलवे) की बड़ी लाइन का कार्य है।
- बोकारो इकाई के अन्तर्गत ₹10 करोड़ मुल्य का बरकाखाना-राँची, मध्य रेलवे का भूमी कार्य, छोटे पुल एवं नदी बड़ी लाइन का कार्य।
- ₹39 करोड़ मुल्य का हजारीबाग-बरकाखाना और कोडरमा-राँची के मध्य भूमी कार्य, छोटे पुल एवं नदी बड़ी लाइन का कार्य।

- हजारीबाग से बरकाखाना के बीच छोटे पुलों और तटबंधों का निर्माण और कोडरमा, रांची - गोमोह एवं बरकाखाना के मध्य बड़ी लाइन का कार्य। पूर्व मध्य रेलवे के तहत ₹91 करोड़ के 6 कार्य कम्पनी के पास है।
- हुबली स्थित दक्षिण पश्चिम रेलवे का ₹16 करोड़ का क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण कार्य
- ₹14.5 करोड़ के लागत का मौला अली/दक्षिण मध्य रेलवे के लिए डीजल लोको शेड में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कार्य।

- **साड़क और राजमार्ग**

  सड़क क्षेत्र के व्यवसाय में कम्पनी को काफी पुराना अनुभव है। प्रायः सभी इस्पात संयंत्रो के लिए संयंत्र के भीतर एवं टाउनशिप के सड़को का काम शुरू कर एच.एस.सी.एल. ने उच्च मूल्य के फ्लाइओवर और द्वितीय हुगली सेतु का पहुँच मार्ग रोड, मध्य प्रदेश में भोपाल सिहोर वाईपास सड़क और फ्लाईओवर परियोजना, नोयडा इत्यादि का निर्माण किया है। इसके अलावा तामिलनाडु में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सेलम कारुर और टुटीकोरीन के बीच दो सड़क रखरखाव परियोजनाएं उल्लेखनीय है।

  यह बहुत संतोष की बात यह है कि कम्पनी ने भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अपने योगदान के लिए इ18 और सीएनबीसी टीवी 18 के साथ मिलकर एस्सार स्टील द्वारा सम्मानित किया गया प्रतिष्ठित **"मान्यता प्रमाणपत्र"** जीता है। नोएडा फ्लाईओवर परियोजना, जो निर्धारित समय से पूर्व उच्च मानक गुणवत्ता के साथ पूरी कर ली गई है वह महत्वपूर्ण एवं प्रदर्शनीय बन गया है।

- **प्रधनमंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजना -**

  प्राधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों के ग्रामीण इंजीनीयरिंग विभागों के अधीन नई सड़को एवं मौजूदा लिंको का चरणबद्ध रूप से उन्नत का निर्माण कार्य कम्पनी कर रही है। प्राधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सरकार की भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है। सरकारी क्षेत्र में एच. एस.सी.एल. एक अग्रणी निर्माण कम्पनी होने के नाते देश के सुदूर क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सहभागिता कम्पनी अपना प्रथमिक दायित्व समझती है।

  त्रिपूरा सरकार के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एच.एस.सी.एल द्वारा कार्य परियोजना कार्यान्वयन के रूप में चरणों में लिया गया, जिसमें 250 से 1000 + आबादी वाले इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सड़क का उन्नयन करना है। इस परियोजना में भूमी परिक्षण, सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, उन्नयन और 5 वर्ष तक रखरखाव का कार्य कम्पनी द्वारा लिया गया है। कम्पनी त्रिपुरा के दो जिलो उत्तर तथा धलाई में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

| | |
|---|---|
| एनआर आर डी ए (NRRDA) द्वारा अनुमोदित संपर्की सड़कों की संख्या | 159 |
| पूर्ण की गई सड़को की संख्या | 67 |
| कार्य प्रगती पर वाली सड़को की संख्या | 92 |
| कुल लम्बाई | 662.118 कि. मी. |

| | |
|---|---|
| कार्य पूर्ण | 285.689 कि. मी. |
| सम्पूर्ण कार्य की लागत | 488.14 करोड़ |

कम्पनी त्रिपुरा के दो जिलों उत्तर तथा धलाई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य को चार चरणों के तहत, चरण- IV, V, VI, एवं VII में कर रही है जिसमे कार्यरत कार्मिकों की प्रर्याप्त सुरक्षा और कड़ी निगरानी के तहत निर्माण का कार्य जारी है। इनमें से कुछ सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। अगले चरण में कम्पनी 250 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य आरम्भ करेगी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 723 कि.मी. के ग्रामीण सड़कों के लिए झारखंड के 4 जिलो में ₹245 करोड़ की लागत के प्राधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एन आर आर डी ए द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह काम पहले से ही अच्छी प्रगति में है। इस कर्य में करीब 1400 कि.मि सड़क का निर्माण होना है जिसकी अनुमानीत लागत ₹500 करोड़ रुपये है।

- **शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, व्यावसायिक एवं आवासिय परिसर, औद्योगिक भवन एवं अन्य**

I. **शैक्षिक संस्थाएं**

**केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय परियोजनाएं**

देश में शिक्षा के प्रसार के लिए बुनियादी संरचनाओं के निर्माण में कम्पनी को अपनी सहभागिता के लिए गर्व है। केन्द्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति कम्पनी के दो बड़े ग्रहक है जिसके लिए कम्पनी विगत कई वर्षो से अनुषंगिक बुनियादी सुविधाओं सहित स्कूल भवनों का निर्माण कर रही है। इन क्षेत्रों में कम्पनी की कार्यनिष्पादन हमेशा उत्कृष्ट रही है तथा इसकी सराहना ग्राहकों ने भी की है । इन परियोजनओं से प्रतिवर्ष कुल टर्नओवर 10 से 12 प्रतिशत होती है। वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी का कार्य केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय से लगभग 14 प्रतिशत था।

कम्पनी ने इस क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में ₹112 करोड़ का कार्य नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालय के लिए झारखंड, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनायडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीस, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में किया है।

वर्तमान में कम्पनी के पास के. व्ही. एस और एन. व्ही. एस के करीब ₹205 करोड़ मूल्य के आर्डर हैं।

केन्द्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति के अलावा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, पांडीचेरी विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय (पश्चिम बंगाल), और सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइयर तिब्बतन स्टडिज भी कम्पनी के ग्राहकों की सूची में शामिल है।

- **अन्य शैक्षणिक अवसंरचना परियोजनाएं**

**शिक्षा के क्षेत्र में कम्पनी की चालू परियोजनाएं निम्नलिखित है –**

- ₹7 करोड़ के लागत का इंडियन एसोशिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साईन्स (कोलकाता), में 3 मंजीली पुस्ताकालय भवन का विस्तार
- फुलकुमारी, उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा में ₹15 करोड़ के लागत का पॉलीटेक्निक का निर्माण
- ₹6 करोड़ के लागत का खेल अकादमी, कालिंग स्टेडियम के उत्तरी रुख का निर्माण
- परियोजना प्रबंधन परामर्श के रूप में सीएसआइओ के लिए चण्डिगढ़ में भारत स्विस प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और आधुनिकीकरण
- ₹54 करोड़ रुपये का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पुनरोद्धार एवं अतिरिक्त कार्य
- विद्यमान, अनुसंधान छात्रावास का विस्तार, ₹10 करोड़ के लागत का इंस्टीट्यूट आफ हायर स्टडीस सारनाथ में स्नातक और अनुसंधान छात्रावास का निर्माण कार्य

- **चिकित्सा परिसर**

अस्पतालों, हेल्थ केयर सेन्टर तथा चिकित्सा अनुसंधानों के निर्माण में कम्पनी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। विगत कई वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कम्पनी ने अपने कार्यकलापों को बढ़ाया तथा अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है।

इंडीयन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च के लिए चेन्नई में निर्मित नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इपीडेमीलॉजी का नयनाभिराम भवन आधुनिक वास्तुकल, गुणवत्ता और आदर्श निर्माण का छाप वहन करती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अलावा कम्पनी ने त्रिपुरा सरकार के अन्तर्गत चिकित्सा परिसर, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विकास तथा सोसाइटी ऑफ 'एप्लाइड माइक्रोवेभ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एस ए एम ई ई आर) का निर्माण कार्य अपने हाथों में लिया है।

- **कम्पनी की चालू चिकित्सा परियोजनाएं निम्नलिखित है –**

  - तेलियामुरा, त्रिपुरा में 100 शय्या वाली अस्पताल का निर्माण। मूल्य ₹18 करोड़।
  - ₹46 करोड़ की लागत से त्रिपुरा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत त्रिपुरा में 150 शय्या वाली तीन जिला अस्पतालों का निर्माण।
  - ₹8 करोड़ की लागत से ढलाइ में जिला अस्पताल के लिए ट्रॉउम केन्द्र का निर्माण
  - ₹18 करोड़ की लागत से बेलापुर, समीर में मेडिकल लाइनेक लेब्रोटरी ऑफ रेडिएशन शिल्ड रूम का निर्माण। काम पूरा होने के कगार पर है ।
  - मुंबई/महाराष्ट्र में ₹34 करोड़ की लागत का नेशनल इन्स्टियूट फोर रिसर्च इन रीप्रडक्टिव हेल्थ के लिए दो परियोजनाए। परियोजना की लागत ₹100 करोड़ तक जाने की संभावना है।

- ₹22 करोड़ की लागत से पूर्व मध्य रेलवे के लिए पटना जंक्शन में 150 शय्या वाली उच्चकोटी की विशेषता वाली अस्पताल का निर्माण।
- आर एम आर आइ पटना में टी डी आर सी और अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल नवीकरण का कार्य। मूल्य ₹18 करोड़।
- एन ए आर आई, पुणे में प्रयोगशाला भवन का नवीनीकरण। मूल्य ₹10 करोड़।
- ₹60 करोड़ की लागत से झारखंड के विभिन्न जिलों में 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 2 सदर अस्पतालों का निर्माण।

- **बहुमंजिला व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों**

बहुमंजिला व्यावसायिक और आवासीय परिसरों के निर्माण में कम्पनी की काफी लोकप्रीयता है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए टाउनशिप के सड़कों के निर्माण के साथ इसकी यात्रा शुरू होती है। बाद में कम्पनी ने 'सेल' के अन्य इस्पात संयंत्रों तथा एन.टी.पी.सी. के लिए सिमाद्री, आंध्रप्रदेश में टाउनशिप का निर्माण किया।

चेन्नई में 10 मंजिला वाली एम.एल.ए. आवास के लिए निर्मित चार टावर आज एच.एस.सी.एल. के उत्कृष्ट निर्माण का प्रतिक है।

कोलकाता में विधान नगर नगरपालिका के लिए कम्पनी द्वारा निर्मित "पौर भवन" एक और सफलता है।

मॉयल के लिए एच.एस.सी.एल द्वारा प्रशासनिक भवन और आवासीय क्वाटरों (ए.बी.सी.डी. श्रेणी) का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने पर माननीय इस्पात मंत्री द्वारा काफी प्रशंसा की गई। कम्पनी ने आन्ध्र प्रदेश में बवनपली स्थित डी.आर.डी.ओ. के साइन्टिस्ट्स हॉस्टल और एच.पी.सी.एल. के लिए आपदा वसूली आधर समाग्री केन्द्र का निर्माण कार्य भी सफलता पूर्वक पूर्ण किया है। रांची में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र (एन.सी.एस.एम.) और एम.एस.टी.सी. के लिए स्टाक यार्ड के साथ सहायक अवसंरचनाएं सुविधाओं का निर्माण कार्य भी सफलता पूर्वक पूर्ण किया है।

- **कम्पनी की चालू भवन परियोजनाएं निम्नलिखित है –**

- वस्त्र मंत्रालय के अधीन जनपथ, दिल्ली में हैंडलूम मार्केटिंग काम्प्लेक्स का निर्माण। मूल्य ₹41 करोड़।
- सिक्किम में तीर्थस्थल केन्द्र, नई संरचनाओं के वृद्धि के बाद कुल परियोजना मूल्य ₹93 करोड़
- यांगगंग में ₹47 करोड़ की सांस्कृतिक केंद्र परियोजना
- आइ.डी.सी.ओ. के लिए कटक में कम्पनी मामला भवन का निर्माण। परियोजना मूल्य ₹6 करोड़
- ₹10 करोड़ का सिडबी के लिए जैदेव विहार में कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण
- लखनऊ में सिडबी के लिए आवासीय फ्लैट का निर्माण

- **विदेशों में कार्य**

जैसा कि पिछले वर्षों के रिपोर्ट में बताया गया है कम्पनी दो दशक पूर्व ही 24 जुलाई 1988 को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के सलाह पर लीबिया में भारतीय दुतावास के निर्देश के तहत अप्रैल 1995 में आयोजित भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की 7 वें सत्र की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लीबिया सरकार जेनरल पिपुल्स कमिटि फॉर योजना एवं वित्त की सहमति मिलने के पश्चात् एक साल के अंदर सभी बकाया राशी का भुगतान कर देगी। नवम्बर 2004 के दौरान लीबिया में भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की 9 वा सत्र आयोजित हुई। नौवे सत्र के दौरान दिए गए सुझावों के संदर्भ आपकी कम्पनी ने लीबिया के संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से संबंधित कागजातों को प्राप्त कर भुगतान दावे को सही ठहराने के लिए कार्रवाई की है। आपकी कम्पनी ने 8 बैंक गारंटी तथा लंबित भुगतान करवा देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से सरकारी स्तर पर एक समग्रसमाधान करवाने का अनुरोध किया है।

तदोपरांत दिसम्बर 2007 में विदेश मामलों के मंत्रालय लीबिया सरकार से प्राप्त सूचना के संदर्भ में लीबिया परियोजनाओं के विरुद्ध समग्रदावे कौसेला (वाणिज्यिक) भारतीय दूतावास को भेज दी गई।

मामला फिर से 7.796 करोड़ एलडी के दावे के साथ भारत लीबियन संयुक्त आयोग की 11 वीं सत्र के दौरान उठाया गया है।

अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हुआ है।

- **पुरस्कार एवं बोर्डरूम**

1. यह बहुत गर्व की बात है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने कोसी आपदा प्रबंधन परियोजना के संबंध में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रशन लिमिटेड को कुसाहा (नेपाल) में प्रवाह बन्द और दरार बन्द के निर्माण में कम्पनी के प्रदर्शन के लिए **"सर्वश्रेष्ठता का प्रमाणपत्र"** से सम्मानित किया है। यह परियोजना सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के विशाल क्षेत्रों के 30 लाख असहायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो 2008 के दौरान कोशी नदी के तट पर जलप्लावित थे। यह काम एचएससीएल द्वारा 23 दिनों में किया गया जबकि कार्य करने की अवधि 30 दिनों की थी।
2. यह बहुत संतोष की बात यह है कि कम्पनी ने भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अपने योगदान के लिए इ18 और सीएनबीसी टीवी 18 के साथ मिलकर एस्सार स्टील द्वारा सम्मानित किया गया प्रतिष्ठित **"मान्यता प्रमाणपत्र"** जीता है।

- **कर्मचारियों की स्थिती**

एच.एस.सी.एल. 1999 में कार्यन्वित पुनर्गठन पैकेज के प्रावधान के अनुसार कम्पनी के व्यवसय प्रचालन को अत्यधिक लागत प्रभावी बनाने के ध्येय से कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृति विकल्प चालू किया । इस दिशा में किए गये पहल काफी सफलतापूर्ण रहा तथा कम्पनी में 1.4.2000 को मौजूद 13576 श्रमशक्ति घटकर 1007 हो गई । व्यापारावर्त में बढ़ोत्तरी और श्रमशक्ति की संख्या में कमी के फलस्वरूप

मानव उत्पादकता में व्यापक सुधार हुआ । प्रति कर्मचारि आय 1999-2000 में ₹0.022 करोड़ से बढ़ कर 2009-10 में ₹0.795 करोड़ हो गई।

- **इस्पात संयंत्र इकाइयों में बहु क्षमता प्रक्षिक्षण कार्यक्रम**

एच.एस.सी.एल. 'सेल' में निर्धारित प्रशिक्षण के अनुरुप 6 मनक मॉडल में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बोकारो तथा भिलाई इस्पात संयंत्र इकाइयों में बहु-कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रशिक्षण विभाग द्वारा काफी सहयोग मिला। वर्ष 2009-10 के दौरान वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य में इस्पात संयंत्र इकाइयों में 125 कर्मचारियों को बहुमुखी कौशल का प्रशिक्षण दिया गया जो कुल मिलाकर 880 दिन से अधिक का था । इन प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपयोगिता का विकास हुआ है जो कम्पनी के विकास के लिए हितकारी है। वर्ष 2010-11 के दौरान अधिकारीयों के प्रशिक्षण के लिए योजना प्रस्तावित है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला कर्माचारी, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :**

| श्रेणी | कुल श्रमशक्ति | अनु जाति | अनु जन जाति | महिला कर्माचारी | विकलांग | भूतपूर्व सैनिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क | 187 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ख | 128 | 7 | 1 | 4 | 2 | -- |
| ग | 657 | 93 | 60 | 35 | 3 | -- |
| घ | 35 | 6 | 4 | | -- | -- |
| **कुल** | **1007** | **121** | **66** | **44** | **9** | **1** |

- **औद्योगिक संबंध**

आम तौर पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी में औद्योगिक सम्बन्ध शन्तिपूर्ण रहे।

- **लोक/स्टाफ शिकायत निपटरा**

वर्ष के दौरान कोई शिकायतें निवारण के लिए प्राप्त नहीं हुई।

- **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

आपकी कम्पनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसके लिए कम्पनी नें अपने प्रधान कार्यालय में एक मुख्य सूचना अधिकरी एवं कम्पनी की विभिन्न इकाईयों में आठ सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के तहत इसके मुख्य विवाचक अधिकारी कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। इस अधिनियम की ही परिपूर्ति के रूप में कम्पनी ने अपनी

कार्यालयी Website : www.hscl.co.in पर धारा 4(1) (ब) के तहत 17 दिशानिर्देश भी प्रस्तुत किया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राप्त 119 आवेदनों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा, प्रथम अपील के तहत प्राप्त 29 आवेदनों का निपटारा किया गया।

- **हिन्दी का प्रयोग**

आपकी कम्पनी हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार के राजभाषा नीति और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

- **सतकर्ता**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी सतकर्ता संबंधी मामला लंबित नही है।

- **व्यवसाय, प्रबंधकीय एवं वित्तीय पुनर्गठन**

ए.एफ. फरगुसन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर वोर्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर ईन्टरप्राइजेज (बी आर पी एस ई) ने दिनांक 13 मई 2008 को दिल्ली में आयोजित अपने 58वीं बैठक में कम्पनी के व्यवसाय, संगठनात्मक और वित्तीय पुनर्गठन की अनुशंसा की उसे अनुमोदन के लिए पेश किया गया है । वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की टिप्पणियों का पालन करते हुए और इस दौरान बदले हुए आर्थिक और व्यवसायिक परिवेश को मद्देनजर रखते हुए, वित्तीय अनुमानों के पुनर्गठन के साथ एक संशोधित व्यापार की योजना प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

- **निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यकलाप**

निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत 2009-10 के दौरान मंदी और आर्थिक मंदी के कारण कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कोई यगदान नहीं कर सका। समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कम्पनी को वर्ष 2010-11 के दौरान 4 परियोजनाओं को लागू करने की योजना है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा परिचालित दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनी की संशोधित सीएसआर नीति बोर्ड के अनुमोदन के लिए बना लिया गया।

- **वर्ष 2010-11 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन**

टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर बातचीत की बैठक नई दिल्ली में 3 फरवरी, 2010 को आयोजित किया गया। ₹840 करोड़ का कारोबार लक्ष्य, परिचालन लाभ लक्ष्य (पी बी आइ डी टी) ₹54 करोड़ वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए सहमत हुए। ऑर्डर बुकिंग लक्ष्य ₹960 करोड़ पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, समझौता ज्ञापन पर श्री अतुल चतुर्वेदी, माननीय सचिव (इस्पात) और श्री मलय चटर्जी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए 29.3.2010 को उद्योग भवन, इस्पात मंत्रालय में प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से और क्रमशः कम्पनी द्वारा आयोजित एक औपचारिक समारोह में किये गए। आप की कम्पनी वर्ष 2010-11 के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वचन बद्ध है।

- **निगमित शासन पर मार्गदर्शनों का अनुपालन**

  I. **हिन्दुस्तन स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक के लिए कारबार संचालन संहिता और आचार**

  कम्पनी प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार छठे अनुबंध में व्यापार के संचालन और नैतिकता बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए मॉडल कोड, कैंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निहित है, उसका पालन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

  II. **स्वतंत्र निदेशकों कि नियुक्ति**

  श्री एस.बी. मिश्रा कम्पनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए। कम्पनी ने प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध किया है एक और गैर सरकारी निदेशक कम्पनी के बोर्ड में कम्पनी प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की शर्त का पालन करते हुए नियुक्त किया जाय। प्रक्रिया की प्रगति अग्रिम चरण में है।

  III. **लेखापरीक्षा समिति का गठन**

  श्री एस.बी. मिश्रा लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किए गए लेकिन लेखा परीक्षा समिति का गठन नही किया जा सका कयोंकि दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियिक्ति नहीं हो पाइ। लेखा परीक्षा समिति का जल्द ही गठन किया जाएगा जैसे ही एक या एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में शामिल हो जाऐंगें।

  IV. **बोर्ड मीटिंग की बारम्बारता**

  बोर्ड की बैठक दिशा निर्देशों के अनुसार हर तिमाही पर न्यूनतम एक बार आयोजित किया जाता है।

  V. **जोखिम प्रबंधन नीति**

  कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति 250 वे बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया। नीति दस्तावेज सभी संबंधित अनुपालन करने के लिए परिचालित किया गया है।

- **लेखापरिक्षक**

  आपके निदेशकगण मेसर्स एस. एन. मुखर्जी एण्ड कं, चाटर्ड लेखापाल और मेसर्स एस. के. भट्टाचार्या एण्ड कं, चाटर्ड लेखापाल जिन्हें सि.ए.जी. ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी का संयुक्त लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था के प्रति अपना आभार प्रकट करतें हैं।

- **सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन**

  इस वर्ष से संबंधित कम्पनी के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर निदेशक मंडल का प्रतिक्रिया इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

- **निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र**

  निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

- **कम्पनी अधिनियम 1995 की धारा 619(4) तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां**

  वित्तिय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखपरिक्षक की टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

- **कर्मचारियों का पारिश्रमिक**

  कम्पनी में ऐसा कोई भी कर्मचारि नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित उद्यतन यथा संशोधित कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियम 1975 में उल्लेखित सीमा से अधिक वेतन दिया गया हो।

- **निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण**

  कम्पनी अधिनियम 1956 (कम्पनी अधिनियम, 2002 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 217 (2 एए) के अनुसरण में निदेशकगण अभिलेख करते हैं कि :

  I. लेखा जोखा तैयार करते समय लागू होने वाले गणना मानकों का यथास्थिति एवं जहाँ कहीं भी भिन्नता आयी है वहाँ समुचित स्पष्टीकरण के साथ अनुपालन किया गया है।

  II. निदेशकों ने उन्ही गणना नीतियों का चयन और बराबर पालन किया है एवं उन्ही के अधार पर निर्णय व अनुमान किए हैं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण थीं, जिससे की वित्त वर्ष 2009-10 के अंत में कम्पनी के कारोबार से संबन्धित सही और स्पष्ट तस्वीर के साथ साथ अवधि के लिए कम्पनी के लाभ और हानि लेखों को प्रस्तुत कर सकें।

  III. निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने, जालसजी और अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनके रोकथाम के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधनों के अनुरुप लेखाजोखा का पर्याप्त रेकार्ड रखने में पूरी और समूचित सावधानी बरती है।

  IV. निदेशकों ने कम्पनी का वार्षिक लेखा जोखा एक ''चलते प्रतिष्ठान'' के रूप में तैयार किया है।

- **निदेशक मण्डल**

  श्री मलय चटर्जी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं श्री अभिजित घोष निदेशक (वित्त), कम्पनी के पूर्णकालिन निदेशक हैं।

  डा दलीप सिंह भा.प्र.से. संयुक्त सचिव, भारत सरकार इस्पात मंत्रालय को कम्पनी के बोर्ड में अंशकालिक अधिकारी निदेशक के रूप में दिनांक 7 नवम्बर 2008 से नियुक्त किया गया है।

श्रीमती इंद्राणी कौशल, उप सचिव भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के स्थान पर श्री जे.पी शुक्ला, निदेशक इस्पात मंत्रालय को कम्पनी के बोर्ड में अंशकालिक अधिकारी निदेशक के रूप में दिनांक 30 अप्रैल 2009 से नियुक्त किया गया है।

श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र के स्थान पर श्री एस.बी. मिश्रा को कम्पनी के बोर्ड में अंशकालिक अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री आर. रामाराजू, प्रबंध निदेशक भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्ति के कारण अपना इस्तीफा दिये जो 1.4.2010 से प्रभावी है।
श्री व्ही. के. श्रीवास्तव और श्री आर. रामाराजू द्वारा उनके महत्वपुर्ण सेवाओं के लिए निदेशक मंडल उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

- **आभार ज्ञापन**

आपके निदेशकगण माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात) और इस्पात मंत्रालय के अन्य पदाधिकारीयों द्वारा समय समय पर कम्पनी को प्रदत्त अमूल्य सहयोग, निर्देश और प्रोत्साहन के लिए उनका तथा केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों, स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तथा अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार के उपक्रमों के प्रति अपना आभार प्रकट करतें हैं। हम अन्य मूल्यवान ग्राहकों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका आभार ज्ञापन करते हैं। आपके निदेशकगण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा बोर्ड, तथा उनके अधिकारीयों और सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनका आभारी है। हमारे निदेशक मंडल बैंकरो के प्रति उनके लगातार सहयोग और कम्पनी में विश्वास के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक आभार ज्ञापन करता हैं।
आपके निदेशकगण कम्पनी के अधिकारियों, स्टाफ और कर्मचारियों के प्रति भी उनके महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अपना आभार ज्ञापन करतें हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(मलय चटर्जी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30.06.2010

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

**1. उद्योग संरचना और विकास**

वर्ष 2009-10 के दौरान  देश के समग्र औद्योगिक परिदृश्य बड़े उत्साहजनक रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस्पात संयंत्रों की क्षमता विस्तार कार्यक्रमों के साथ साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नई परियोजनाऐं आईं। वर्ष के दौरान इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए कार्य हासिल की प्रक्रिया में कहीं कहीं विलंब हुआ है, जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से कार्य हासिल करने की प्रक्रिया काफी संतोषजनक रही। उद्योग संरचना पर क्षेत्र वार अवलोकन नीचे उल्लेख है :-

**इस्पात क्षेत्र**

- वर्तमान 32 एम टी इस्पात उत्पादन क्षमता को आने वाले वर्षों में ₹100 000 करोड़ के निवेश के साथ 75 से 80 एम टी करने की संभावना है। जिसमें से सेल/आरआईएनएल अपनी 17 एम टी क्षमता विस्तार के लिए लगभग ₹52000 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। सेल और आरआईएनएल की क्षमता विस्तार कार्यक्रम के तहत कम्पनी को अच्छा आर्डर मिलने की सम्भावना हैं।
- वर्तमान में इस्पात क्षेत्र के उपक्रमों से उच्च मूल्य के आर्डर प्राप्त करने की सम्भावना दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिसका मुख्य कारण कठिन पूर्व योग्यता मापदंड एवं रिवर्स नीलामी पद्धति, जिसके चलते कम्पनी को छोटे छोटे आर्डर जिसका मूल्य 10 से 15  करोड़ रुपये होता है के उपर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि उच्च मूल्य के परियोजनाओं को हासिल करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख कम्पनीयों के साथ जठजोड़ करने का प्रयत्न जारी है। मैसर्स UZINEXPORT एसए, रोमानिया, के साथ गठजोड़ करके कार्य हासिल करने के लिए सतत प्रयत्न जारी है जिसके लिए इस कम्पनी के साथ भारत में व्यापार के लिए समझौता करार किया जा चुका है।
- क्षमता विस्तार के साथ ही इस्पात क्षेत्र के उपक्रमों में एएमआर और नियमित संचालन और रखरखाव के लिए उसी अनुपात में व्यय होगा। कम्पनी इन कार्यों को प्राप्त कर अपने टर्णओवर को बढ़ा सकती है। हालाकि, प्रशासनिक मंत्रालय एच.एस.सी.एल. के पक्ष में उपरोक्त एएमआर और नियमित संचालन एवं रख रखाव जैसे पेरेनियल कार्यों को नामांकन/दर संरचना/बातचीत के आधार पर देने की सिफारिश कर सकता है जो कोयला और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति के निर्णय के अनुरूप होगा।

**अवसंरचना क्षेत्र**

**क) मार्ग क्षेत्र**

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत ₹2, 27, 258 करोड़ के लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए 11 वें निर्माण के लिए योजना बनाई गई जिसमें देश के राजमार्गों की लगभग 47000 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से उन्नयन के लिए। कम्पनी को इस क्षेत्र में दुर्जेय भागीदारों के साथ उपयुक्त तकनीकी गठजोड़ के माध्यम से निवेश का एक अच्छा हिस्सा सुरक्षित उम्मीद कर सकते हैं।

- एक अन्य क्षेत्र है जहां की योजना व्यय ₹60,000 करोड़ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए। कम्पनी त्रिपुरा और झारखंड के राज्य में एक पीआइयू के रूप में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पहले से ही है। इन राज्यों में कारोबार की मात्रा बढ़ाने के साथ ही अन्य राज्यों में भी करोबार की अच्छी संभावना है । सभी राज्य सरकारों सहित पूर्वोत्तर राज्यों, राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और एनआरआरडीए, द्वारा एच.एस.सी.एल. से इन परियोजाओं के कार्य के लिए संपर्क किया गया है। वर्तमान में, लगभग ₹750 करोड़ के ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के तहत त्रिपुरा और झारखंड राज्य में कार्यान्वयन कर रहे हैं।
- ₹100 करोड़ को हासिल करने की संभावना है । राजरहाट, कोलकाता में फ्लाईओवर परियोजना, काफी उत्साहजनक है।

ख) <u>शैक्षिक संस्थाएं</u>

- देश भर में 930 केन्द्रीय विद्यालय हैं। जिनमें से 129 को अभी भी स्थायी भवनों की आवश्यकता है। इस के अलावा ₹2580 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 11 वीं योजना के दौरान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए 1000 केन्द्रीय विद्यालयों सहित 6 जोनल कार्यालयों, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों और 6 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पिछले कई वर्षों से एच.एस.सी.एल. एक पीआइयू के रूप में मुख्य एजेंसियों में से एक है जो केन्द्रीय विद्यालय समिति के स्कूल परियोजनाओं को कार्यान्वयन किया है। भविष्य में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ व्यापार की मात्रा बढ़ाने के पर्याप्त गुंजाइश है। केन्द्रीय विद्यालय समिति एच.एस.सी.एल के पक्ष में पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में और अधिक स्कूल परियोजनाओं के कार्य के लिए संपर्क किया है। प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक है।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) का कार्यान्वयन, यह एक और क्षेत्र है जहां कम्पनी को एक उज्जवल कारोबार विस्तार की संभावना है। ₹10,425 करोड़ के निवेश के साथ आ रहे हैं 700 नए नवोदय विद्यालयों का निर्माण कार्य, स्थायी संरचनाओं और मौजूदा विद्यालयों के विस्तार का निर्माण कार्य शामिल है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एच.एस.सी.एल. के लिए संभव हो परियोजना के रूप में स्कूल के कार्यान्वयन के लिए संपर्क किया है। कम्पनी, सीपीडब्ल्यूडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पीआइयू है जो नवोदय विद्यालय समिति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगी हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2010 के अंत में एच.एस.सी.एल. के हाथ में ₹205 करोड़ के केन्द्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति के परियोजना आदेश है। इस क्षेत्र में कम्पनी के प्रदर्शन को देखते हुए, केन्द्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति के तहत अधिक स्कूल परियोजनाओं हासिल करना मुश्किल नहीं होगा।
- बीएचयू की तरह अन्य शैक्षिक संस्थाने, उच्च तिब्बती अध्ययन, आईसीएमआर और अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए भी प्रमुख अवसंरचना विकास परियोजनाऐं आने वाले हैं । एच.एस.सी.एल. ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक आम नाम है।
- दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने भी एच.एस.सी.एल. को समान परियोजनाओं के देने में रुचि दिखाई है।

ग) <u>स्वास्थ्य अवसंरचना</u>

- त्रिपुरा में चल रहे 4 जिला अस्पताल, 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और झारखंड में 2 जिला अस्पताल के निर्माण के प्रमाण-पत्र के साथ, एच.एस.सी.एल. को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत उच्च मूल्य के स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाऐं हासिल करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में निवेश की संभावना ₹3600 करोड़ है।

घ) रेलवे

- संवेगी क्षेत्र रेलवे में पहचान, समर्पित रेल फ्रेट (डीआरएफसी) कॉरिडोर और हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के माध्यम से क्षमता वृद्धि भी शामिल है। 11 वीं योजना के दौरान ₹2,30,000 करोड़ का निवेश। पिछले कई वर्षों से एच.एस.सी.एल. ने तटबंधों का निर्माण, रेलवे के लिए बड़े और छोटे पुलों, कार्यशालाओं और स्टाफ क्वार्टर आदि का निर्माण किया है। जैसे परिधीय कार्यों में एच.एस.सी.एल. की गुंजाइश काफी है इस क्षेत्र में भारी निवेश की वजह से शीघ्र वृद्धि होगी। कम्पनी को पहले ही समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर का कार्य प्रदान करने के लिए संपर्क किया है। चितरंजन लोकोमोटिव पर ₹24 करोड़ की कार्यशाला परियोजना को अंतिम रूप दिया जा है। वर्तमान में कम्पनी के पास ₹188 करोड़ की परियोजनाऐं हैं। इस क्षेत्र में कई गुना कारोबार में वृद्धि की स्पष्ट संभावना है।

ङ) इमारतें

- इस क्षेत्र के विशाल क्षमता है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य सरकार के विभाग, बुनियादी विकास परियोजनाओं के साथ आ रहे हैं जो स्टाफ क्वार्टरों, अस्पताल, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों, पर्यटन विकास परियोजनाओं और धन्य-घोषणा कार्यक्रमों के निर्माण की तरह, आवास परिसर आदि। बीसीसीएल ₹800 करोड़ के निवेश के साथ ला रहा है धनबाद में आवास कार्यक्रम। एमओआईएल के खानों में दूसरे चरण के क्वार्टरों के निर्माण का फैसला एच.एस.सी.एल. के पक्ष में होने के अंतिम चरण में हैं। इन के अलावा, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्य निकट भविष्य में कई और ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल ने ₹800 करोड़ का आवास परियोजना एच.एस.सी.एल. के पक्ष में देने के लिए संपर्क किया गया है। आईओसीएल के लिए गोदामों और बीसीसीएल के लिए खनिकों के क्वार्टरों का निर्माण जो चिरस्थायी कारोबार के विस्तार के लिए अन्य संभावित क्षेत्र हैं।
- वर्तमान में इस क्षेत्र में एच.एस.सी.एल. के पास ₹505 करोड़ के कार्य हाथ में है। कम्पनी यथोचित इस क्षेत्र में अपने कारोबार की गुणा उम्मीद कर सकता हैं।

च) शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत सभी राज्यों का शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना होनेवाला हैं।
- एच.एस.सी.एल. पहले से ही त्रिपुरा राज्य में 14 नगर पंचायतों के लिए संकल्पना योजना की तैयारी पर काम कर रहा है। कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पहले से ही मंजूरी दे दी गई है। निधि के आवंटन पर निर्भर करते हुए, इन व्यापक विकास परियोजनाओं, का अनुमानीत लागत ₹3500 करोड़ है, जिसके लिए कम्पनी चरणो में काम लेने का प्रयास करेगी। हालांकि, कोई आवंटन इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक यू डी डी द्वारा जारी नहीं किया गया है।

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों से कम्पनी संपर्क में है।

**छ) सिंचाई और आपदा प्रबंधन परियोजनाऐं**

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान कम्पनी ने उच्च मूल्य के सिंचाई और आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत बड़ी साख अर्जित की है विशेषतः बिहार राज्य में।
- एच.एस.सी.एल. के हाथ में ₹600 करोड़ का बागमती नदी प्रशिक्षण परियोजना के निर्माणधिन कार्य है। इसके अलावा करीब ₹800 करोड़ लागत की महानंदा नदी परियोजना का कार्य बिहार में शीघ्र आने की संभावना है। बागमती और गंगा कटाव विरोधी परियोजनाओं में सफलता प्राप्त करने के आधार पर, महानंदा तटबंध परियोजना हासिल करने की संभावना उज्ज्वल है।
- कम्पनी पहले से ही दक्षिण 24 परगना में एनडीएमए के तहत ₹380 करोड़ का आपदा आश्रय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा कर चुकी है। यह परियोजना प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। लंबी तट रेखा को ध्यान में रखते हुए, मछुआरा समुदाय के लिए आपदा आश्रय, पशुधन और राहत सामग्री के लिए गोदाम, देश के सभी तटीय बाढ़ प्रवण राज्यों में निर्मित होने की संभावना है, जो इस क्षेत्र में एच.एस.सी.एल. को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा ।
- कोसी आपदा प्रबंधन परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा करने में कम्पनी के प्रमाण-पत्र के आधार पर, एच.एस.सी.एल. यथोचित भविष्य में ऐसे और आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को हासिल करने की उम्मीद करता है।

**ज) बंदरगाहों के विकास और रोजगार सहायक**

- इस क्षेत्र में अवसर मौजूद हैं। कम्पनी उच्च संभावना के साथ विविधता के लिए प्रयास कर सकता हैं।

2. <u>ताकत और कमजोरी</u>

**ताकत**

- लंबे समय का संगठन जो निर्माण उद्योग में लगभग 46 वर्षों से है।
- कम्पनी की इकाइयां देश भर में स्थापित है जिसके चलते बिना ज्यादा निवेश के अधिक से अधिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगा।
- इस्पात उद्योग और उससे संबंधित सिविल, संरचनात्मक, यांत्रिक, विद्युत और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में प्रयाप्त अनुभव के कारण दुसरे क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे आदि के कार्यों में विविधता के साथ सफलता दिलाया है।
- प्रयाप्त अनुभव जो उच्च मूल्य के परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए लगातार कठिन पूर्व अर्हता में सहायक होता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र होने के कारण कुछ सरकारी ग्राहकों द्वारा कार्य हासिल करने में प्राथमिक्ता मिलती है।

**कमजोरी**

- कम्पनी की वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव जो भारत सरकार के पास विचाराधीन है, के मंजुर हो जाने पर निम्नलिखित कमजोरियाँ दुर हो जाएंगी।

- ❖ सरकारी ऋण के ब्याज का बोझ जो कि लीबिया के कार्य और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के निर्माण में बहुत सारे कर्मचारियों को भर्ती करने के निर्णय किये जाने के फलस्वरूप जरुरत से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के बोझ को हलका करने के लिए किया गया। छूट के लिए सुझाव दिया गया है।
- ❖ लगातार बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज का ब्याज जो अतिरिक्त कर्मचारियों के वीआरएस के लिए लिया गया था, हालांकि इससे कम्पनी की परिचालन क्षमता पर कोई असर नहीं है। पुनर्गठन पैकेज मंजुर हो जाने से नुकसान खत्म हो जाऐंगे।
- ❖ उपरोक्त नुकसान के कारण नेट वर्थ का खराब दिखना आर्डर हासिल करने के लिए योग्यता मापदंड में बाधक होता है। इस घाटे का निरस्तीकरण हो जाने के बाद कमपनी का नेट वर्थ मजबूत हो जाएगा।
- ❖ कर्ज बोझ बढ़ना और इस कर्ज को पूरा करने के लिए धन की कमी। इस कर्ज के निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव दिया गया है।
- ❖ पिछले कुछ वर्षो से नए कर्मचारियों के भर्ती पर रोक के कारण तकनीकी कर्मचारियों की कमी और खाली जगहों का रिक्त रहना। भर्ती पर प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव में सिफारिश की गई है। बहरहाल, अनुबंध पर अधिष्ठापन से स्थिति में काफी सुधार ला दिया है है।
- ❖ कौशल मानव संसाधन में असंतुलन। प्रस्तावित पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वित होने पर मानवशक्ति को युक्तियुक्त बनाया जाएगा।
- ❖ निर्माण उपकरण बेस को अद्यतन करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव में नए उपकरण खरीदने और मौजूदा उपकरण को मरम्मत करने के लिए निवेश का प्रावधान किया गया है।

**3. <u>अवसर और गैर अवसर</u>**

**अवसर**

- बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि - इस्पात और बुनियादी सुविधा क्षेत्र में परिकल्पित बड़े निवेश।
- सरकार और सरकारी संगठनों द्वारा प्रमुख निवेश - सरकारी विभाग और सरकारी संगठन ज्यादातर निर्माण परियोजनाओ के मालिक हैं। एच.एस.सी.एल. एक पीएसयू होने के कारण इन सरकारी ग्राहकों के अधीन परियोजनाओं को हासिल करने में ज्यादा अवसर रखता है।
- सेल और आरआईएनएल का क्षमता विस्तार कार्यक्रम – एच.एस.सी.एल. अपने पुराने रिश्ते, पर्याप्त मानव शक्ति और उपकरण के बल पर सेल और आरआईएनएल के क्षमता विस्तार के तहत छोटे और मझौले मूल्य के परियोजनाओं को हासिल करने की उम्मीद कर सकता हैं।
- इस्पात उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण ए.एम.आर. और परिचालन कार्यो की मात्रा में वृद्धि होगी। इन कार्यों को करने के लिए एच.एस.सी.एल. को अपने पहले से स्थापित संसाधनों के बल पर ज्यादा से ज्यादा कार्य मिल सकता है।

**गैर अवसर**

- संविदात्मक प्रकार में बदलाव - बीओटी आदि के संविदात्मक प्रकार में बदलाव के तहत मजबूत आर्थिक क्षमता की आवश्यकता होती है जो एच.एस.सी.एल. को कठिन स्थिति में डाल सकता है।

- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से - छोटे निजी क्षेत्र के कम्पनीयों और विदेशी एजेंसियों के संभावित प्रतियोगी होने से एच.एस.सी.एल. को कार्य व्यावहारिक दरों पर पर्याप्त ऑर्डर हासिल करने की संभावना कम हो सकती हैं।
- मुनाफे में दबाव - वर्तमान स्थिति में मुनाफे में दबाव के कारण कम्पनी को उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिए प्रयास करना पड़ता है।
- कड़े पूर्व अर्हता मानदंड - पूर्व अर्हता मानदंड बहुत कठिन होते जा रहे हैं जिसमें एक मजबूत बैलेंस शीट और उपकरणों, आदि की आवश्यकता होती है जो कम्पनी के भारत सरकार द्वारा व्यापक पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन करने बाद कम्पनी पूरा कर सकेगा ।
- सरकारी समर्थन में कमी - निर्माण व्यापार को 'गैर रणनीतिक' क्षेत्र के तहत माना जाता है जिसके कारण आगे चलकर सरकारी संरक्षण मिलने की संभावना कम हो सकती है।

**4. <u>खंड वार एवं उत्पादन वार प्रदर्शन</u>**

कम्पनी एक ही खंड में कारोबार करता है।

**5. <u>दृष्टिकोण</u>**

कम्पनी सरकार द्वारा अपनी स्थापना का मान रखते हुए दृढ़ विश्वास एवं इरादे के साथ बुनियादी ढांचा एवं इस्पात क्षेत्र में अपना योगदान इस्पात मंत्रालय के एक अधीन पीआईयू/के रूप में करती रहेगी जिससे देश के बुनियादी विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

**6. <u>जोखिम और चिंता</u>**

कम्पनी के संभावित घाटा होने और कम्पनी के उपर उसके असर को जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।

कई तरह के जोखिम दिखाई पड़ने शुरू हो जाते है जो ऑर्डर मिलने से लेकर उसके निष्पादन और त्रुटी सुधार एवं ग्राहक की संतुष्टि होने तक के अवधि के बीच उत्पन्न होते हैं ।

कम्पनी के व्यापार निष्पादन में जो मुख्य रूप में जोखिम निहीत होते है वो इस प्रकार हैं :-

**क)** ग्राहक का चयन
**ख)** परियोजना का चयन
**ग)** निष्पादन के तौर तरीकों का चयन
**घ)** उप एजेंसियों का चयन
**ङ)** परियोजना प्रबंधन
**च)** कर्मचारी और सामग्री की सुरक्षा
**छ)** ग्राहक से भुगतान की वसूली
**ज)** परिकल्पित लाभ को बचाना

कान्ट्रेक्ट को हासिल करने और उसके निष्पादन में बहुत सारे जोखिम हैं। यह व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है कि किसी भी परियोजना में सभी शर्तें अनुकूल हो और कोई निश्चित मापदंड सफलता और विफलता के लिए अपनाया जाए। फिरभी, उपरोक्त जोखिमो को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप में चौकस दृष्टीकोण कम्पनी के प्रबंधन द्वारा अपनाया जाता है ताकि उस परियोजना के निष्पादन में कम से कम हो।

## 7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी में उपलब्ध मानव संसाधन के अन्दर एक समग्र नियंत्रण प्रणाली बना दी गई है। 2009-10 के दौरान सेंट्रलाइज्ड नकद प्रबंधन प्रणाली का केन्द्रीकरण कर दिया गया है जिसके चलते कार्यशील पूंजी का उपयोग सूझबूझ के साथ हो रहा है। आने वाले वर्षों में परियोजना निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने के लिए उचित कदम उठाये जायेंगे।

## 8. वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन प्रदर्शन पर तुलनात्मक चर्चा

वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी का परिचालन प्रदर्शन काफी काफी संतोषजनक रहा जिसके तहत परिचालन लाभ (PBIDT) ₹69.09 करोड़ हुआ जो वित्त वर्ष 2009 के मुकाबले 5.5% बढ़ा। वर्तमान परिदृश्य के बाजार अर्थव्यवस्था और कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच कम्पनी ने परिचालन लाभ टर्णओवर के मुकाबले 8.6% प्राप्त किया जो काफी सराहनीय है।

कम्पनी अपने व्यापार को विविध क्षेत्रो में बढ़ाने के राह पर है जिसके चलते कम्पनी के टर्णओवर और परिचालन प्रदर्शन में आने वाले वर्षो में बढ़ोत्तरी होगी।

## 9. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध और कर्मचारियों में काफी प्रगति

1999 जुलाई से पुनर्गठन पैकेज के प्रावधान के अनुसार भर्ती पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी लागू है। पिछले कई वर्षों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और सामान्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से तकनीकी मानवशक्ति में कमी आ जाने और नई भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण बढ़े हुए कार्यो का निष्पादन एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि, इस्पात संयंत्र इकाइयों में श्रमिकों को 880 दिनों से अधिक का बहु कौशल प्रशिक्षण 2009-10 के दौरान प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिया गया।

वर्ष के दौरान किसी भी स्तर के लिए नई भर्ती नहीं हुई। जनशक्ति ताकत वित्तीय वर्ष 2010 के अंत में 1007 था। प्रस्तावित पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन के बाद मानवसंसाधन को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। अनुबंध पर अधिष्ठापन से स्थिति में काफी सुधार ला दिया है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबन्ध आमतौर पर अच्छे रहे।

## 10. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कम्पनी देश भर में विभिन्न ग्राहकों की ओर से परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है। पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और अक्षय ऊर्जा विकास के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

## 11. निगमित सामाजिक दायित्व

कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कोई कार्यक्रम नहीं की है।

कम्पनी की सीएसआर नीति सार्वजनिक उपक्रम विभाग के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया है।

अनुमोदित नीति के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ सीएसआर कार्यक्रम के तहत आने वाले वर्षों में कम्पनी द्वारा की जाएगी :-

**क. शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा**

- पुस्तक, कलम, पेंसिल, कॉपी और स्कूल बैग आदि का वितरण
- शिक्षक और छात्रों के लिए स्कूल में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना जैसे कि आराम से बैठने की व्यवस्था
- हैंड पम्पों की स्थापना के माध्यम से शुद्ध पीने के पानी की आपूर्ति
- सरकारी सहायता से चल रहे स्कूलों में अध्ययन के लिए प्रयोगशाला जैसी सुविधायें उपलब्ध कराना
- मेधावी छात्रों को एक/दो साल की अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना

**ख. स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और चिकित्सा बुनियादी सुविधा**

- जिन राज्यों में कम्पनी कार्य कर रही है उस क्षेत्र के रोगीयों के लाभ के लिए सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस प्रदान करना और अन्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करना
- अविकसित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए बुनियादी सुविधा प्रदान करना

**ग. नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का सौर उर्जा पहल**

- दूरदराज के क्षेत्रों में गरीब ग्रामीणों के लिए प्रदूषण मुक्त सौर लालटेन के माध्यम से रोशनी प्रदान करना।
- एमएनआरईएस के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार के सौर ऊर्जा पहल में सामान्य व्यय के साथ शामिल होना।

कम्पनी आने वाले वर्षों में समाज का हित करने के लिए यथा संभव योगदान करती रहेगी।

**सजग वक्तव्य :** प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य कम्पनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अनुमान वर्णन, अपेक्षाओं को प्रचलित कानूनों और नियमों के तहत भावी दृष्टीकोण के वक्तव्य के रूप में समझना चहिए। वास्तविक परिणाम उपरोक्त ब्यानो से भिन्न हो सकता है जो आर्थिक स्थिति, सरकार की नीतियां, कर नीतियां और अप्रत्याशित कारणों पर निर्भर करेगा।

# निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

## 1. निगमित प्रशासन पर कम्पनी का सिद्धांत

निगमित प्रशासन सिद्धांतों, प्रक्रिया, दिशा निर्देशों और प्रणालियों का एक समूह होता है जो निदेशकों, प्रबंधन और कम्पनी के सभी कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से शेयरधारकों और सामान्य में अन्य हितधारकों के प्रति पारदर्शीता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए पालन किया जाता है। आपकी कम्पनी का सिद्धांत लगातार उत्तम निगमित प्रशासनीक प्रथाओं का पालन करते हुए हितधारकों के हित का ध्यान रखना और ग्राहकों की संतुष्टि को क़ायम रखना है।

## 2. निदेशक मंडल

कम्पनी के निगमित प्रशासन नीति के संदर्भ में, सभी सांविधिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और सामग्री बोर्ड के समक्ष रखा जाता है ताकि वह कम्पनी के ट्रस्टी के रूप में शेयरधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम्पनी की देखरेख की रणनीतियां बना सके।

### रचना

कम्पनी के दो पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक (कार्यात्मक निदेशक), दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक(सरकारी निदेशक) एवं एक अंशकालिक अशासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। एक और स्वतंत्र निदेशक शामिल होने से कम्पनी के निदेशक बोर्ड की संरचना सक्षम हो जाएगी जो निगमित प्रशासन पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा ।

31 मार्च 2010 तक निदेशक मन्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार है :-

| निदेशक का नाम | पदनाम | श्रेणी | अन्य निदेशक/निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| श्री मलय चर्टजी | अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक | पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक | शून्य |
| श्री अभिजित घोष | निदेशक (वित्त) | पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक | शून्य |
| डा. दलीप सिंह, आईएएस संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय | निदेशक | अंशकालिक आधिकारिक | 7 |
| श्री जे.पी. शुक्ला, निदेशक, इस्पात मंत्रालय | निदेशक | अंशकालिक आधिकारिक | शून्य |
| श्री एस बी मिश्रा | स्वतंत्र निदेशक | अंशकालिक आधिकारिक | 3 |

* *इंडियन पब्लिक लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में निदेशक रखने का प्रावधान है।*

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण

बोर्ड की बैठक की संख्या

| सीरियल नंबर | बैठक की तिथि | बोर्ड की शक्ति | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 27-06-2009 | 5 | 3 |
| 2. | 14-09-2009 | 5 | 4 |
| 3. | 16-11-2009 | 5 | 5 |
| 4. | 30-03-2010 | 5 | 4 |

बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

| निदेशक | बोर्ड की बैठक की संख्या | | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (23-09-2009) |
|---|---|---|---|
| | आयोजित | भाग लिया | |
| श्री मलय चर्टजी | 4 | 3 | हां |
| श्री अभिजित घोष | 4 | 4 | हां |
| डा. दलीप सिंह, आईएएस संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय | 4 | 4 | # |
| श्री जे.पी. शुक्ला, निदेशक, इस्पात मंत्रालय | 4 | 4 | # |
| श्री एस बी मिश्रा | 4 | 1 | लागू नहीं |

#भारत सरकार के अवर सचिव, इस्पात मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर) पिछले वार्षिक आम बैठक में भाग लिये

बोर्ड के सदस्य के नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के नियम, शर्तें एवं कार्यकाल के साथ ही पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशकों का निर्णय भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

**3. लेखा परीक्षा समिति**

लेखा परीक्षा समिति अभी तक एक और स्वतंत्र निदेशक के बोर्ड में न शामिल होने के कारण अभी तक गठित नहीं हुई है।

**4. पारिश्रमिक समिति**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता हैं और इसलिए कम्पनी ने इसके लिए किसी भी वेतन समिति का गठन नहीं किया है।

## निदेशक मंडल को पारिश्रमिक/मुआवजा

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) की मासिक पारिश्रमिक भुगतान के रूप में भारत सरकार द्वारा तय की गई है। अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक को निदेशक बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के फीस मिलते हैं। कम्पनी के बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए निदेशकों का व्यय कम्पनी वहन करती है।

## 5. आम सभा की बैठक का विवरण

पिछले तीन आम सभा की बैठक का विवरण निम्नानुसार हैं :-

| समाप्त वित्तीय वर्ष | बैठक | दिनांक | समय | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 45 वां वार्षिक आम बैठक | 23 सितम्बर 2009 | 11.00 बजे | कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पी 34 ए, गरियाहाट रोड (दक्षिण) कोलकाता – 7000 31 |
| 2007-08 | 44 वां वार्षिक आम बैठक | 8 अगस्त 2008 | 11.00 बजे | कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पी 34 ए, गरियाहाट रोड (दक्षिण) कोलकाता – 7000 31 |
| 2006-07 | 43 वां वार्षिक आम बैठक | 24 अगस्त 2008 | 11.00 बजे | कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पी 34 ए, गरियाहाट रोड (दक्षिण) कोलकाता – 7000 31 |

## 6. प्रकाशन

I. वर्ष के दौरान वहाँ निदेशक या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई सामग्री लेनदेन नहीं हुई है जिससे कम्पनी के व्यावसाय पर बुड़ा असर पड़े।

II. निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति को नियमित रूप से बोर्ड के सामने किया जाता है। कम्पनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों की सभी आवश्यकताओं के साथ पालन कर रही है सिवा लेखा परीक्षा समिति की संरचना को छोड़कर जो की बोर्ड में एक और स्वतंत्र निदेशक के न शामिल होने की वजह से लंबित है।

III. वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए राष्ट्रपति के निर्देशों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

IV. वर्ष के दौरान, कोई भी ऐसा व्यय खातों मे नहीं दर्शाया गया है जो कम्पनी के कारोबार से संबंधित नहीं है अथवा जो कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य का हो ।

## 7. संचार के साधन

कम्पनी के वित्तीय परिणाम अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता हैं, www.hscl.co.in

## 8. लेखा परीक्षकों के अनुपालन प्रमाण पत्र

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कम्पनी ने निगमित प्रशासन की शर्तों का पालन किया है, जिसकी प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 9. आचार संहिता

कम्पनी अपने कारोबार का संचालन करने के लिए व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के साथ नियमों, विनियमों और लागू कानूनों का पालन करने का लगातार प्रयास कर रही है।

कम्पनी का मानना है कि एक अच्छा निगमित प्रशासन संरचना केवल मूल्य सृजन को प्रोत्साहित नहीं बल्कि जवाबदेही और नियंत्रण से जुड़े जोखिम के अनुरूप प्रणाली प्रदान करना है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार के संचालन के लिए नैतिकता और आचार संहिता को अपनाया है जो कम्पनी के वेबसाइट www.hscl.co.in पर उपलब्ध है।

आचार संहिता को बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों को परिचालित किया गया है जिसके अनुपालन का उनके द्वारा पुष्टि की गई है । रिपोर्ट के साथ इस घोषणा की एक प्रति संलग्न है।

# हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

## 2009-10

### निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड निर्माण, 5 / 1, कमीसेरियट रोड (हेस्टिंग्स) कोलकाता - 700022 एक सरकारी कम्पनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए, जो शर्तें लीस्टींग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में उल्लेखीत है वह निगमित प्रशासन के अनुपालन के साथ कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं लेकिन कम्पनी के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया है क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की गैर सूचीबद्ध उपक्रम है।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, के प्रबंधन के द्वारा वांछित के रूप में हमनें वर्ष 2009-2010 रूप-रेखा के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ कम्पनी द्वारा निगमित प्रशासन के अनुपालन की जांच की है।

निगमित प्रशासन की नियम का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाया हमारी परीक्षा प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन के लिए सीमित है । यह न तो एक लेखा परीक्षा और न ही कम्पनी के वित्तीय वक्तव्यों पर राय की एक अभिव्यक्ति है।

हम इस प्रकार अनुगमन करते हैं:

1. कम्पनी द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।
2. विभिन्न कानूनों के अनुपालन के लिए लागू आवधिक रिपोर्ट कम्पनी के निदेशक मंडल के विचार के लिए तैयार नहीं है।
3. किसी भी वरीष्ठ अधिकारी द्वारा रूची का खुलासा निदेशक मंडल को नहीं दिया गया है।

हमारी राय में उपलब्ध सुचनाओं के आधार पर एवं कम्पनी द्वारा हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऊपर के टिप्पणियों के अधीन हम प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने निगमित प्रशासन की शर्तों का पालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं की ऐसे अनुपालन न तो कम्पनी की व्यवहार्यता के रूप में एक आश्वासन है और न ही क्षमता या प्रभावकारिता जिसके साथ कम्पनी ने अपना व्यवसाय चलाया है।

**कृते एस.एन.मुखर्जी एण्ड क.**
चार्टर्ड लेखापाल

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27.08.2010

**सपन कु. हलदर**
साझेदार
(सदस्यता सं0: 058186)

**सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा निर्देशों के तहत घोषणा**

**जिससे भी संबंधित हो**

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश के अनुसार मैं, सभी निदेशकों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक एतदद्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करता हुँ जो 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उन पर लागू होते हैं।

**मलय चटर्जी**

दिनांक 30 जून, 2010

**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

## तुलन पत्र 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का

( ₹ लाख में))

| विवरण | अनुसूचीयाँ | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **भागीदारों की निधि** | | | | | | |
| क) शेयर पूँजी | 1 | **11,710.00** | | | 11,710.00 | |
| ख) आरक्षित और अधिशेष | 2 | **1.18** | **11,711.18** | | 1.18 | 11,711.18 |
| **ऋण निधियां** | 3 | | | | | |
| क) प्रतिभूत | | **54,969.11** | | | 56,258.48 | |
| ख) अप्रतिभूत | | **95,330.46** | **150,299.57** | | 85,490.09 | 141,748.57 |
| **आस्थगित कर दायितायें** | | | **44.51** | | | 47.83 |
| | **कुल** | | **162,055.26** | | | **153,507.58** |
| निधियों का उपयोग | | | | | | |
| **अचल परिसंपत्तियाँ** | 4 | | | | | |
| क) कुल परिसंपत्तियाँ | | **8,106.22** | | | 7,574.54 | |
| ख) घटायें : ह्रास मूल्य | | **5,212.33** | | | 5,084.73 | |
| ग) शुद्ध परिसम्पत्तियाँ | | | **2,893.89** | | | 2,489.81 |
| **कार्यरत पूंजी** | | | **16.10** | | | 0.00 |
| **पूँजी निवेश** | 5 | | **0.02** | | | 0.02 |
| **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम** | 6 | | | | | |
| क) सामग्रियाँ | | **587.67** | | | 2,393.83 | |
| ख) विविध देनदार | | **31,165.80** | | | 20,466.94 | |
| ग) नकद तथा बैंक शेष | | **20,542.33** | | | 17,173.17 | |
| घ) ऋण एवं अग्रिम | | **25,592.09** | | | 24,216.34 | |
| | | **77,887.89** | | | 64,250.28 | |
| **घटायें : चालू दायितायें और प्रावधान** | 7 | | | | | |
| क) चालू दायितायें | | **58,527.12** | | | 49,373.94 | |
| ख) प्रावधान | | **2,506.70** | | | 856.58 | |
| | | **61,033.82** | | | 50,230.52 | |
| **शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ** | | | **16,854.07** | | | 14,019.76 |
| **विविध व्यय** | | | | | | |
| जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला और न समायोजित किया गया | | | | | | |
| **आस्थगित राजस्व व्यय** | 16 | | **0.00** | | | 166.19 |
| **लाभ - हानि लेखा** | | | **142,291.18** | | | 136,831.80 |
| | **कुल** | | **162,055.26** | | | **153,507.58** |
| **महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ** | 18 | | | | | |
| **लेखाओं पर टिप्पणियाँ** | 19 | | | | | |

उपर्युक्त अनुसूचियाँ खातों का अभिन्न अंग हैं
हमारे इसी तिथि के प्रतिवेदन के संदर्भ में।

कृते - एस.एन.मुखर्जी एण्ड कं — चार्टर्ड लेखापाल — फर्म पंजीकरण सं.301079 ई

कृते - एस.के.भट्टाचार्या एण्ड कं — चार्टर्ड लेखापाल — फर्म पंजीकरण सं.307047 ई

**(सपन कु. हलदर)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं.:58186**

**(बिकाश सेनगुप्ता)**
**साझेदार** **Patner**
**सदस्यता सं.:7593**

**(मलय चटर्जी)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक**

**(डा दलीप सिंह भा.प्र.से)**
**निदेशक**

**(अभिजित घोष)**
**निदेशक (वित्त)**

**(जे. पी. शुक्ला)**
**निदेशक**

**(विनीता बच्छावत)**
**कम्पनी सचिव**

**स्थान:- कोलकाता**
**दिनांक:- 17.08.2010**

## 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ - हानि लेखा

(₹ लाख में))

| | अनुसूचियाँ | | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (अ). आय विवरण | | | | | | |
| क) निर्माण अनुबंध से होने वाली आय | 8 | | **78,516.78** | | | 69,918.58 |
| ख) प्राप्तियां | | | **0.00** | | | 721.72 |
| ग) अन्य प्राप्तियां | 9 | | **1,518.67** | | | 1,485.25 |
| घ) आनावश्यक प्रावधान पुरांकित | | | **2,800.85** | | | 1,484.61 |
| | **कुल (अ)** | | **82,836.30** | | | **73,610.16** |
| (आ). व्यय | | | | | | |
| क) उप ठेकेदार को भुगतान | | | **68,663.78** | | | 61,020.34 |
| ख) भंडार का उपभोग | 10 | | **2,687.19** | | | 1,529.58 |
| ग) कर्मचारियों को भुगतान तथा उसके लिए प्रवधान | 11 | | **3,686.64** | | | 1,818.68 |
| घ) निर्माण उपकरणों को चालू रखने तथा उनके रख-रखाव और मरम्म्त पर खर्च | 12 | | **516.22** | | | 515.94 |
| ङ) अन्य खर्च | 13 | | **1,618.43** | | | 1,809.42 |
| च) दावे के निपटान पर घाटा | | | **165.68** | | | 171.26 |
| छ) प्रावधान | 14 | | **171.63** | | | 1,145.67 |
| ज) ह्रास | 4 | | **280.10** | | | 276.80 |
| झ) ब्याज और वित्तीय प्रभार | 15 | | **10,064.76** | | | 6,520.96 |
| | **कुल (आ)** | | **87,854.43** | | | **74,808.65** |
| **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | | | **(5,018.13)** | | | **(1,198.49)** |
| विविध व्यय बट्टे खाते डाले गए | 16 | | **(166.19)** | | | (295.56) |
| जोड़ें/(कम) पहले वर्ष के लिए संबंधित समायोजन | 17 | | **(278.38)** | | | 823.00 |
| **लाभ/(हानि) टैक्स से पहले** | | | **(5,462.70)** | | | **(671.05)** |
| कम : करारोपण के लिए प्रावधान | | | | | | |
| आस्थगित कर | | **(3.32)** | | | 8.60 | |
| फ्रींज लाभ कर | | **0.00** | | | 8.78 | |
| | | | **3.32** | | | (17.38) |
| **लाभ/(हानि) टैक्स के बाद** | | | **(5,459.38)** | | | **(688.43)** |
| जोड़ें : पिछले वर्ष का अग्रेणित शेष हानि | | | **(136,831.80)** | | | **(136,143.37)** |
| **लाभ/(हानि) तुलन पत्र में आगे बढ़ाया गया** | | | **(142,291.18)** | | | **(136,831.80)** |
| **प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य `. 1000/-)** | | | | | | |
| इक्वीटि शेयर धारकों आरोप्य लाभ/हानि | | | **(5,459.38)** | | | **(688.43)** |
| औसत/महत्वाले औसत शेयरों की संख्या | | | **1,171,000** | | | **1,171,000** |
| प्रतिशेयर आय (मूल और डाइल्यूटेड) | | | **(466.22)** | | | **(58.79)** |

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ** 18

**लेखाओं पर टिप्पणियाँ** 19

उपर्युक्त अनुसूचियाँ लेखा का अभिन्न अंग है
हमारे इसी तिथि के प्रतिवेदन के संदर्भ में।

**कृते एस.एन.मुखर्जी एण्ड कं** — चार्टर्ड लेखापाल — फर्म पंजीकरण सं.301079 ई

**कृते एस.के.भट्टाचार्या एण्ड कं** — चार्टर्ड लेखापाल — फर्म पंजीकरण सं.307047 ई

**(सपन कु. हलदर)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं.: 58186**

**(बिकाश सेनगुप्ता)**
**साझेदार**
**सदस्यता सं.:7593**

**(मलय चटर्जी)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबन्**

**(डा दलीप सिंह भा.प्र.से)**
**निदेशक**

**(अभिजित घोष)**
**निदेशक (वित्त)**

**(जे. पी. शुक्ला)**
**निदेशक**

**(विनीता बच्छावत)**
**कम्पनी सचिव**

**स्थान:- कोलकाता**
**दिनांक:- 17.08.2010**

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है**

## अनुसूची 1 : शेयर पूँजी

(₹ लाख में))

| | 31.03.2010 | | 31.03.2009 |
|---|---|---|---|
| **प्राधिकृत** | | | |
| 15,00,000 इक्वीटी शेयर (प्रत्येक `. 1000/-) | **15,000.00** | | **15,000.00** |
| **निर्गत अभिदत्त एवं चुकता पूँजी** | | | |
| 11,71,000 (विगत वर्ष 1171,000) इक्वीटी शेयर प्रत्येक `.1000 के भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः अदा किए गए। उपरोक्त में से 9,71,000 शेयर (विगत वर्ष 1171,000) आयोजन ऋण के रूप में परिवर्त्तित कर निर्गत किए गये। | **11,710.00** | | 11,710.00 |
| **कुल** | **11,710.00** | | **11,710.00** |

## अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाख में))

| | 31.03.2010 | | 31.03.2009 |
|---|---|---|---|
| **आरक्षित पूँजी** | | | |
| विगत लेखा अनुसार | **1.18** | | 1.70 |
| घटाएँ : अपेक्षाकृत मुल्य में कम निवेश | ---- | | 0.52 |
| **कुल** | **1.18** | | **1.18** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है**

## अनुसूची 3 : ऋण निधि

**(₹ लाख में))**

| | | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अ.** | **प्रतिभूत ऋण :** | | | | | |
| | **अनुसूचित बैंको से :** | | | | | |
| | **1. आवधिक ऋण.** | | | | | |
| | (क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत | **51,836.00** | | | 51,836.00 | |
| | (ख़) उपर्युक्त पर उपार्जित और देय ब्याज | **3,124.82** | | | 3,696.57 | |
| | | | **54,960.82** | | | 55,532.57 |
| | **2. कार्यशील पूँजी ऋण :** | | | | | |
| | नकद ऋण | | **8.29** | | | 725.91 |
| | **टिप्पणी :** | | | | | |
| | 1. कर्मचारियों को स्वैच्छिक लाभ के भुगतान के वास्ते बैंको से प्राप्त आव्धिक ऋण भारत सरकार के द्वारा प्रत्याभूत है। (संदर्भ - 1 क) | | | | | |
| | 2. नकद ऋण, कम्पनी के माल भंडार,स्पेयर और खाता ऋणों के एवज में प्रतिभूत है तथा `. 1200.00 लाख के वास्ते भारत सरकार की गारंटी के भी आधीन है। | | | | | |
| | **कुल (क)** | | **54,969.11** | | | **56,258.48** |
| **आ** | **अप्रतिभूत ऋण** | | | | | |
| | निम्नलिखित से :- | | | | | |
| क) | भारत सरकार | | **54,964.00** | | | 54,664.00 |
| ग) | उपरोक्त पर प्रोदभूत ब्याज एवं देय: | | | | | |
| | भारत सरकार का उधार | | **40,366.46** | | | 30,568.96 |
| घ) | खाते में जमा रकम | | **0.00** | | | 257.13 |
| | **कुल (ख)** | | **95,330.46** | | | **85,490.09** |
| | **कुल (क + ख)** | | **150,299.57** | | | **141,748.57** |

31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है

## अनुसूची 4: अचल परिसंपत्तियाँ (सामान्य)

(₹ लाख में))

| आस्तियों के प्रकार | लागत 01.04.2009 तक | लागत वर्ष के दौरान घटाव/समायोजन | लागत वर्ष के दौरान घटाव/समायोजन | लागत 31.03.2010 तक | ह्रास मूल्य 01.04.2009तक | ह्रास मूल्य वर्ष के दौराण | ह्रास मूल्य घटाव/समायोजन | ह्रास मूल्य 31.03.2010 तक | शुद्ध खण्ड 31.03.2010 | शुद्ध खण्ड 31.03.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूसंपत्ति | **0.00** | 556.00 | 0.00 | **556.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **556.00** | 0.00 |
| भवन | **1,124.39** | 0.00 | 1.67 | **1,122.72** | **453.19** | 17.68 | 0.35 | **470.52** | **652.20** | 671.20 |
| रेलवे साइडिंग | **3.26** | 0.00 | 0.00 | **3.26** | **3.10** | 0.00 | 0.00 | **3.10** | **0.16** | 0.16 |
| संयंत्र और मशीनरी | **5,613.99** | 54.11 | 158.85 | **5,509.25** | **3,928.83** | 244.59 | 150.34 | **4,023.08** | **1,486.17** | 1,685.16 |
| कार्यालय उपकर और इंजीनियरी | **214.43** | 15.60 | 1.75 | **228.28** | **152.09** | 10.43 | 1.26 | **161.26** | **67.02** | 62.34 |
| फर्नीचर और जुड़नार | **110.53** | 7.30 | 0.92 | **116.91** | **89.75** | 1.28 | 0.77 | **90.26** | **26.65** | 20.78 |
| वाहन | **69.97** | 18.48 | 8.96 | **79.49** | **67.48** | 0.26 | 8.51 | **59.23** | **20.26** | 2.49 |
| विद्युत उप केंद्र एवं शिरोपरी लाईन | **2.59** | 0.00 | 0.00 | **2.59** | **2.46** | 0.00 | 0.00 | **2.46** | **0.13** | 0.13 |
| अनुषगी कार्यों की पूँजी में परिणति | **400.16** | 0.00 | 1.14 | **399.02** | **366.30** | 6.99 | 1.06 | **372.23** | **26.79** | 33.86 |
| परिसम्पति प्रत्यक्ष प्रभारित | **13.36** | 6.99 | 0.02 | **20.33** | **13.36** | 6.99 | 0.02 | **20.33** | **0.00** | 0.00 |
| अस्पष्टसंपति | **10.16** | 0.69 | 0.00 | **10.85** | **8.17** | 1.69 | 0.00 | **9.86** | **0.99** | 1.99 |
| **कुल (क)** | **7,562.84** | **659.17** | **173.31** | **8,048.70** | **5,084.73** | **289.91** | **162.31** | **5,212.33** | **2,836.37** | **2,478.11** |
| **पिछले वर्ष के आंकड़े** | 7,520.56 | 199.64 | 157.36 | 7,562.84 | 4,943.75 | 285.40 | 144.42 | 5,084.73 | 2,478.11 | |

## अनुसूची 4: अचल परिसंपत्तियाँ (सक्रिय प्रयोग से सेवानिवृत्त)

| आस्तियों के प्रकार | 01.04.2009 तक | वर्ष के दौरान घटाव/समायोजन | वर्ष के दौरान घटाव/समायोजन | 31.03.2010 तक | 01.04.2009 तक | वर्ष के दौराण | घटाव/समायोजन | 31.03.2010 तक | 31.03.2010 | 31.03.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुपयोगी संपति | **11.70** | 52.98 | 7.16 | **57.52** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **57.52** | 11.70 |
| **कुल (ख)** | **11.70** | **52.98** | **7.16** | **57.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **57.52** | 11.70 |
| **कुल (क + ख)** | **7,574.54** | 712.15 | 180.47 | **8,106.22** | **5,084.73** | 289.91 | 162.31 | **5,212.33** | **2,893.89** | 2,489.81 |

## अनुसूची 4: अचल परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति)

| | | |
|---|---|---|
| **पूँजीगत कार्य प्रगति** | **16.10** | **0.00** |
| | **16.10** | **0.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **कुल** | **2,909.99** | **2,489.81** |

| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| **टिप्पनी : ह्रास का आबंटन** | | |
| 1. लाभ - हानि लेखा | | |
| (क) टाउन शिप | **16.19** | 16.21 |
| (ख) अन्य | **263.91** | 260.59 |
| **लाभ और हानि खाता** | **280.10** | **276.80** |
| 2. पूर्वावधि (अनुसूची 17) | **9.81** | 8.60 |
| **कुल** | **289.91** | **285.40** |

31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है

## अनुसूची 5 : पूँजी निवेश

(₹ लाख में))

| | 31.03.2010 | 31.03.2009 |
|---|---|---|
| **पूँजी निवेश (दीर्घ कालिक)** | | |
| व्यापार निवेश-भाव रहित : इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) में 54 इक्विटी शेयर प्रत्येक `. 1000/- के पूर्णतया अदा किए हुए.कम `. 38.95 प्रत्येक को रिस्ट्रक्चरिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त | **0.02** | 0.02 |
| कुल | **0.02** | **0.02** |

## अनुसूची 6 : चालू परिसंपत्तियाँ - ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में))

| | | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | चालू परिसंपत्तियाँ | | | | | |
| 1 | परिसंपत्ति सूची (लागत या कम मूल्य पर) | | | | | |
| | **(क) भारत में** | | | | | |
| | भंडार एवं पुरजे (मार्गस्थ भंडार एवं कतरनों सहित) | **431.05** | | | 531.21 | |
| | घटाएँ : प्रावधान | **166.42** | | | 192.55 | |
| | | | **264.63** | | | 338.66 |
| | फुटकर औजार | **1.53** | | | 1.16 | |
| | **घटाएँ : प्रावधान** | **1.03** | | | 1.03 | |
| | | | **0.50** | | | 0.13 |
| | कार्यस्थलों पर पड़ी सामाग्री | **419.79** | | | 2,158.05 | |
| | **घटाएँ : प्रावधान** | **97.25** | | | 103.01 | |
| | | | **322.54** | | | 2,055.04 |
| | भंडार की कमी | **142.05** | | | 142.05 | |
| | **घटाएँ : प्रावधान** | **142.05** | | | 142.05 | |
| | | | **0.00** | | | 0.00 |
| | क्षतिग्रस्त, बेकार और रद्दी भंडार | **111.77** | | | 121.12 | |
| | **घटाएँ : प्रावधान** | **111.77** | | | 121.12 | |
| | | | **0.00** | | | 0.00 |
| | **कुल (क)** | | **587.67** | | | **2,393.83** |
| | **ख) लीबीया में** | | | | | |
| | I) केन्द्रीय भंडार | **47.03** | | | 47.03 | |
| | ii) कार्यस्थल पर पड़ी सामाग्री | **220.59** | | | 220.59 | |
| | | **267.62** | | | 267.62 | |
| | **घटाएँ : प्रावधान** | **267.62** | | | 267.62 | |
| | | | **0.00** | | | 0.00 |
| | कुल (ख) | | **0.00** | | | **0.00** |
| | कुल (क + ख) | | **587.67** | | | **2,393.83** |

31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है

अनुसूची - 6 : चालू परिसंपत्तियाँ - ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में))

| विवरण | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **II) विविध देनदार (असुरक्षित)** | | | | | |
| **क) जिन्हें अच्छा समझा गया:** | | | | | |
| छ : मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण | **36,082.78** | | | 34,134.84 | |
| **घटाएँ : तदर्थ प्रसियाँ** | **28,005.40** | **8,077.38** | | 27,773.93 | 6,360.91 |
| अन्य ऋण | **16,589.35** | | | 5,861.57 | |
| **घटाएँ : तदर्थ प्रसियाँ** | **1,837.83** | **14,751.52** | | 62.01 | 5,799.56 |
| परिसम्पदित किन्तु बिल नहीं बनाए गए कार्य | **7,019.75** | | | 5,370.12 | |
| **घटाएँ : अग्रिम** | **301.04** | | | 326.97 | |
| **घटाएँ : प्रावधान** | **83.31** | **6,635.40** | | 188.18 | 4,854.97 |
| ग्राहको पर किए गए दावे | **6,796.00** | | | 10,196.00 | |
| **घटाएँ : प्रावधान** | **5,094.50** | **1,701.50** | | 6,744.50 | 3,451.50 |
| **ख) जिन्हें संदिग्ध समझा गया :** | **1,328.31** | | | 1,383.29 | |
| **घटाएँ : प्रावधान** | **1,328.31** | **0.00** | | 1,383.29 | 0.00 |
| **कुल विविध देनदार** | | **31,165.80** | | | **20,466.94** |
| | | | | | |
| **III) नकद तथा बैंक अधिशेष** | | | | | |
| नकद हाथ में (यथा अभिप्रमाणित) | | **1.15** | | | 0.97 |
| चेक हाथ में | | **41.07** | | | 191.70 |
| मार्गस्थ नकदी | | **0.00** | | | 69.00 |
| **अनुसूचित बैंको के यहाँ अधिशेष** | | | | | |
| चालू खाते में | | **5,358.58** | | | 5,330.97 |
| जमा खाते में | | **14,844.75** | | | 11,379.00 |
| क्वार्टर धारण के एवज में जमा खाते पर (संविदा-अनुसूची-7) | | **295.49** | | | 200.24 |
| **गैर - अनुसूचित बैंको के यहाँ अधिशेष** | | | | | |
| चालू खाते में (स्थगीत खाता)) | | | | | |
| रफीदियान बैंक, बगदाद, इराक | | **0.05** | | | 0.05 |
| उमा बैंक, त्रिपोली, लीबिया | | **0.10** | | | 0.10 |
| वाधा बैंक त्रिपोली, लीबिया | | **0.07** | | | 0.07 |
| जमहीरिया बैंक, त्रिपोली और गरीयन, लीबिया | | **1.07** | | | 1.07 |
| **कुल नकद और बैंक अधिशेष** | | **20,542.33** | | | **17,173.17** |

## 31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है

### अनुसूची - 6 B : चालू परिसंपत्तियाँ - ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में))

| | विवरण | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ. | **ऋण एवं अग्रिम :** | | | | | |
| | **i) अप्रतिभूत आग्रिम** | | | | | |
| | क) आपूर्ति कर्त्ताओं को | **175.23** | | | 243.20 | |
| | ख) ठेकेदारो को | **1,567.76** | | | 1,627.21 | |
| | ग) ठेकेदारो को (बैंक गारंटी के एवज में) | **1,760.48** | | | 1,226.81 | |
| | | **3,503.47** | | | 3,097.22 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **868.80** | | | 871.04 | |
| | | **2,634.67** | | | 2,226.18 | |
| | घ) कर्मचारी | **3.62** | | | 2.97 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **0.01** | | | 0.01 | |
| | | **3.61** | | | 2.96 | |
| | ङ) अन्य | **50.68** | | | 66.54 | |
| | | | **2,688.96** | | | 2,295.68 |
| | **ii) जमा** | | | | | |
| | क) डाक एवं तार, सीमा शुल्क, आदि | **8.03** | | | 8.09 | |
| | ख) अन्य | **12,948.08** | | | 12,266.46 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **637.30** | | | 591.35 | |
| | | | **12,318.81** | | | 11,683.20 |
| | **iii) ग्राहको द्वारा वसूल किया गया आयकर** | **161.39** | | | 161.67 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **64.90** | | | 64.49 | |
| | | | **96.49** | | | 97.18 |
| | **iv) भंडार और सेवाओं के लिए ठेकेदारों से प्राप्त रकम** | **2,137.78** | | | 1,885.66 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **684.20** | **1,453.58** | | 620.20 | 1,265.46 |
| | **v) अन्य प्रप्तियाँ** | | | | | |
| | क) अचल परिसम्पत्तियों पर उपार्जित विशुद्ध ब्याज | | **415.97** | | | 334.32 |
| | ख) ऋण एवं अग्रिम पर उपार्जित विशुद्ध ब्याज | **160.78** | | | 129.88 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **77.51** | | | 77.51 | |
| | | | **83.27** | | | 52.37 |
| | ग) भारत सरकार से प्राप्य स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर सहायता कर्जे पर उपार्जित ब्याज | | **5,262.14** | | | 5,968.69 |
| | घ) पूर्वदत व्यय | | **18.21** | | | 32.34 |
| | च) ग्राहकों से | | **866.74** | | | 963.31 |
| | छ) अग्रिम राशि(एच.एस.सी.एल-एस.आई.पी.एल.सन्युक्त भेंचर) | **864.45** | | | 861.81 | |
| | **घटाएँ : कम अनुमानित** | **821.82** | | | 814.88 | |
| | | | **42.63** | | | 46.93 |
| | ज) एन.एच.ए.आई.से पावना (ए/का. एच.एस.सी.एल-एस आई.पी.एल. सन्युक्त भेंचर) | **799.89** | | | 799.89 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **0.00** | | | 0.00 | |
| | | | **799.89** | | | 799.89 |
| | झ) अन्य | **1,909.63** | | | 1,315.90 | |
| | **घटाएँ : संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान** | **364.23** | | | 638.93 | |
| | | | **1,545.40** | | | 676.97 |
| | **कुल** | | **25,592.09** | | | **24,216.34** |

31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र का अंतर्भाग है

## अनुसूची 7 : वर्तमान दायितायें एवं प्रावधान

(₹ लाख में))

| | विवरण | 31.03.2010 | | | 31.03.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. | **वर्तमान दायितयें :** | | | | | |
| 1 | **विविध लेनदार :** | | | | | |
| | i) सप्लायर्स (जिसमें ग्राहको से प्राप्त सामग्रियों के लिए दायितायें भी शामील है) | | **1,209.20** | | | 2,062.68 |
| | ii) ठेकेदारों के दावे | | **411.97** | | | 734.47 |
| | iii) सम्पन्न कार्यो के ठेकेदार और नहीं किया गया कार्य | **32,180.04** | | | 19,695.85 | |
| | घटायें : अग्रिम (संदिग्ध वसूली के लिए किए गये प्रावधान के पश्चात शुद्ध `. 34.69 लाख विगत वर्ष `. 34.89 लाख) | **3,228.86** | **28,951.18** | | 2,480.83 | 17,215.02 |
| | iv) ग्राहकों से अग्रिम: | | | | | |
| | क.) लामबंदी और अन्य | **6,770.75** | | | 8,757.01 | |
| | ख.) सिविल अभियांत्रिकी वस्तुओं के लिए | **246.03** | | | 299.43 | |
| | ग.) मशीनरी एवं संरचनात्मक वस्तुओं के लिए | **257.75** | **7,274.53** | | 619.29 | 9,675.73 |
| | v) अन्य | | **6,843.90** | | | 7,642.99 |
| | vi) भारत सरकार से प्राप्त ऋणों पर उपार्जित किंतु देय नही ब्याज | | **1,240.69** | | | 1,203.72 |
| 2 | **जमा:** | | | | | |
| | ब्याना राशि प्रतिभूति जमा एवं अन्य जमा | | **12,300.16** | | | 10,639.09 |
| | दायितायें एफ.डि.आर. क्वार्टर धारण (अनुसूची-6 ए) | | **295.49** | | | 200.24 |
| | **कुल (अ)** | | **58,527.12** | | | **49,373.94** |
| आ. | **प्रवधान :** | | | | | |
| | i) ग्रेच्यूटि. | | **1,867.88** | | | 401.83 |
| | ii) व्यवस्थापन भत्ता | | **52.04** | | | 58.57 |
| | iii) छुट्टी नकदीकरण | | **586.78** | | | 396.18 |
| | **कुल (आ)** | | **2,506.70** | | | **856.58** |
| | **कुल (अ + आ)** | | **61,033.82** | | | **50,230.52** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो लाभ-हानि लेखा का अंतर्भाग है**

**अनुसूची 8 : निर्माण अनुबंध से आय**

(₹ लाख में))

| विवरण | 2009-2010 | | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| किए गए व बिल बनाए गये कर्यों का मूल्य | **72,241.61** | | 63,671.17 |
| किए गए लेकिन बिल नहीं बनाए गए कार्यों का मूल्य | **5,643.19** | | 4,101.29 |
| अतिरिक्त मदों का अनुमानित मूल्य | **2.25** | | 493.66 |
| अन्य | **629.73** | | 1,652.46 |
| **कुल** | **78,516.78** | | **69,918.58** |

**अनुसूची 9 : अन्य प्राप्तियाँ**

**(₹ लाख में))**

| विवरण | 2009-2010 | | | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| निविदा दस्तावेजों की बिक्री | | **40.70** | | | 32.39 |
| **निम्न पर ब्याज :** | | | | | |
| (क) बैंकों के पास जमा | **977.22** | | | 849.77 | |
| (ख) ठेकेदारों और अन्यों को अग्रिम | **111.49** | | | 64.44 | |
| | | **1,088.71** | | | 914.21 |
| टाउनशिप से आय | | **233.54** | | | 176.25 |
| संयंत्र और उपकरणो से किराया | | **64.84** | | | 88.76 |
| लौह कतरनों और स्क्रैप की बिक्री से लाभ | | **0.00** | | | 3.66 |
| सर्वेक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से आय | | **19.00** | | | 70.63 |
| अनुपयोगी भंडार की बिक्री से आय | | **0.00** | | | 8.96 |
| विविध प्राप्तियाँ | | **71.88** | | | 190.39 |
| **कुल** | | **1,518.67** | | | **1,485.25** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो लाभ-हानि लेखा का अंतर्भाग है**

## अनुसूची 10 : भंडार का उपयोग

**(₹ लाख में))**

| विवरण | 2009-2010 | | | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) कार्यस्थल पर सामग्री** | | | | | |
| आरम्भिक स्टॉक | **2,158.05** | | | 165.69 | |
| जोड़े : खरीद | **886.20** | | | 3,407.00 | |
| | | **3,044.25** | | | 3,572.69 |
| **घटएँ :** | | | | | |
| बेकार क्षतिग्रस्त, घटती व लौटायी गयी सामग्री / अन्य हेतु समायोजन | **17.74** | | | 6.60 | |
| समापन स्टॉक | **419.79** | **437.53** | | 2,158.05 | 2,164.65 |
| | | **2,606.72** | | | **1,408.04** |
| **(ख) सीधी उपभोग की गई सामग्रियाँ** | | **80.47** | | | 121.54 |
| कुल | | **2,687.19** | | | **1,529.58** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो लाभ-हानि लेखा का अंतर्भाग है**

## अनुसूची 11 : कर्मचारियों को भुगतान तथा उसके लिए प्रावधान

(₹ लाख में))

| विवरण | 2009-2010 | 2008-2009 |
|---|---|---|
| वेतन एवं भत्ता | **1,528.46** | 1,461.83 |
| भविष्य निधि में अंशदान | **168.01** | 162.34 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | **129.70** | 155.28 |
| आनुतोषिक निधि के लिए अंशदान | **1,491.05** | 0.00 |
| छुट्टी नकदीकरण | **369.42** | 39.23 |
| व्यवस्थापन भत्ता | **0.00** | 0.00 |
| **कुल** | **3,686.64** | **1,818.68** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो लाभ-हानि लेखा का अंतर्भाग है**

## अनुसूची 12 : निर्माण उपस्करों की चालू मरम्मत और रख-रखाव

**(₹ लाख में))**

| विवरण | 2009-2010 | 2008-2009 |
|---|---|---|
| i) विद्युत और ईंधन | **400.76** | 326.50 |
| ii) स्पेयर पार्ट्स | **99.39** | 53.58 |
| iii) अन्य सेवा शुल्क | **16.07** | 135.86 |
| **कुल** | **516.22** | **515.94** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो लाभ-हानि लेखा का अंतर्भाग है**

**अनुसूची 13 : अन्य व्यय**

**(₹ लाख में))**

| विवरण | 2009-2010 | | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| यात्रा व्यय | **86.64** | | 78.75 |
| कानूनी व्यय | **62.61** | | 53.19 |
| परामर्श व्यय | **150.64** | | 366.95 |
| किराया | **29.74** | | 27.73 |
| छपाई एवं लेखन सामाग्री | **38.96** | | 30.75 |
| डाक एवं दूरभाष | **36.25** | | 35.27 |
| बीमा | **10.35** | | 10.46 |
| दरें एवं कर | **109.30** | | 158.11 |
| मोटर वाहन व्यय | **145.24** | | 136.32 |
| ढुलाई और संचालन शुल्क | **6.62** | | 17.97 |
| **मरम्मत एवं अनुरक्षण :-** | | | |
| (क) भवन | **7.10** | | 11.15 |
| (ख) कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं साज-सामान | **13.40** | | 12.16 |
| (ग) मोटर वाहन | **7.88** | | 5.77 |
| (घ) टाउनशिप | **31.61** | | 31.47 |
| संयंत्रों एवं उपकरणों का किराया | **79.02** | | 193.01 |
| समान्य प्रभार (इ.पी.एफ. में `.56.00 लाख की कमी विगत वर्ष `. 44.90 लाख सम्मिलित) | **708.58** | | 530.05 |
| टाउनशिप पर व्यय | **87.18** | | 103.00 |
| **लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :** | | | |
| (क) लेखापरीक्षा शुल्क | **2.50** | | 2.50 |
| (ख) यात्रा व्यय पर प्रावधान | **4.00** | | 4.00 |
| (ग) अन्य खर्च के वास्ते | **0.50** | | 0.50 |
| (घ) लेखापरीक्षा शुल्क पर सेवा कर | **0.31** | | 0.31 |
| **कुल** | **1,618.43** | | **1,809.42** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो लाभ-हानि लेखा का अंतर्भाग है**

## अनुसूची 14 : प्रावधान

**(₹ लाख में))**

| विवरण | 2009-2010 | | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान | **18.72** | | 472.35 |
| अकलन किए गये हानियों के लिए प्रावधन - डव्ल्यू.डी.एन.बी | **0.00** | | 0.00 |
| संदिग्ध वसूलियों के लिए प्रावधान - अन्य | **143.65** | | 288.78 |
| घटती/क्षतिग्रस्त/पुरानी तथा अनुपयुक्त भंडार के लिए प्रावधान | **0.00** | | 3.05 |
| घटती/क्षतिग्रस्त/पुरानी तथा अनुपयुक्त अचल परिसम्पत्तियां | **1.92** | | 0.09 |
| ठेकेदारों एवं आपूर्तिकत्तओं को दिये गये अग्रिम के एवज में प्रावधान | **0.40** | | 0.40 |
| संयुक्त उद्यम में घाटे के लिए प्रावधान | **6.94** | | 381.00 |
| **कुल** | **171.63** | | **1,145.67** |

## अनुसूची 15 : ब्याज एवं भारी वित्तीय भार

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 2009-2010 | | | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **i) निम्न पर ब्याज :** | | | | | |
| नगद उधार एवं बैंक ओवरड्राफ्ट | **130.12** | | | 42.75 | |
| सरकारी ऋण | **9,834.47** | | | 6,353.93 | |
| ग्राहकों से अग्रिम | **1.87** | | | 5.31 | |
| अन्य | **31.45** | | | 18.76 | |
| | | **9,997.91** | | | 6,420.75 |
| स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति - ऋण | **4,192.14** | | | 6,644.29 | |
| **घटाएँ : सरकार से प्राप्त ब्याज सहायता** | **4,192.14** | **0.00** | | 6,644.29 | 0.00 |
| ii) बैंक गारंटी कमीशन | | **58.40** | | | 90.67 |
| iii) बैंक शुल्क | | **8.45** | | | 9.54 |
| **कुल** | | **10,064.76** | | | **6,520.96** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूचो जो तुलन पत्र/लाभ-हांनि लेखा का अतभाग है**

**अनुसूची 16 : विविध व्यय**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 2009-2010 | | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित राजस्व खर्च** | | | | |
| (समायोजित अथवा बट्टे खाते में अधिकतम सीमा तक नहीं डाला गया है) | | | | |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर व्यय विगत वर्षों का अग्रेणित | **1,477.74** | | **2,522.12** | |
| घटाएँ : व्यय सम्पूर्ण रूप से प्रभावित | | | | |
| - वित्तीय वर्ष 2003-04 से संबंधित लाभ और हानि : | **0.00** | | 1,052.99 | |
| - वित्तीय वर्ष 2004-05 से संबंधित लाभ और हानि : | **1,047.40** | | 0.00 | |
| | **430.34** | | **1,469.13** | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन :- | | | | |
| अनुग्रह राशि | **0.00** | | 8.61 | |
| | | **430.34** | | **1,477.74** |
| घटाएँ :- विगत वर्ष लाभ हानि खाते में वर्तमान वर्ष तक प्रभारित | | **264.15** | | 1,015.99 |
| | | **166.19** | | **461.75** |
| **घटाएँ : वर्ष के दौरान लाभ हानि खाते में 1/5 वां भाग प्रभारित** | | | | |
| क) विगत वर्ष के अग्रेनित शेष पर | **166.19** | | 293.84 | |
| ख) चालू वर्ष में परिवर्धन | **0.00** | | 1.72 | |
| **बट्टे खाते में डाला गया विविध खर्च** | | **166.19** | | **295.56** |
| **विविध खर्च (बट्टे खाते में डाला गया या समायोजित)** | | **0.00** | | **166.19** |

**31 मार्च 2010 तक अनुसूची जो तुलन पत्र/लाभ-हानि लेखा का अंतभाग है**

**अनुसूची 17 : पूर्वावधि सम्बन्धी समायोजन**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 2009-2010 | | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|
| | नामे | जमा | नामे | जमा |
| अन्य प्राप्तियाँ | **0.00** | **98.40** | 0.00 | 157.33 |
| संविदा प्राप्तियाँ | **34.82** | **0.00** | 0.00 | 70.05 |
| संविदा भुगतान | **148.72** | **0.00** | 0.00 | 508.97 |
| भंडार का उपयोग | **45.95** | **0.00** | 0.00 | 106.11 |
| वेतन एवं मजदूरी | **1.31** | **0.00** | 5.27 | 0.00 |
| ह्रास | **9.81** | **0.00** | 8.60 | 0.00 |
| ब्याज और वित्तीय भार | **1.08** | **0.00** | 0.00 | 0.96 |
| अन्य व्यय | **135.09** | **0.00** | 6.55 | 0.00 |
| | **376.78** | **98.40** | **20.42** | **843.42** |
| **विशुद्ध (नामें) / जमा** | **278.38** | **0.00** | **0.00** | **823.00** |

## अनुसूची 18

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार**

भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के आधार पर प्रोदभवन एवं परम्परागत लागत के तहत कम्पनी अपना वित्तीय विवरण एक चलते उपक्रम के रूप में करती है।

**2. राजस्व निर्धारण**

निर्माण संविदा और सेवा संविदा संबंधित कार्यों के मामलों के 31 मार्च तक ग्राहक के पास जमा किए बिलों को राजस्व के रूप में मान लिया गया है तथा तुलन पत्र तिथि के पश्चात लेकिन लेखा समाप्ति के पूर्व 31 मार्च तक किए गये कार्य परन्तु बिल नहीं बनाए गये को कम्पनी के ग्राहक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व के रूप में ग्रहण किया गया है।

लागत वृद्धि, अतिरिक्त कार्य आदि के लिए दावे के लिए गुजरा तब स्वीकृत किये जातें हैं जब उनका युक्ति संगत निर्धारण कम्पनी द्वारा किया जाता है।

ग्राहकों के पास सावधि जमा पर ब्याज के लिए गुजरा को सुरक्षा धारोहर/बयाना राशि को राजस्व में तब मान लिया जाता है जब उसकी प्राप्ति होति है।

बेंकों के पास सावधि जमा पर ब्याज के लिए गुजरा को प्रोदभवन के आधार पर मान लिया जाता है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

3.1 अचल परिसम्पत्तियों का निर्धारण उनके अधिग्रहण या निर्माण लागत जिसमें ऋण खर्च और अन्य अप्रत्यक्ष खर्च शामिल है।

3.2 भावनों तथा संरचनाओं का निर्माण जिस भूमि पर किया जाता है उसका स्वामित्व ग्राहकों के नाम होता है। ऐसे परियोजनाओं के पूर्ण होते ही मूल्य ह्रास/तयशुदा मूल्य पर ग्राहकों द्वारा इन भवनों/संरचनाओं को ग्रहण कर लिया जाता है।

3.3 कम्प्यूटर हार्डवेयर के साथ प्रारम्भ में क्रम किये गये साफ्टवेयर का हार्डवेयर के लागत के साथ पूँजीकृत किया गया है पर साफ्टवेयर की प्राप्ति पर किये गये खर्च संबंधित हार्डवेयर का समाकलन अंश नहीं है को अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में माना जाता है।

**4. ह्रास और परिशोधन**

**क) मूर्त परिसम्पत्तियाँ**

4.1 अचल परिसम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान सीधी पद्धति से कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत अनुसूची-xiv में उल्लिखित दरों के अनुसार किया गया है।

4.2 प्रबंधन के निर्णय पर संबंधित ठेका का कार्य पूर्ण होने पर या पाँच वर्ष तक चलने के बाद सभी अनुषंगी कार्यों का मूल्य घटा दिया जाता है। परन्तु ₹ 25000/- मूल्य से कम के ऐसे कार्यों को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

**4.3** अलग अलग कम लागत वाली ₹5000/- से कम की अचल परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण वर्ष के दौरान पूर्ण रूपेण मूल्य घटा दिया जाता है। मोबाइल फोन की लागत को उसके कीमत पर गौर किये वगैर अधिग्रहण वर्ष में पूर्ण रूप से ह्रास मान लिया गया है।

4.4 वर्ष के दौरान निपटान कर दिये गये अचल परिसम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

**ख) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**

4.5 साफ्टवेयर के अधिग्रहण पर हुए व्यय पर उसके अधिग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक परिशोधन किया जाता है। पर, प्रत्येक साफ्टवेयर जिसकी लागत ₹1,00,000/- तक होती है को अधिग्रहण के वष में पूर्ण प्रभारित किया जाता है।

**5. निवेश**

5.1 दीर्घावधि वाले निवेश यदि कोई है के मूल्य के संदर्भ में उन्हें लागत पर कम स्थायी ह्रास वाला दर्शाया गया है।

**6. भंडार**

6.1 कार्यस्थल पर रखी गई सामग्री सहित भंडार, स्पेयर्स और खुले औजारों का मूल्यांकन उनके लागत पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें से जो कम हो पर किया जाता है ।

6.2 भंडारो के मूल्य का निर्धारण उनके औसत वजन के आधार पर निश्चित किया गया है।

6.3 ऑफ कट का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य कीमत के अनुसार किया गया है।

**7. संविदा भुगतान**

निम्नलिखित के संबंध में "संविदा भुगतान" ठेकेदारों/उपठेकेदारों को किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करना है

7.1 किए गए कर्यों के लिए ठेकेदारों से प्राप्त बिलों पर।

7.2 तुलन पत्र तिथि के पश्चात लेकिन लेखा समाप्ति के पूर्व, ठेकेदारों द्वारा किए गये काम पर बिल नहीं बनाए गये, ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रलेख प्रमाण या कम्पनी द्वारा अभिप्रमाणित कार्य के मूल्य के आधार पर संबंधित प्रस्तुत किए गये बिल।

7.3 ठेकेदारों द्वारा किए गये अतिरिक्त कार्य तथा लागत वृद्धि संबंधित दावे के अनुरूप कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों पर किए गये स्वीकृत दावे।

**8. कर्मचारी लाभ**

8.1 अपने कर्मचारियों को भविष्य में आनुतोषिक भुगतान हेतु कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (समूह आनुतोषिक योजना के तहत) के साथ आनुतोषिक योजना के स्थिर की और बीमा निगम द्वारा के द्वारा बीमांकिक अधार पर निर्धारित वार्षिक किस्त का भुगतान करती है।

8.2 कम्पनी ट्रस्ट बोर्ड द्वारा प्रशासित एच.एस.सी.एल कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करती है। सरकार द्वारा प्रशासित परिवार पेंशन योजना के पेंशन अंशदान किया जाता है। अगर निधी निवेश से अर्जित आय और निर्धारित ब्याज दर के बीच कोई कमी रहती है तो उसका भरपाई कम्पनी द्वारा किया जाता है।

8.3 अर्जित छुट्टियों की देयताएं और सेवानिवृति के पश्चात स्वनगर में अधिवास के लिए देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

**9. दावे और दायिता**

कम्पनी द्वारा किए गए सभी दावों को प्रबंधन द्वारा स्वीकार करने के बाद लेखें में शामिल किया जाता है।

10. पूर्वावधि

10.1 पूर्व वर्षों से संबंधित ₹25000/- से कम के कोई भी आय या व्यय को संबंधित शीर्षों के तहत लेखा में शामिल कर लिया जाता है।

10.2 मूल्य ह्रास चाहे उसका मूल्य जो भी हो को प्रकट किया जाता है।

**11. आय पर कर**

11.1 कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच फर्क के चलते जो एक अवधि में प्रारम्भ होता है तथा एक या अधिक अनुवर्ती अवधियों में परिवर्तित हो सकता है समयानुपात भिन्नता पर आस्थगित कर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को केवल उसी सीमा तक स्वीकृत किया जाता है जहां से उसकी औचित्यपूर्ण उगाही की निश्चितता हो।

**12. परिसम्पत्तियों का ह्रास**

**12.1** लेखा मानक 28 "परिसम्पत्तियों का ह्रास" के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में अचल परिसम्पत्तियों के ह्रास की समीक्षा की जाती है।

**13. प्रावधान हेतु लेखा, आकस्मिक देयताएं और परिसम्पत्तियां**

एस एस 29 के अनुसार भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान के द्वारा जारी प्रावधानों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों के संदर्भ में कम्पनी उन प्रावधानों को तभी मान्यता देती है जब विगत परिणामों के रूप में वर्तमान दायित्वबोध का भाव लक्षित हो। इस दायित्व का निपटान करने के लिए एक संभावित संसाधनों के बहिर्गमन जिसमें आर्थिक लाभ समाविष्ट हो, की होगी एवम सभी दायित्वों का विश्वसनीय अनुमान किया जा सके।

**13.1** विगत घटनाओं से उत्पन्न संभावित वाध्यता एवं इनका आस्तित्व में होना, एक या एकाधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं, जो कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह नहीं होने या न होने पर निर्भर करेगा।

**13.2** विगत घटनाओं से उत्पन्न कोई वाध्यता को तब स्वीकार नहीं किया जाता है जब:-

- इसकी संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों से सन्निहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता उपरोक्त दायित्वों के निपटान के लिए होगी।
- वाध्यताओं के राशि का विश्वसनीय आंकलन नहीं किया जा सकता।

  ऐसे वाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं में दर्ज कर लिया जाता है।

  आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

## अनुसूची 19 लेखाओं पर टिप्पणियां

### 1. वित्तीय पुनर्संरचनाओं के द्वारा पुनरुद्धार

क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना-सह-वित्तीय-सहायता पैकेज (1.4.1999 से प्रभावी) के फलस्वरूप ₹ 51836.00 लाख, (विगत वर्ष ₹ 51836.00 लाख) आवधिक ऋण के रूप में बैंकों से भारत सरकार के गारंटी के एवज में उन कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु लिया गया है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृति की इच्छा जाहिर की थी। उपरोक्त आवधिक ऋणों में ₹ 20982.00 लाख भारतीय स्टेट बैंक से, ₹ 5000/- विजया बैंक और ₹ 25854.00 लाख आइ सी आइ सी आइ बैंकों से प्राप्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक और विजया बैंक ने क्रमशः जून 2012 और मार्च 2011 तक प्रतिसंदाय की तिथि को पुनः निर्धारित किया है। पर आइ सी आइ सी आइ बैंक ने ₹ 25854.00 लाख के प्रतिसंदाय की तिथि को बढ़ाने पर अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है और यह राशि 31 मार्च 2010 तक अतिशोध्य हो गई है (₹ 10854.00 लाख 31 मार्च 2009 तक)।

कम्पनी की सभी चलनशील नियत परिसम्पत्तियां पर प्रथम अधिकार भारत सरकार के हक में कर दिया गया है।

ख) भारत सरकार उपरोक्त आवधिक ऋण पर ब्याज की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए राजी हो गई है। तदनुसार वर्ष के लिए ब्याज की दायिता के प्रति ₹ 4192.14 लाख (विगत वर्ष ₹ 6644.29 लाख) भारत सरकार ने अबतक ₹ 294.61 लाख (विगत वर्ष ₹ 4307.53 लाख) की प्रतिपूर्ति की है। संचित ब्याज सहायता ₹ 5262.14 लाख (विगत वर्ष ₹ 5968.69 लाख) जिसकी प्रतिपूर्ति की जानी है को प्राप्य के रूप में दिखाया गया है (अनुसूची 6 के तहत दिखाया गया है)।

ग) इसके अलावा, कर्मचारियों के बकाया सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी ने ₹ 3350.00 लाख की योजना ऋण और ₹ 51314.00 लाख की गैर योजना ऋण प्राप्त की है।

घ) कुल ₹ 51314.00 लाख की रकम के भुगतान में ब्याज पर दस साल अथार्त 31.3.2009 तक की छुट दी गई है। वर्ष के दौरान ₹ 18993.00 लाख की कथित ऋण पर सलाना औसत 17.52% की दर से ₹ 3327.57 लाख के ब्याज को लेखे में उसी प्रकार शामिल किया गया है जैसा कि वर्ष 2000-01 में समाप्त लेखा वर्ष में उल्लिखित लेखों पर टिप्पणियां को पुराने ऋण के दस्तावेजों के अभाव में किया गया है।

ङ) बैंको द्वारा दिये गए स्वैच्छिक सेवानिवृति ऋण निधि एवं गैर निधिक सुविधाओं के एवज में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों के संदर्भ में गारंटी कमीशन ₹ 610.36 लाख (विगत वर्ष ₹ 610.36 लाख) की छुट उपरोक्त रूपये के समतुल्य आर्थिक सहयोग के द्वारा कर दिया गया है। अतः वित्तीय विवरणों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

च) तदनुसार, निम्नलिखित राशियाँ खाते में दिखाये गये है :-

₹ लाख में

| | |
|---|---|
| क) आवधिक ऋण बैंको से | 51836.00 |
| ख) भारत सरकार से ऋण | 54664.00 |
| ग) उपरोक्त 'क' पर प्रोदभूत ब्याज | 3124.00 |
| घ) उपरोक्त 'ख' पर प्रोदभूत ब्याज | 40366.46 |
| ङ) बकाया गारंटी फीस | 2684.00 |
| **कुल** | 152675.28 |

उपरोक्त ऋण कम्पनी की सामान्य व्यवसाय परिचालन से उदभूत नहीं हुए हैं। आगे, बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नया पुनर्गठन पैकेज इस्पात मंत्रालय के पास भेजा गया है जिसमें बीआरपीएसई ने उपरोक्त ऋण को माफ करने/इक्वीटि में परिवर्तित करने की अनुशंसा की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का शुद्ध मूल्य सकारात्मक में बदला।

उपरोक्त के परिप्रेक्षय में वित्तीय विवरण को एक चलित प्रतिष्ठान के रूप में तैयार किया गया है।

**2. आस्थगित राजस्व व्यय :-**

आस्थगित राजस्व व्यय (बट्टे खाते डाले गये या समायोजित किये गये) को वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2009 तक पूर्ण प्रभारित किये गये हैं।

**3. विविध देनदार**

क) विगत तीन वर्षों से विविध देनदारों (अप्रतिभूत) के पास बकाया राशि जिसमें ₹ 7591.86 लाख (विगत वर्ष ₹ 5199.29 लाख) शामिल है को प्राप्तियोग्य समझा गया है। प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचनाओं एवं उसके मूल्यांकन के आधार पर ₹ 1328.31 लाख (विगत वर्ष ₹ 1383.29 लाख) का प्रावधान किया गया है।

ख) **सेल पर दावे**

₹ 6796.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 10196.00 लाख) जो विविध देनदारों के अंतर्गत समूहित किया गया, कम्पनी द्वारा सेल पर दावे का प्रतिनिधित्व करता है। उसे निपटान के लिए इस्पात मंत्रालय के विवाद निपटान समिति के पास भेज दिया गया है। विवाद निपटान समिति ने सेल के साथ विवाद निपटान के लिए रूपात्मकता के निर्देश दिये हैं। फिर भी, प्रर्याप्त सावधानी के रूप लेखे में ₹ 5094.50 लाख (विगत वर्ष ₹ 6744.50 लाख) का प्रावधान किया गया है।

**4. भंडार सूची**

क) **स्टोर और स्पेयर्स**

पुरानी एवं अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के निपटान के संबंध में कम्पनी ने निपटान के लिए कार्रवाई की है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने बड़ी इकाइयों के भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया है। स्टोर्स के मूल्य के एवज में ₹ 431.05 लाख (विगत वर्ष ₹ 531.21 लाख) का प्रावधान किया गया है।

ख) **कार्यस्थल पर सामग्री**

कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री के मूल्य ₹ 419.79 लाख (विगत वर्ष ₹ 2158.05 लाख) के एवज में ₹ 97.25 लाख (विगत वर्ष ₹ 103.01 लाख) का प्रावधान किया गया है।

ग) **खुले औजारों/भंडारो में कमी/क्षतिग्रस्त, पुराने बेकार भंडारो** :-

खुले औजारों के स्टाक के मूल्य ₹ 1.53 लाख (विगत वर्ष ₹ 1.16 लाख) के विरूद्ध इस लेखे में ₹ 1.03 लाख (विगत वर्ष ₹ 1.03 लाख), भंडार के शुद्ध कमी मूल्य ₹ 142.05 लाख (विगत वर्ष ₹ 142.05 लाख) के विरूद्ध ₹ 142.05 लाख (विगत वर्ष ₹ 142.05 लाख) और क्षतिग्रस्त/पुराने/बेकार भंडारो के मूल्य ₹ 111.17 लाख (विगत वर्ष ₹ 121.12 लाख) का क्रमशः प्रावधान कर दिया गया है।

**5. लीबीया में कार्य**

क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कम्पनी लीबिया में सभी निर्माण कार्यों को "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर छोड़ कर 28 जुलाई, 1988 को वापस आ गई है। परन्तु विभिन्न बाधाओं के कारण पूरे रिकार्ड को भारत नहीं लाया जा सका। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा उपयुक्त स्तर पर इस विषय के निपटान की व्यवस्था की जा रही है।

ख) अचल परिसम्पत्तियों के लिखित मूल्य उनकी खरीददारी के दिनों चल रहे विनिमय दर के आधार पर परिवर्तित कर दिये गये हैं जबकि भंडारों का मूल्यन दिनांक 31.31989 के बंद विनियम दर के आधार पर किया गया है।

ग) विदेशी बैंको की शाखाओं में पड़े शेष की पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि वे खाते आवरूद्ध कर दिये गए हैं।

घ) परिसम्पत्तियों व दायिताओं का 31.3.1989 को चल रहे भारतीय मुद्रा के विनिमय दर में परिवर्तित किया गया, उन्हें खाते में ले लिया गया है।

ङ) माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के भर्तों के अनुसार लीबिया कार्य से संबंधित एक ठेकेदार को ₹ 18.50 करोड़ का आज्ञप्ति बकाया का निपटान के तहत कम्पनी ने 31.3.2010 तक सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है।

## 6. प्रकटण

### 6.1 लेखा मानक 1 के तहत प्रकटीकरण :-

"किये गये कार्य पर बिल नहीं बनाये गये" पर लेखा नीति में बदलाव के मद्देनजर कम्पनी का व्यापारावर्त ₹ 1715.70 लाख तक बढ़ा है, ठेका भुगतान के लिए दायिता ₹ 1380.45 लाख तक बढ़ा है और वर्ष के दौरान घाटे में ₹ 335.25 लाख तक की कमी आयी है।

### 6.2 लेखा मानक 3 के तहत प्रकटीकरण :-

**नकद आपूर्ति विवरण :-**

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अंत में नकद के समतुल्य निम्नलिखित शामिल हैं :-

₹ लाख में

| | चालू वर्ष 2009-10 | विगत वर्ष 2008-09 |
|---|---|---|
| क) नकद हाथ में | 1.15 | 0.97 |
| ख) चेक हाथ में | 41.07 | 191.70 |
| ग) मार्गस्थ पेषण | 00.00 | 69.00 |
| घ) बैंक में नकद | | |
| चालू खाते में | 5358.58 | 5330.97 |
| सावधि जमा खाते में | 15140.24 | 11579.24 |
| ङ) बैंक में नकद | | |
| (लीबीया में आवरूद्ध खाता) | | |
| बैंको में सावधि जमा के अंतर्गत निम्नलिखित है - | | |
| क) बैंक गारंटी के विरूद्ध चिह्नांकित धरणाधिकार सावधि | | |
| जमा | 276.65 | 0.00 |
| कॉरपोरेशन बैंक के पास | 351.04 | 0.00 |
| देना बैंक के पास | 368.95 | 1800.00 |
| विजया बैंक, बंगलोर के पास | 3353.15 | 500.00 |
| इंडियन बैंक, कोलकाता के पास | 295.49 | 200.24 |
| ख) क्वाटर प्रतिधारण के विरूद्ध सावधि जमा | 10494.96 | 8079.00 |
| भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा | | |

| | | |
|---|---|---|
| ग) साधारण उपयोग के लिए अल्पावधि जमा<br>घ) चालू संबद्ध सावधि जमा<br>(सी आइ टी डी) के भारतीय स्टेट बैंक के पास<br>अगरतला, पी एम जी एस वाइ कार्य के सरकार अनुमोदित विधि | 0.00 | 1000.00 |

**6.3 लेखा मानक 7 के तहत प्रकटिकरण**

**निर्माण संविदा**

₹ लाख में

| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| क) राजस्व स्वीकृती | प्रतिशत पूर्णता पद्धति | प्रतिशत पूर्णता पद्धति |
| ख) संविदा राजस्व स्वीकृती | 78516.78 | 69918.58 |
| ग) उपगत राजस्व स्वीकृती | 68663.78 | 61020.34 |
| घ) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम | 37418.80 | 37838.64 |
| ङ) ग्राहकों द्वारा प्रतिधारण | 10823.61 | 9899.03 |
| च) ठेका कार्यों के लिए ग्राहकों से प्राप्य सफल राशि | 67816.19 | 56945.82 |
| छ) ठेका कार्यों के लिए उप-ठेकेदारों को देय सफल राशि | 32180.04 | 19695.85 |
| ज) उप-ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान | 6591.79 | 5369.74 |

**6.4 लेखा मानक 11 के तहत प्रकटिकरण**

**विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव**

कम्पनी आइ सी आइ सी आइ बैंक, सिम्हाद्री शाखा में 31 मार्च 2010 तक 224464.96 येन की अधिशेष कायम रखी है जिसे उसी तिथि को संपरिवर्तन दर ₹ 108730.00 में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार संपरिवर्तन बिनियम में ₹ 7700.00 का घाटा रहा कारण पूर्व संपरिवर्तन दर ₹ 1=0.5187 येन माना गया था।

**6.5 कर्मचारी लाभ-परिभाषित लाभ योजना पर ए.एस-15 (संशोधित) के तहत प्रकटीकरण**

₹ लाख में

| क) परिभाषित लाभ योजना का सामन्य वर्णन | |
|---|---|
| ग्रेच्यूटि | सेवाओं से अलग हुए योग्य कर्मचारियों जो कम से कम 5 साल लगातार कम्पनी की सेवा में कार्यरत रहे हैं को प्रत्येक पूर्ण वर्ष सेवा के लिए 15 दिन के दर से ग्रेच्यूटि का भुगतान किया जाता है जिसकी अधिकतम राशि ₹ 10.00 लाख की है। |
| छुट्टी नकदीकरण | सेवा से अलग हुए योग्य कर्मचारियों को देय जिन्होंने छुट्टी संचित की है। अर्जित छुट्टी की अधिकतम संचयन सीमा 240 दिन की है। |
| सेवानिवृति के पश्चात अधिवास लाभ | सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को उनके स्वनगर में अधिवास के लिए देय। |
| | |

ख) परिभाषित लाभ वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

| क्र.संख्या | विवरण | ग्रेच्यूटि | छुट्टी नकदीकरण | अधिवास भत्ता |
|---|---|---|---|---|
| | डीबीओ का पी वी 31.32009 को | 1749.09 | 396.18 | 58.57 |
| 1 | चालू सेवा भार | 81.71 | 24.83 | 0.00 |
| 2 | ब्याज भार | 117.06 | 24.54 | 4.69 |
| 3 | अंशदान किया गया | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बीमांकिक हानि/(प्राप्ति) | 1399.53 | 320.05 | -11.22 |
| 5 | विगत सेवा भार | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | प्रदत्त लाभ | 571.60 | 178.82 | 0.00 |
| डीबीओ का पी वी 31.32010 तक | | 2775.79 | 586.78 | 52.04 |

ग) योजना परिसम्पत्तियों और वाध्यताओं का सामंजस्य निम्नलिखित है :-

| क्र.संख्या | विवरण | 31.03.2010 तक | 31.03.2009 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | एफ.वी योजना परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक | 1347.26 | 1664.59 |
| 2 | योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित आय | 107.78 | 137.33 |
| 3 | लाभ भुगतान | 571.60 | 461.32 |
| 4 | प्रदत्त अंधदान | 25.00 | 6.78 |
| 5 | बीमांकिक हानि/(प्राप्ति) | (0.53) | (0.12) |
| 6 | एफ वी योजना परिसम्पत्तियों का (शेष) | 907.91 | 1347.26 |
| 7 | डी.बी.ओ. का पी वी (शेष) | 2775.79 | 1749.09 |
| | शुद्ध दायिता/(परिसम्पत्तियां) | 1867.88 | 401.83 |
| | ग्रेच्यूटी को छोड़ कर, परिभाषित लाभ बाध्यताओं को अनिधिवद्ध किये गये हैं। | | |

घ) 31 मार्च 2010 को समाप्त के लिए खाते में लाभ और हानि में व्यय प्रभारित किए गये हैं

| क्र.संख्या | विवरण | ग्रेच्यूटि | छुट्टी नकदीकरण | अधिवास भत्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चालू सेवा भार | 81.71 | 24.83 | 000 |
| 2 | ब्याज भार | 117.06 | 24.54 | 4.69 |
| 3 | बीमांकिक हानि/(प्राप्ति) | 1400.06 | 320.05 | (11.22) |
| 4 | विगत सेवा भार | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित लाभ | 107.78 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | 1491.05 | 369.42 | (6.53) |

ङ) ग्रेच्यूटि के लिए बीमांकिक धारणा

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मरणशीलता तालिका | एल आइ सी 1994-1996 |
| 2 | सेवा-निवृति उम्र | 58 |
| 3 | समय से पूर्व सेवा-निवृति और विकलांगता | सालाना प्रति हजार पर 10 |
| | | 45 वर्ष से उपर 6 |
| | | 29 और 45 के बीच 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 29 वर्ष की उम्र से कम 1 |
| 4 | कटौती दर | 8.00 |
| 5 | मुद्रास्फिति दर | 5.00 |
| 6 | परिसम्पत्तियों का मुनाफा | 8.00 |
| 7 | बाकी कार्यशील काल | 4.00 |
| 8 | प्रयुक्त फॉर्मूला | प्रक्षिप्त इकाई साख पद्धति |

**6.6 लेखा मानक 17 के तहत प्रकटीकरण**

**क्षेत्र रिपोर्टिंग**

कम्पनी, संरचनाओं सहित निर्माण कार्य में ही केवल कार्यरत है। अतः क्षेत्र सूचना संबंधी प्रकटीकरण आवश्यक नहीं समझा गया ।

**6.7 लेखा मानक 18 के तहत प्रकटीकरण**

i. संबंधित पार्टी की तालिका एवं उनके संबंध निम्नलिखित है :-

₹ लाख में

| संबंध के प्रकार | संबंधित पार्टी के नाम |
|---|---|
| मूल प्रबंध कार्यकर्ता | श्री मलय चटर्जी (01.09.09 से) |
| | श्री पार्थसारथी के (30.04.09 तक) |
| | श्री अभिजित घोष |
| | डॉ. दलीप सिंह, भा.प्र.से. |
| | श्री व्ही.के. श्रीवास्तव (27.10.09 तक) |
| | श्री आर रामाराजू (31.03.10 तक) |
| | श्री जे.पी. शुक्ला (30.04.09 से) |
| | श्री एस.बी. मिश्रा, भा.प्र.से. (सेवा निवृत) (27.10.09 से) |
| संबंध के प्रकार | संबंधित पार्टी के नाम |
| संयुक्त उद्यम कम्पनी | एच.एस.सी.एल. श्रीकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. |

ii. संबंधित पार्टी और कम्पनी के बीच व्यवसाय का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

₹ लाख में

| क्रम सं. | व्यवसाय के प्रकार | मूल प्रबंधन कार्यकर्ता | | संयुक्त उद्यम | | अनुसूची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | |
| क) | प्रबंधकीय पारिश्रमिक | 7.52 | 8.03 | शून्य | शून्य | 11 कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान |
| ख) | कर्मचारी लाभ | 1.57 | 1.55 | शून्य | शून्य | 11 कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान |
| ग) | बैठक की फीस | 0.05 | शून्य | शून्य | शून्य | 13 अन्य व्यय |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घ) | संयुक्त उद्यम में अंशदान | शून्य | शून्य | 864.45 | 861.81 | 6 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम |

### 6.8 लेखा मानक 20 के तहत प्रकटीकरण

₹ लाख में

| प्रतिशेयर मूल आय | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| इक्वीटी शेयर 31.03.2010 को प्रति शेयर ₹ 1000/- की दर से पूर्णरूपेण चुकता | 1171000 संख्या | |
| इक्वीटी शेयर 31.03.2010 को प्रति शेयर ₹ 1000/- की दर से पूर्णरूपेण चुकता | - | ₹ 688.43लाख |
| प्रति शेयर मूल आय | (-) ₹ 446.22 | (-) ₹ 58.79 |
| प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय | शून्य | शून्य |

### 6.9 लेखा मानक 22 के तहत प्रकटीकरण

**आस्थगित कर दायिता (परिसम्पत्ति)**

दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जारी एस 22 की शर्तों के अनुसार द्वारा बड़ी मात्रा में संचित हानियां और भविष्य की कर योग्य आय की अनिश्चता को ध्यान में रखते हुए कोई आस्थगित कर परिसम्पत्ति को लेखे में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी ₹ 44.51 लाख की राशि को आस्थगित कर दायिता के लिए खाते में अग्रेणित किया गया है।

| आस्थगित कर दायिता | 31.03.2009 को | चालू वर्ष शुल्क/राइट बैंक (-) | आस्थगित कर दायिता (परिसम्पत्तियां) 31.03.2010 को |
|---|---|---|---|
| खाता और आस्थगित कर के बीच अंतर | 47.83 | (-) 3.32 | 44.51 |

### 6.10 लेखा मानक 26 के तहत प्रकटीकरण

**अमूर्त परिसम्पत्तियां – कम्प्यूटर सफ्टवेयर**

क) ₹100000 लाख से अधिक की कीमत वाले प्रति सफ्टवेयर का परिशोधन दर उनकी प्राप्ति से तीन साल तक 33.33% की दर से किया जाता है। ₹100000 लाख तक की कीमत वाले प्रति साफ्टवेयर का 100% परिशोधन उनकी खरीद की जाने वाले वर्ष में ही किया जाता है।

ख) प्रयुक्त परिशोधन पद्धत्ति सरल पद्धत्ति

₹ लाख में

| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| ग) सकल वहन राशि (आरम्भ) | 10.16 | 6.60 |
| घ) सकल वहन राशि (शेष) | 10.85 | 10.16 |
| ङ) संचित परिशोधन (आरम्भ) | 8.17 | 5.44 |
| च) अवधि के दौरान स्वीकृत परिशोधन | 1.69 | 2.73 |

| | | |
|---|---|---|
| छ) संचित परिशोधन (शेष) | 9.86 | 8.17 |

**6.11 लेखा मानक 27 के तहत प्रकटीकरण**

लेखा मानक 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में निहित हित का वित्तीय रिपोर्टिंग, कम्पनी के मालिकाना हित का हिस्सा, परिसम्पत्ति, दायिताएं, आय, व्यय, विविध दायिताएं और संयुक्त उद्यम में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं निम्नलिखित है :-

| संयुक्त उद्यम कम्पनी का नाम | कम्पनी के मालिकाना हित का प्रतिशत | परिसम्पत्तियां | दायितायें | आय | व्यय | विविध दायितायें | महत्वपूर्ण प्रतिबद्धतायए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एच.एस.सी.एल. श्रीकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. | 51 | 1117.53 | 1939.35 | 8.79 | 15.73 | शून्य | शून्य |

उपरोक्त आंकड़े, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए एच.एस.सी.एल. श्रीकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के असंपरिक्षित लेखाओं पर आधारित है।

**6.12 लेखा मानक 28 के तहत प्रकटीकरण**

**परिसम्पत्तियों का ह्रास**

कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति और इसके पास मौजूद परिसम्पत्तियों के प्रकार ध्यान में रखते हुए तथा चार्टर्ड ऑफ एकाउंटेंट्स के एक फार्म के प्रमाण पत्र के अनुसार 31.03.2010 तक लेखा मानक 28 के अनुसार परिसम्पत्तियों के ह्रास के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

**6.13 लेखा मानक 29 के तहत प्रकटीकरण**

**प्रावधान**

₹ लाख में

| विवरण | 1 ला अप्रैल 2009 तक | वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान | वर्ष के दौरान उपयोग किया/विपरीत | 31 मार्च 2010 तक |
|---|---|---|---|---|
| ग्रेच्यूटी | 401.83 | 1491.05 | 25.00 | 1867.88 |
| अधिवास भत्ता (परिवहन) | 58.57 | 0.00 | 6.53 | 52.04 |
| ठेकेदारों के दावे | 734.47 | 0.00 | 322.50 | 411.97 |
| छुट्टी नकदीकरण | 396.18 | 369.42 | 178.82 | 586.78 |
| संयुक्त उद्यम पर हानि | 814.88 | 6.94 | 000 | 821.82 |

**7. सामान्य**

क) कर्मचारियों से वसूली करने के लिए बाकी मकान किराया, बिजली शुल्क एवं, ठेकेदारों के पास पड़े संयंत्र और मशीन के किरायों की वसूली पश्चात कुछ इकाईयों पर इसे आय के रूप में ले लिया गया है।

ख) मूल्यांकन को पूरा न किए जाने तक बिक्री कर में पड़ी जमा रकम ₹627.45 लाख (अनुसूची 6) का समायोजन/प्रावधान उनकी परवर्ती दायिताओं ₹ 691.07 लाख (अनुसूची) के विरूद्ध नहीं किया गया है।

ग) अचल परिसम्पत्तियां ₹57.57 लाख (विगत वर्ष ₹11.70 लाख) जो सक्रिया क्रियाशील प्रयोग से अलग हो चुके हैं उनके न्यून शुद्ध खाता मूल्य और शुद्ध प्रत्याशित वसूली योग्य मूल्य पर अचल (परिसम्पत्तियाँ अनुसूची 4) के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

घ) सेवा कर जहां ग्राहकों पर प्रयोज्य है, ग्राहकों पर उनका बिल बनाकर उनकी वसूली के पश्चात सेवा कर प्राधिकारी को भुगतान कर दिया जाता है। कुछ मामलों में जहां ग्राहकों पर लगाये गये सेवा कर का भुगतान होना बाकी है, ऐसे सेवाकर के भुगतान के लिए कम्पनी के पास उपएजेंसियों का प्रर्याप्त राशि रोक कर रखा जाता है।

ङ) अन्य प्राप्तियों में एनएचएआइ से प्राप्ति योग्य राशि में एच.एस.सी.एल./एस.आइ.पी.एल. संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए एन.एच.ए.आइ. द्वारा बैंक गारंटी के आवलम्बन करने के कारण ₹799.89 लाख शामिल है।

च) भारतीय स्टेट बैंक, कुंजाबन शाखा, अगरत्तला के पास चालू संबद्ध सावधि जमा (सी.एल.टी.डी) पर शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज को कम्पनी के खाते में नहीं लिया गया है।

छ) वर्ष के दौरान सेल भिलाइ स्टील प्लांट से प्राप्ति योग्य ₹3400.00 लाख को ₹1584.32 लाख पर तय किया गया। ₹165.68 लाख की हुई हानि (₹1650.00 लाख का नोटिगं ऑफ प्रावधान के पश्चात) को लाभ और हानि लेखा में दावे के निपटारा पर हानि के रूप में दिखाया गया है।

ज) एच.एस.सी.एल. – ए.आर.सी.पी.एल. (संयुक्त उद्यम)

एच.एस.सी.एल. और मेसर्स अविनाश राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ए.आर.सी.पी.एल) के बीच संयुक्त सहकारिता के आधार पर बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड (बी.आई.एल) का जमीन अधिग्रहण कर उस परिसर का अधिकत्तम व्यवसायिक लाभ हेतु उसे विकसित करने के उद्देश्य से एक करार किया गया। उक्त जमीन की कुल मूल्य ₹315.73 लाख थी जिसमें से मेसर्स अविनाश राज कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा (ए.आर.सी.पी.एल) ₹116.25 लाख का भुगतान किया गया है। इसी बीच बी.आइ.एल. की परिसमापन प्रक्रिया के तहत उक्त परिसर अधिकारिक समापन अधिकारी के अधिन है। न्यायलय के आदेश के अनुपालन स्वरूप बाकी ₹199.48 लाख एच.एस.सी.एल. को जमा करना है। विलेख के हस्तांतरण पर कार्रवाई की जानी है।

## 8. आकस्मिक दायिताएं जिनका प्रवधान नहीं किया गया या ऋण के रूप में नहीं माना गया।

₹ लाख में

| | चालू वर्ष | विगत वर्ष |
|---|---|---|
| i) विभिन्न न्यायलयों के समक्ष कम्पनी के विरूद्ध लंबित दावे | 7131.74 | 6390.10 |
| ii) विभिन्न पंचटों के समक्ष कम्पनी के विरूद्ध दावे का समायोजन लंबित | 4043.37 | 2193.44 |
| iii) विवादों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग/अपील विचाराधीन | 199.69 | 237.53 |
| iv) विवादों में बिक्री कर की मांग/अपीलों में विचाराधीन | 0.00 | 15.71 |
| v) विवाद में सेवा कर की मांग/अपील मे विचाराधीन | 2940.79 | 2301.74 |
| vi) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ने ईपीएफ के यू/एस 7 और विविध प्रवधान अधिनियम 1952 के तहत वर्ष 1995 से 2004 तक ठेकेदारों के कर्मचारियों के ₹1728.92 भविष्य निधि में अंशदान के साथ साथ उसपर ब्याज और जुर्माना की मांग करते हुए न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू की है। अतः यह कार्यवाही कम्पनी के विरूद्ध नहीं वरन् यह | 1751.92 | 1728.92 |

| | | |
|---|---|---|
| ठेकेदारों की दायिताएं हैं। | | |
| vii) कम्पनी के लिए और कम्पनी के तरफ से विभिन्न ग्राहकों को बैंक द्वारा गारंटी दी गई है | 7586.38 | 4581.72 |

₹ लाख में

| | | चालू वर्ष | | विगत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | संविदा राशि का आकलन/निष्पादन के लिए बाकी आर्डर पूँजी खाता पर आपूर्ति और उपलब्ध नहीं कराया गया | 278.52 | | शून्य | |
| 10 | अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण :- | | | | |
| | i. वेतन एवं भत्ते | 7.03 | | 7.17 | |
| | ii. भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान | 0.49 | | 0.86 | |
| | iii. कर्मचारी लाभ | 1.57 | 9.09 | 1.55 | 9.58 |

**11. भंडारों का उपयोग**

स्वदेशी भंडार ₹2687.19 लाख (विगत वर्ष ₹1529.58 लाख)

**12.** जैसाकि सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित है कम्पनी किसी भी सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के प्रति ऋणीं नहीं है।

**13.** सप्लायरों और एस.एस.आइ इकाईयों प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतान साधारणतया मानी गए क्रेडिट शर्तों के अनुसार किया जाता है और कोई राशि बकाया नहीं है।

**14.** आंकड़ो को निकटम लाख में बदला गया।

**15.** आवश्यकतानुसार विगत वर्ष के आंकड़ो का पुनः वर्गीकरण, पुनः व्यावस्था और पुनः उल्लेख जहां जरूरत समझा गया किया गया है।

ह/-

(मलय चटर्ची)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ह/-

(डॉ. दलीप सिहं, भा.प्र.से)
निदेशक

ह/-

(अभिजित घोष)
निदेशक (वित्त)

ह/-

(जे.पी. शुक्ला)
निदेशक

ह/-

(विनिता वच्छावत)
कम्पनी सचिव

स्थान :- कोलकाता
दिनांक :- 17-08-2010

## नकद आपूर्ति विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में))

| | 2009-2010 | | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|
| **संचालन गतिविधियों से नकद आपूर्ति** | | | | |
| **कर के पूर्व शुद्ध (हानि) / लाभ** | | **(5,462.70)** | | **(671.05)** |
| **जोड़ें: समायोजन के लिए** | | | | |
| ह्रास | 289.91 | | 285.40 | |
| आस्थगित व्यय का परिशोधन | 166.19 | | 295.56 | |
| आस्थगित व्यय प्रदत्त | 0.00 | | (8.61) | |
| ब्याज व्यय | 9,997.91 | | 6,420.75 | |
| स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ऋण पर ब्याज | 4,192.14 | | 6,644.29 | |
| घटायें : सरकार से प्राप्य | (4,192.14) | | (6,644.29) | |
| | | 10,454.01 | | 6,993.10 |
| **घटाएँ: समायोजन के लिए** | | | | |
| बिक्री पर लाभ/अचल परिसम्पत्तियों का निपटान | 19.00 | | 70.63 | |
| ब्याज आय | 1,088.71 | | 914.21 | |
| ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज | 30.90 | | 24.31 | |
| | | 1,138.61 | | 1,009.15 |
| | | 3,852.70 | | 5,312.90 |
| **कार्यरत पूंजी में बदलाव के पूर्व परिचालन लाभ/(हानी)** | | | | |
| **समायोजन के लिए :** | | | | |
| भंडार | 1,806.16 | | (2,093.55) | |
| ऋणी | (10,698.86) | | 3,585.53 | |
| ऋण एवं अग्रिम | (1,969.75) | | (2,879.31) | |
| व्यवसायिक लेनदार और देय | 10,766.33 | | (1,276.05) | |
| | | **(96.12)** | | **(2,663.38)** |
| **क) परिचालन के द्वारा प्राप्त नकद** | | **3,756.58** | | **2,649.52** |
| **ख) निवेशी क्रियाकलाप से प्राप्त नकद आपूर्ति** | | | | |
| अचल परिसम्पत्तियों का क्रय | (659.17) | | (199.64) | |
| अग्रिम पूंजी में परिवर्तन | (61.92) | | 12.01 | |
| अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री | 30.00 | | 83.57 | |
| पूंजी संशय का समायोजन | 0.00 | | 0.52 | |
| निवेश से घाटा | 0.00 | | (0.52) | |
| सावधि जमा पर ब्याज | 1,007.06 | | 782.10 | |
| | | **315.97** | | **678.04** |
| **ग) वित्तीयन क्रियाकलाप से नकद आपूर्ति** | | | | |
| आगम से उधार | (674.75) | | 823.70 | |
| वी.आर.एस. पर ब्याज छूट सहित ब्याज भुगतान | (4,927.33) | | (4,364.52) | |
| वी.आर.एस. ऋण पर भारत सरकार से प्राप्त ब्याज में परिदान | 4,898.69 | | 4,307.53 | |
| | | **(703.39)** | | **766.71** |
| **नकद एवं नकद तुल्यांक में शुद्ध (-) कमी/वृद्धि** | | **3,369.16** | | **4,094.27** |
| **प्रारंभिक नकद एवं नकद तुल्यांक** | | **17,173.17** | | **13,078.90** |
| **शेष नकद एवं नकद तुल्यांक** | | **20,542.33** | | **17,173.17** |

नोट :-.

1. अवरुद्ध खातों (`.1.29 लाख) पर शेष विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद तुल्यांक भी समाहित है।
2. 31 मार्च 2010 तक नकद और नकद बराबर हाथ में नकद `.1.15 लाख, हाथ में चेक `.41.07 लाख, मार्गस्थ प्राप्तियां `.0.00 लाख चालू खाता `.5,358.58 लाख और बैंक में आवधिक जमा `.14,844.75 लाख शामिल है।
3. 31 मार्च 2010 तक नकद और नकद बराबर में भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा रखे गये क्वाटरों के बावत `.295.49 लाख आवधिक भी शामिल है।

**कृते - एस.एन.मुखर्जी एण्ड कं**
चार्टर्ड लेखापाल
**फर्म पंजीकरण सं.301079 ई**

**कृते - एस.के.भट्टाचार्या एण्ड कं**
चार्टर्ड लेखापाल
**फर्म पंजीकरण सं.307047 ई**

**(सपन कु. हलदर)**
साझेदार
**सदस्यता सं.: 58186**

**(बिकाश सेनगुप्ता)**
साझेदार
**सदस्यता सं.: 7593**

**(मलय चटर्जी)**
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक

**(डा दलीप सिंह भा.प्र.से)**
निदेशक

**(अभिजित घोष)**
निदेशक (वित्त)

**स्थान:- कोलकाता**
**दिनांक :- 17.08.2010**

**(जे. पी. शुक्ला)**
निदेशक

**(विनीता बच्छावत)**
कम्पनी सचिव

**कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-vi के उपभाग iv के अनुसार सांविधिक सूचना**

# तुलन पत्र सार एवं कम्पनी-कारोबार की सामान्य रूपरेखा

## i पंजीकरण ब्योरा

| | | | |
|---|---|---|---|
| **पंजीकरण संख्या** | **U25246WB1964PTC026118** | | |
| **राज्य कोड 21** | | | |
| **तुलन पत्र दिनांक** | **31** | **03** | **2010** |

## ii वर्ष के दौरान उगाही गई पूँजी ( ₹ हजार में)

| | |
|---|---|
| पब्लिक इश्यु | राइट इश्यु |
| **NIL** | **NIL** |
| बोनस इश्यु | प्राइवेट इश्यु |
| **NIL** | **NIL** |

## iii मोबिलाइजेशन की स्थिति एवं निधी का निवेश (₹ हजार में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **कुल दायितायें** | **कुल परिसम्पत्ति** | |
| | **22308908** | **22308908** | |
| निधियों का स्रोत : | चुकता पूँजी | आरक्षित एवं अधिशेष | प्रतिभूत ऋण |
| | 1171000 | 118 | 5496911 |
| | अप्रतिभूत ऋण | आस्थगित कर दायिता | |
| | 9533046 | 4451 | |
| निधियों का उपयोग : | शुद्ध अचल परिसंपत्ति | निवेश | |
| | 290999 | 2 | |
| | शुद्ध चालू परिसंपत्ति | विविध खर्च | संचित हानि |
| | 1685407 | 0 | 14229118 |

| iv कम्पनी का निष्पादन (₹ हजार में) | | |
|---|---|---|
| | व्यापारावर्त<br>8283630 | कुल खर्च<br>8829900 |
| | लाभ/हानि कर के पहले<br>(-) 546270 | लाभ/हानि कर के बाद<br>(-) 545938 |
| | प्रति शेयर आय (₹) में<br>(-) 466.22 | लाभांश<br>NIL |

| v कम्पनी के जातिगत मूल तीन उत्पादों/सेवाओं के नाम | |
|---|---|
| मद कोड संख्या | NIL |
| उत्पाद विवरण | विनिर्माण एवं परियोजना से संबंधित कार्यकलाप |
| मद कोड संख्या | NIL |
| उत्पाद विवरण | NIL |
| मद कोड संख्या | NIL |
| उत्पाद विवरण | NIL |

**(डा. दलीप सिंह)**
**निदेशक**

**(मलय चटर्जी)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक**

**(जे. पी. शुक्ला)**
**निदेशक**

**(अभिजित घोष)**
निदेशक (वित्त)

**(विनीता बच्छावत)**
**कम्पनी सचिव**

स्थान:- कोलकाता
दिनांक:- 17.08.2010

# लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

प्रति
सभी सदस्यगण
हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के तुलन पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा और नगद आपूर्ति विवरण की परीक्षा की है। वर्ष 2009-2010 के लिए कम्पनी के वित्तीय वक्तव्यों पूर्वोक्त 30 जून 2010 को कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रमाणीकृत/अनुमोदित किया गया। बाद में, कम्पनी के खातों में कुछ परिवर्तन शामिल किया गया है, खातों पर नोट्स और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उपरोक्त वित्तीय वक्तव्यों के मसौदे को फिर से बनाया गया है जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणीकृत/अनुमोदित कर हमारे समक्ष रिपोर्ट बनाने के लिए अग्रेशीत किया गया। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी तो इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा पर अपनी राय प्रकट करने की है।
2. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षानुसार हमारी लेखा परीक्षा की योजना व कार्य ऐसी थी जिसमें जहाँ तक सम्भव हो सके इसका भरोसा रहे कि वित्तीय विवरण, सारवान कथन को गलत रूप में न प्रस्तुत कर सकें । इसका वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई जानकारी व राशि के समर्थन में दिए गए सबूतों की परीक्षा के तौर पर जाँच करना ही लेखा परीक्षा का कार्य है। एक लेखा परीक्षा व्यवहृत लेखांकन सिधांतो के अलावा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा कुल मिलाकर तैयार किए गए वित्तीय विवरण की प्रस्तुती का मूल्यांकन भी करती है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमे अपनी राय प्रकट करने का उचित आधार प्रदान करती है।
3. कम्पनी की लीबिया स्थित बन्द पड़ी विदेशी शाखा का 31 मार्च 2010 को वितीय विवरण कुल ₹2356.77 लाख की परिसम्पत्तीयों और कुल ₹2980.97 लाख के बाहरी दायीतायें दर्शाता है। चुकी कम्पनी लिबीया से 28 जुलाई 1988 को जहाँ है जैसा है के आधार पर वापस आ गई थी इसलिए "शाखा लेखा परीक्षा छूट नियमावली 1961 के नियम 3 के तहत कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 228 से कम्पनी के उपरोक्त शाखा को लेखा परीक्षा से छूट है। लिबीया ब्रांच के गैर परीक्षित लेखा विवरण को कम्पनी के लेखे में सम्मिलीत कर लिया गया है।
4. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के सन्दर्भ में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन आदेश 2003 और उसका संशोधीत आदेश 2004 (अब से उसको "आदेश" के रूप में व्यवहार किया जाएगा) के अपेक्षाओं के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुक्षेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर इसके अनुलग्नक "क" में ब्योरा पेश करते हैं।
5. उपरोक्त अनुलग्नक – "क" के पैराग्राफ – 4 के सन्दर्भ तथा अनुलग्नक "ख" में अपनी टिप्पणीयों के अतिरिक्त हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

   i. हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमे लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
   ii. हमारे विचार से जैसा कि लेखा पुस्तको के निरिक्षण से प्रकट होता है कम्पनी ने नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तक के नियमित रूप से रखी है।
   iii. इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ-हानी का लेखा नकट आपूर्ति विवरण लेखा पुस्तीकाओं के अनुरूप हैं।

iv. कम्पनी व्यवसाय संबंधित विभाग के दिनांक 22 मार्च 2002 के सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के शर्तों के आधार पर सरकारी कम्पनीयो को कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 274 (1) (जी) के प्रयोज्यता के प्रावधान से छूट है।

v. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभा और हानी लेखा और नकट आपूर्ति विवरण जिसकी चर्चा इस प्रतिवेदन में की गई कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 211 की उपधारा 3 (सी) में संदर्भित लेखा मानको के अनुसार है, केवल भारतीय चार्टड में एकाउण्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक – 22 को छोड़ कर जो हमारे प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” और “ख” में उल्लिखित है।

vi. हमारी राय में और हमे दी गई सूचनाओं औए स्पष्टीकरणो के अनुसार तथा इसके साथ संलग्न अनुलग्नक ‘ख़’ में दी गई हमारी टिप्पणी के अधीन कम्पनी अधिनियम 1956 में यथा अपेक्षित सभी सूचनाएँ आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्न का सही और स्पष्ट चित्रण करती है :

क. तुलन पत्र के विषय में 31 मार्च 2010 तक कम्पनी के कार्यों का लेखा जोखा,
ख. लाभ-हानी खाते के विषय में उक्त तिथी को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी को हुई हानी और,
ग. नगद आपूर्ति विवरण के विषय में उक्त तिथी को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी की नगद अपूर्ति।

कृते – एस. एन. मुखर्जी एण्ड कं
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.301079 ई

ह/-
सपन कु. हलदर
साझेदार
सदस्यता सं.:58186

कृते - एस.के.भट्टाचार्या एण्ड कं
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.307047 ई

ह/-
बिकाश सेनगुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.:7593

स्थान – कोलकाता
दिनांक - 17.08.2010

# लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'क'

(हमारी सम संख्यक तारीख के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4 के संदर्भ में)

i. क) कम्पनी ने मुख्यालय के साथ-साथ इकाइयों पर रजिस्टरों में अपनी अचल परिसम्पत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा है। उक्त रजिस्टर/विवरण में केवल प्लांट और मशीनरी का ब्यौरा रखा गया है जब कि अन्य परिसम्पत्तीयों जैसे की फर्नीचर और फिटिंग्स कार्यालय उपस्कर, इंजीनियरी उपकणों तथा प्लांट और मशीनरी के अंतर्गत छोटे उपस्करो के बारे में सिर्फ श्रेणीवार ब्यौरा उपलब्ध है । सभी अद्यतन जानकारी के साथ उचित रूप में स्थायी संपत्ति रजिस्टर, जैसे पहचान, मात्रात्मक विवरण और स्थिति की छाप कम्पनी द्वारा कुछ इकाइयों में नहीं रखा गया है।

ख) कुछ इकाइयों को छोड़ कर को कम्पनी की अचल परिसम्पत्तीयों के प्रतयक्ष जाँच की गई है। वित्तीय आकड़ो के साथ सत्यापित अचल परिसम्पत्तीयों का मिलान कई मामलो में अभी भी लम्बित है। खातों का समाधान जहाँ भी पूर्ण हो चुका है इनका एवं चिन्हीत विसंगतियों का उल्लेख खाते में किया गया है।

ग) हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस वर्ष के दौरान कम्पनी ने अचल परिसम्पत्तीयों के महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

ii. क) कम्पनी की कुछ इकाईयों को छोड़कर वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडारो की प्रत्यक्ष जाँच की जा चुकी है। हमारे मतानुसार उन इकाइयों में जाँच की बारम्बरता युक्तिसंगत है।
हमें यह जानकारी दी गई है कि कम्पनी के प्रबंधन द्वारा सभी प्रमुख इकाइयों में पड़ी सभी चीजों की प्रत्यक्ष जाँच कर ली है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा भंडारो प्रत्यक्ष के सत्यापन के लिए अपनाई गई पद्धति, जहाँ प्रत्यक्ष जाँच हो चुकी है, कम्पनी के आकार और उसके कारबार को देखते हुए समुचित और पर्याप्त लगता है।

ग) कम्पनी के कई बड़ी इकाइयों में रखे गये भंडारो के अभिलेख हमारे परीक्षण के आधार पर हमे ₹111.77 लाख के अप्रचलित स्टॉक मिले है जिसके लिए प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है लेकिन हमारे दृष्टि में कम्पनी की अन्य इकाइयों में रखे गये अभिलेखों के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

iii. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज कम्पनीयों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण लिया या दिया नहीं है।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के मुताबिक भंडारो तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद एवं किए गये कार्यों हेतु कम्पनी में समुचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति है जो इसके आकार और कारोबार की प्रकृति अनुरूप है। सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हमने लगातार पतन की प्रक्रिया नहीं देखी है जिसमें कम्पनी के आंतरिक संयम पद्धति की कमजोरियों को दूर किया जा सके।

v. जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार व्यवसाय के अधिकांश हिस्से का कार्यसम्पादन सेल की विभिन्न इकाइयों के साथ होता है जहाँ के निदेशक कम्पनी के निदेशक के रूप में सम्बद्ध है। तथापि कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 301 के आधार पर रजिस्टर में लिपिबद्ध करना आवश्यक नहीं है।

vi. वर्ष के दौरान कम्पनी ने आम लोगों से कोई जमा राशि नहीं ली है।

vii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक चार्टर्ड लेखपाल फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा कर ली गई है। हमारी में कम्पनी के आकार और कारोबार के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा के दायरे को और भी विस्तारित किया जाना चाहिए।

viii. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के तहत इस कम्पनी के लिए लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था निर्धारित नहीं की है।

ix. क) प्राप्त अभिलेखों के अनुसार, कम्पनी भविष्यनिधी की देय रकम सहित सेवा कर (संदर्भ, खण्ड संख्या 7(एच) लेखा पर टिप्पणी तय (खण्ड संख्या 3(ii) और 3(v) अनुलग्नक "ख" के रिपोर्ट के तहत) को छोड़ कर अन्य विवाद रहित वैधानिक बकाया साधारणतया नियमित रूप से उचित प्राधिकारी के पास जमा करती है । हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी पर छः माह से अधिक पुराना किसी प्रकार का वैधानिक बकाया वर्ष के अंत तक नहीं है।

हमें यह सूचित किया गया है कि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी वर्तमान में इ.एस.आई.अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी एवं सूचना के अनुसार विवादित बकाया को दिनांक 31.3.2010 तक जमा नहीं किया गया है। उसका विवरण निम्नलिखित है -:

₹ लाख में

| क्रम संख्या | अधिनियम का नाम | देय की प्रकृति | अदालत जहाँ विवाद लंबित हैं। | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 | आबकारी कर | केन्द्रीय आबकारी आयुक्त, इन्दौर | 88.27 |
| 2. | केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 | आबकारी कर | केन्द्रीय आबकारी आयुक्त, भुवनेश्वर | 111.42 |
| 3. | सेवा कर अधिनियम | सेवा कर | केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर | 771.27 |
| | | | केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्त, विशाखापट्टनम | 888.75 |
| | | | केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर | 557.26 |
| | | | केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर | 365.23 |
| | | | केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क और सेवा कर आयुक्त, बोकारो | 358.28 |
| 4. | भविष्य निधि | क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल, कोलकाता | | 1728.92 |
| | | क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बोकारो | | 23.00 |

x. हमारी राय में, 31.3.2010 तक कम्पनी की संचित हानि ₹142291.18 लाख है जो कम्पनी के कुल कीमत के 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी को ₹5169.47 लाख की नकद हानी हुई है जो कि हमारे

लेखे के दायरे में सम्मिलित है और ₹403.03 लाख तत्काल पूर्वगामी वर्ष के लिए। [देखें टिप्पणी, अनुसूची 19, खंड 1(च)]

xi. हमारी राय में एवं हमें दिये गये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के वित्तीय संस्थानो या बैंको के बकाया चुकाने में कोताही नहीं बरती है केवल ₹25854.00 लाख आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को देय छोड़ कर।

xii. हमारी राय एवं हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी के शेयर अथवा अन्य सुरक्षित जमा के आधार पर किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है।

xiii. हमारी राय में कम्पनी एक चिट फंड/निधी/साझा लाभ कोष/संस्था नहीं है। अतः कम्पनी आदेश (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) 2003 के खंड 4 (xiii) का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता।

xiv. हमारी राय में कम्पनी किसी प्रकार के शेयर, सुरक्षित जमा, ऋण पत्र और अन्य निवेशों से संबंधित व्यवसाय से संबद्ध नहीं है । तदनुसार, कम्पनी आदेश (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) 2003 और उसका संशोधन खंड 4 (xiv) का प्रावधान इन पर लागू नहीं होता।

xv. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी अन्य के द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानो से लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, कम्पनी आदेश (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) 2003 और उसका संशोधन खंड 4 (xiv) का प्रावधान इन पर लागू नहीं होता ।

xvi. कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई नया आवधीक ऋण प्राप्त नहीं किया है। हमे दी गई सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर पिछले वर्षों में कम्पनी द्वारा लिए गए आवधिक ऋण उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग किए गये प्रतित होता है जिस उद्देश्य से वे ऋण लिए गये थे।

xvii. कम्पनी के अल्प मियादी आधार पर इस प्रकार की कोई नीधि नहीं ली है। अतः उपरोक्त के दीर्घावधि निवेश एवं विलोमतः उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

xviii. कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आंवटन नहीं किया है।

xix. कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है।

xx. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के द्वारा सार्वजनिक पत्रों के द्वारा किसी प्रकार के धन की उगाही नहीं की गई है।

xxi. हमारी लेखा परीक्षा पद्धति के दौरान, दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी जाली क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है अथवा किसी के द्वारा ऐसा बतलाया भी नहीं गया है।

कृते – एस. एन. मुखर्जी एण्ड कं
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.301079 ई
ह/-
सपन कु. हलदर
साझेदार
सदस्यता सं.:58186

कृते - एस.के.भट्टाचार्या एण्ड कं
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं.307047 ई
ह/-
बिकाश सेनगुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.:7593

स्थान – कोलकाता
दिनांक - 17.08.2010

# लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'ख'

(हमारी सम संख्यक तारीख के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 5 (v) तथा (vi) के संदर्भ में)

| टिप्पणी | जवाब |
|---|---|
| **1. संपत्ति जो उपयोग में नहीं हैं ।**<br><br>हम उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं जो बेकार, क्षतिग्रस्त और बंद अचल संपत्तियों का सर्वेक्षण पुस्तकों में हिसाब, लेखा परीक्षा की तिथि के आधार पर प्रबंधन द्वारा ऐसी संपत्ति की वसूली योग्य मूल्य के निर्धारण लंबित है [खातों पर देखें नोट्स, अनुसूची 19, धारा 7 (ग)]। | 2009-10 के दौरान कम्पनी ने बड़ी मात्रा में गैर उपयोगी/बेकार/क्षतिग्रस्त अचल परिसम्पत्तियों का निपटाया किया है। शेष संपत्ति का प्राप्य मूल्य के मूल्यांकन के आधार पर जो इस संपत्ति का प्रावधान रखा गया है वह पर्याप्त माना जाता है। |
| **2. विविध देनदार**<br><br>i. बिलों के साथ तदर्थ प्राप्तियों का समुचित योजक किया तथा कुछ पुराने देनदारों के समुचित रिकार्ड के अभाव में संदिग्ध ऋणों के परिमाणन एवं प्रावधान की प्रर्याप्रता पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं । | कृप्या देखें लेखे पर टिप्पणियाँ 3(ए) जो तुलनपत्र और लाभ-हानी लेखा का अंतरभाग हैं।<br>कम्पनी विविध देनदारों का प्रतिवर्ष सिलसिलेवार विस्तृत विश्लेषण रखी है । तीन साल से अधिक के लिए बकाया विविध देनदार प्रबंधन द्वारा आवधिक जांच के दायरे में हैं। प्राप्य राशि को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें से ज्यादातर पीएसयू/सरकारी संगठन के पास है और ये सब अच्छे संस्थान माने जाते हैं। इस लिए इसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरुरत महसूस नही की गई है। |
| ii. विविध देनदारों में ₹6796.00 लाख मूल्य के दावे लम्बे अरसे से बकाया शामिल है । हमारी राय में लेखे में किए गये ₹5094.50 लाख के प्रावधान के स्थामन पर कम्पनी को पूरी राशि का प्रावधान करना चाहिए था। तदनुसार वर्ष की हानी ₹1701.50 है।<br>देखें लेखाओं पर टिप्पणी के टिप्पणी संख्या 3 (बी) | विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार इस्पात मंत्रालय, की अध्यक्षता के अधीन विवाद निपटारा कमिटी द्वारा निर्धारित फर्मूला के अनुसार एच.एस.सी.एल. ने दावे तैयार कर संबंधित इस्पात संयंत्रों को प्रस्तुत कर उसकी प्रति इस्पात मंत्रालय को भेज दी गई है।<br>दीर्घ काल से लंबित मांग के मामले को निपटारे के लिए एच.एस.सी.एल. ने प्रयास जारी रखी है । लेकिन इसमें सफलता की क्षीणता को देखते हुए मामले को समाधान के लिए मंत्रालय को भेज दी गई है। विषय को अब उच्चत्तम स्तर पर उठायी जा रही है और इसमें जल्द ही कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। |

| | |
|---|---|
| **3. अन्य टिप्पणीयाँ** | |
| i. ऐसे दावे जो कर्ज के रूप में स्वीकृत नहीं है उन्हें आकस्मिक दायिताओं के अनतर्गत दिखलाया गया है उसमें ₹199.69 लाख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर ₹2940.79 लाख एवं भविष्य निधि ₹1751.92 लाख शामिल है, जो समुचित अपील प्राधिकारी के समक्ष विवादित है। संबंधित प्राधिकारीयों का निर्णय लंबित रहने तक उपरोक्त देनदारियों पर दायिताओं यदि कोई हो एवं वर्ष के लेखे पर उसके परिणामिक प्रभाव पर हम टिप्पणी करने में हम असमर्थ रहें। | अंतिम मूल्यांकन लंबित रहने के कारण ग्राहकों से वसूले गये बिक्री कर का समायोजन नहीं किया गया है। ऐसी मांगों को आकस्मिक दायिताओं में मान लिया गया है जो या तो अपील के रूप में प्रस्तुत या अपील की प्रक्रिया में है। |
| ii. अग्रिम, जमा, राशियों, देनदारों और लेनदारों के लिए वर्षांत शेष सम्बन्धित पक्षों से पुष्टि मिलने के अधीन है। | जिनका रकम बकाया या देय है उन सभी पार्टियों से संतुलन पुष्टि करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। |
| iii. निर्माण कम्पनियों पर सेवा कर की शुरूआत के समय में कम्पनी की कई इकाईयों में कानून के अनुसार सेवा कर नहीं लगाया/एकत्रित किया गया है। फलस्वरूप कर सेवा देयताओं के गैर प्रावधान एवं सेवा कर के गैर भुगतान के लिए ब्याज/जुर्माना एवं रिटर्न के जमा न कर पाने की स्थिती में खाते में उनका उल्लेख नहीं किया जा सका।<br>कई वर्षों से खातों में पड़ी विभिन्न ठेकेदारों की देयतायें के समायोजन के अभाव में हम राय बनाने में असमर्थ रहे हैं कि इनमें वसूली की कितनी योग्यता है। | जहां जहां सेवा कर लागू है वहाँ ग्राहकों को इसका भुगतान करने के लिए बिल भेजा जा रहा है और प्राप्ति पर सर्विस टैक्स प्राधिकारी को दिया जा रहा है। कुछ अवस्था में जहां ग्राहक से सेवा कर अभी तक नहीं मिला है ऐसी स्थितीयों में उप ठेकेदारों से इस बावज पर्याप्त राशी कम्पनी द्वारा रोक कर रखी गई है।<br><br>विभिन्न ठेकेदारों की देयतायें समायोजित करने के लिए 2010-11 के दौरान प्रयास किया जाएगा। |
| **4. संयुक्त उद्याम पर घाटा** | |
| i. सन्युक्त उद्यम (एच.एस.सी.एल. – एस.आई.पी.एल) पर वर्ष 2009-10 के लिए अकेक्षणित् लेखा के अभाव में ₹6.94 लाख खाते में और ₹821.82 लाख का नुकसान संचित यथा उपबंधित घाटे का सत्यापित नहीं किया जा सका। [खातों पर देखें नोट्स, अनुसूची 19, धारा 7 (ग)]। | नोट किया गया। |
| ii. एच.एस.सी.एल.-एस.आई.पी.एल. द्वारा संयुक्त उद्यम के परियोजना के तहत किए गए ठेके को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रद्द करने की दिशा में बैंक गारंटी के आवाहन के कारण अग्रिम ₹ 799.89 लाख शामिल हैं। हमारी राय में राशि की | एच.एस.सी.एल. द्वारा एक आवेदन भरा गया है और उसमें पारित ₹799.89 लाख की राशि आदेश के संदर्भ में एक अलग खाते में रखा गया है। इस बीच देखें आदेश, दिनांक 17-09-2010 को अदालत ने न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), पंच के रूप |

| | |
|---|---|
| वसूली संदिग्ध प्रतीत होती है जिसके लिए 2009-2010 के खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। | में पार्टियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए नियुक्त किए गये। |
| 5. भौतिक जाँच की विस्तृत सूची कुछ इकाइयों में संचालित नहीं की गई है। विसंगति, यदि कोई हो और उन इकाइयों में साल के घाटे में इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है। | वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान सभी इकाइयों की भौतिक जाँच की विस्तृत सूची जहाँ भी उपलब्ध हैं सत्यापित कर ली जाएगी। |
| 6. नई दिल्ली इकाई की खातों में ठेकेदारों को ₹325.81 लाख अग्रिम हैं जो एक लंबे समय से बकाया हैं और हमारी राय में राशि की वसूली संदिग्ध प्रतीत होती है जिसके लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। | **क)** मैसर्स राकेश मोहन और नोएडा को साझी बनाकर एच.एस.सी.एल. ने मैसर्स आईएनजी वैश्य बैंक के खिलाफ मैसर्स राकेश मोहन से अपनी अग्रिम शेष राशि की पुन:प्राप्ति के लिए एक मुकदमा दायर किया है ।<br>**ख)** एच.एस.सी.एल. ने मैसर्स बाबा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड से भुगतान की गई अग्रिम राशि की प्राप्ति के लिए के भी मुकदमा दायर किया है।<br>यह भी उल्लेख किया जाता है कि बाबा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स राकेश मोहन को जो अग्रिम राशि मुगतान की गई थी उसके लिए "आकस्मिक देयता" प्रावधान किया गया है। |
| 7. ₹2303.05 लाख के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो खातों में ब्याज सब्सिडी के रूप में सावधि ऋण पर भारत सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्य है और सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है उसे खातों में एक लंबी अवधि से बकाया पड़ी प्राप्य के रूप में दिखाया गया है। फलस्वरूप वर्ष के लिए कम्पनी को ₹2303.05 लाख नुकसान से महत्व नहीं है और मौजूदा परिसंपत्तियां एक समान राशि से अतिरंजित है। | ₹2303.05 लाख की कुल नकद सम्मिश्रण राशि भारत सरकार द्वारा संशोधित पुनर्गठन बीआरपीएसई को अग्रेषीत प्रस्ताव में है जिसे स्वीकार कर लिया गया है और भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अंतिम चरण में है। |
| 8. दंड ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य लागत और शुल्क, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा 31-03-2009 तक ₹3124.82 लाख की राशि को कम्पनी द्वारा खातों में लिया गया है और उसे ब्याज के रूप में भारत सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति “ऋण प्राप्य पर अर्जित सब्सिडी" दिखाया गया है। भारत सरकार की ओर से पुष्टि के अभाव में, हमें उक्त राशि ₹3124.82 लाख की मिलने की क्षमता और कम्पनी के खातों पर यदि कोई हो, उसी का परिणामी प्रभाव के रूप में राय बनाने में असमर्थ हैं। | आईसीआईसीआई बैंक की अवधि ऋण भारत सरकार की गारंटी के द्वारा समर्थित है जिसमें ऋण की राशि के साथ उसका ब्याज भी शामिल किया गया है। |
| 9. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा "राजस्व मान्यता" पर अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप भिलाई इकाई पर अनुबंध प्राप्तियों और | नोट किया गया। |

| | |
|---|---|
| अनुबंध के लिए देयता भुगतान क्रमशः ₹1715.70 लाख और ₹1380.45 लाख द्वारा अतिरंजित है। इसलिये, वर्ष के लिए कम्पनी का नुकसान ₹335.25 लाख है।<br><br>ऊपर संशोधित सभी इकाइयों में लेखांकन नीति के अनुपालन की पुष्टि के अभाव में, हमें इस संबंध में सभी इकाइयों में लेखा की एकरूपता पर हमारी राय व्यक्त करने में असमर्थ है और यह भी इसके परिणामी प्रभाव, यदि वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी की कोई वित्तीय परिणामों पर हैं।<br><br>[देखें लेखाओं पर टिप्पणी के टिप्पणी संख्या 6.1] | |
| **10. चलित उपक्रम विचार**<br>वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी को ₹5169.47 लाख की नकद हानि और ₹5459.38 लाख की शुद्ध हानि का सामना करना पड़ा है। कम्पनी निरंतर पिछले तीन साल से नुकसान का व्यय कर रही है और शुद्ध हानि ₹142291.18 लाख 31.03.2010 तक खातों मे लिया गया है जो शेयरधारक कोष की तुलना ₹11711.18 लाख है। इससे कम्पनी के शुद्ध मूल्य के अपरदन का पता चलता है।<br>कम्पनी द्वारा आख्यान विवरण को ध्यान में रखते हुए लेखा की टिप्पणी के पैरा 1 (च), में कम्पनी द्वारा अपनाई गई "चलित उपक्रम विचार" वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी पर केवल "वित्तीय पुनर्गठन" निर्भर किया जा रहा है जो अगर, भारत सरकार, द्वारा ऐसा नहीं किया तो कम्पनी द्वारा अपनाया गया लेखांकन अवधारणा को क्षिण हो सकता है। | नोट किया गया। |
| 11. '.64.00 लाख की राशि का 50% प्रावधान किया गया है जो ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि, भंडार और सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रदान की गई थी। हमारी राय में, इस मद के लिए पूरा प्रावधान ₹127.06 लाख की राशि का किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों की अतिशयोक्तिपूर्ण कथन और ₹63.06 लाख के प्रावधान की कम बयानी हुई है। | कम्पनी द्वारा ₹64.00 लाख के प्रावधान को पर्याप्त माना गया है जो ठेकेदारों से भंडार और सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूली योग्य राशि के लिए किया गया है। हालांकि, प्रयास किया जा रहा है के ठेकेदारों के देयता के लिए बकाया अग्रिम समायोजित किए जायें। |
| **12.** कम्पनी ने पहले ही बिक्री से पहले लाभ का पूर्वानुमान कर अचल परिसम्पत्ति/क्षतिग्रस्त/बेकार, ऑफ-कट, स्क्रैप और कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री (यानी रेलवे माल) के लिए प्रावधान बनाया है। कम्पनी ने 2009-10 के दौरान | कम्पनी अचल परिसम्पत्ति/क्षतिग्रस्त/बेकार, ऑफ-कट के बिक्री से लाभ अर्जित कर रही है। 50% प्रावधान में सम्मिलित करना जायज है। |

| | |
|---|---|
| ₹44.33 लाख की क्षतिग्रस्त अचल संपत्ति के लिए 50% का प्रावधान किया है, ₹15.72 लाख की स्क्रैप/ऑफ-कट के लिए 50% का प्रावधान और ₹0.47 लाख की कार्यस्थल की सामग्री के लिए 50% का प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसम्पत्ति और स्टॉक की अत्युक्तिपूर्ण कथन और ₹44.33 लाख एवं ₹16.19 लाख नुकसान की कम बयानी हुई है। | |
| **13.** 2008-09 में ₹65.94 लाख के मशीनरी पुर्जो पर मूल्यह्रास 11.31% की दर से मूल्य लगाया गया था। 2009-10 में एचएससीएल, बी.एस. सिटी के सीटीएम iv द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर उपकरणों की चलने क्षमता को पाँच वर्षों की अवधी मान कर ह्रास किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ह्रास में ₹5.07 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जर्नल प्रविष्टि से गुजरते हुए गणना में त्रुटि हुई है जिसके कारण ह्रास जो फिर से सम्मिलित किया गया है उससे ₹0.90 लाख कम हो गया है। इसके अलावा जर्नल प्रविष्टि से गुजरते हुए गणना में त्रुटि हुई है जिसके कारण ह्रास जो फिर से सम्मिलित किया गया है उससे ₹0.90 लाख कम हो गया है। इसलिए ह्रास ₹4.17 लाख से बढ़ाया गया है जिसके फलस्वरूप नुकसान में ₹4.17 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है और अचल परिसम्पत्ति की उतने ही रुप्यों से कम बयानी हुई है। | ₹0.90 लाख का मूल्यह्रास की गणना में त्रुटि के लिए आवश्यक सुधार 2010-11 के दौरान किया जाएगा। |
| **14.** हम आगे यह टिप्पणी करते है कि चुंकि उपरोक्त पैराग्राफ 1, 2(i).3(i), 3(ii), 3(iii), 3(iv), 4(i), 5 और 8 के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका, वर्ष की हानि पर परिणामिक प्रभाव को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। यदि हमारे द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ 2(ii),4(ii) ,6,7,9,10,12 और 13 में किये गये टिप्पणी पर ध्यान दिया गया होता तो पूर्वावधि समायोजन, छुटकर खर्चो को बट्टे खाते डालना आस्थगित कर के किए प्रावधान और फ्रिज लाभ कर आदि के पश्चात् वर्ष के लिए हानि ₹11044.29 लाख होता न कि ₹5459.38 लाख जैसा कि लाभ और हानि लेखा में घाटे को दर्शाया गया है। इसलिए तुलनपत्र में लाभ हानी के नामे पक्ष का अतिशेष ₹147876.09 लाख की तुलना में ₹142291.18 लाख होता, अनुसूची 6 में उल्लिखित राशि ₹27748.60 लाख की तुलना में विविध देनदारों की राशि | नोट किया गया। |

| | |
|---|---|
| ₹31165.80 लाख की होती, अनुसूची 6 में ऋण और अग्रिम ₹22,100.28 लाख के बदले ₹25.592.09 लाख हो गया है, अनुसूची 7 में मौजूदा देनदारियों ₹57.146.67 लाख के बजाय ₹58.527.12 लाख हो गया है, अनुसूची 8 में निर्माण अनुबंध से होने वाली आय ₹76,801.08 लाख की बजाय ₹78516.78 लाख हो गया है, उप ठेकेदार को देय राशि ₹67.283.33 लाख के बजाय ₹68,663.78 लाख हो गया है, अचल परिसम्पत्ति ₹2853.73 लाख के बजाय ₹2893.89 लाख और स्टॉक ₹571.48 लाख के बजाय ₹587.67 लाख हो गया है। | |

| कृते – एस. एन. मुखर्जी एण्ड कं | कृते - एस.के.भट्टाचार्या एण्ड कं | निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से |
|---|---|---|
| चार्टर्ड लेखापाल | चार्टर्ड लेखापाल | |
| फर्म पंजीकरण सं.301079 ई | फर्म पंजीकरण सं.307047 ई | |
| ह/- | ह/- | ह/- |
| सपन कु. हलदर | बिकाश सेनगुप्ता | (मलय चटर्जी) |
| साझेदार | साझेदार | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं.:58186 | सदस्यता सं.:7593 | |

## हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

<u>टिप्पणियाँ</u> <u>कम्पनी के उत्तर</u>

**कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए खाते पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड की 31 मार्च 2010 की समाप्त वर्ष के लिए तैयार की गई वितीय विवरण, वितीय ढ़ाँचे में विहित कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 619(2) के तहत की गई है जो उनके व्यावसायिक निकाय दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखापरीक्षा और मानक पर आधारित कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 227 अन्तर्गत इन वितीय विवरणों पर दिए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 17 अगस्त द्वारा यह स्वीकार किया है कि यह उनके द्वारा की गई है।

मैने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के तहत हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड की 31 मार्च 2010 की समाप्त वर्ष के लिए वितीय विवरण का पूरक लेखापरीक्षा संचालित किया है। यह पुरक लेखा परीक्षा संविधिक लेखापरीक्षकों के चालू कागजातों तक पहुँच के वगैर स्वतंत्र रुप से किया गया है और इन मूलतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के अधिकारियों से पूछताछ और कुछ वरणात्मक लेखा रिकार्ड के जांच तक सीमित रखा गया है। मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 और धारा 619 (4) के अंतर्गत जो मेरे ध्यान में आ गए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय वक्तव्यों का एक बेहतर समझ और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं उन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूँगा।

### *ए. लाभदायिकता पर टिप्पणियाँ*

कम्पनी का हानी ₹17.78 करोड़ के कारण कम करके बताया गया

| | |
|---|---|
| i) ₹9.79 करोड़ के गैर प्रावधानीक देनदार के रूप में कम्पनी के दावे को ग्राहक (सेल) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। | कम्पनी के दावे के लिए संयुक्त सुलह व्योरा तैयार किया गया जिसके उपर ग्राहक सेल ने अपनी टिप्पणी दी है। यह किसी भी परिस्थिति में सेल के विचारों को स्वीकृत नहीं माना जा सकता। हमने अपनी बकाया राशि के लिए समोचित स्पष्टिकरण दे दीयें हैं जिसका उल्लेख लेखापरीक्षा ज्ञापन दोनों करारों के लिए किया गया है और जिसका उल्लेख संयुक्त सुलह व्योरा में भी किया गया है। जब मामले का समाधान हो जाएगा तब उसको उचित समायोजन प्रविष्टियों में दर्शाया जाएगा। |
| ii) ₹7.99 करोड़ का गैर प्रावधान जो सेल द्वारा कर्मचारियों को आवंटित आवास किराया, बिजली और पानी शुल्क, अस्पताल प्रभार, आदि के लिए बकाया दावा किया गया है। | संपदा बकाया की समीक्षा के विषय पर कार्यकारी निदेशक (वित्त), सेल, बीएसएल, के निर्देश के अनुपालन में, एच.एस.सी.एल. ने 1992 से मार्च 2007 की अवधि के लिए विस्तार से बिल |

## हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

| टिप्पणियाँ | कम्पनी के उत्तर |
|---|---|
| | सत्यापित किया था। बिलों की छानबीन करने के बाद, यह पाया गया की ऊपर की अवधि के लिए संपदा के बकाया के लिए वास्तविक बकाया ₹2.09 करोड़ है और तदनुसार, खातों की पुस्तकों को समायोजित किया गया। उसी को फिर से जांच करने के लिए बीएसएल से अनुरोध किया गया था, जो उनके द्वारा विचाराधीन है। मंत्रालय के निर्देशानुसार एच.एस.सी.एल. के कर्मचारियों को सेल के कर्मचारियों के समरूप उपरोक्त सुविधाए उपलब्ध होनी हैं के आधार पर बीएसएल ने एक बड़ी राशि वापस की है। हमारे दावे की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में बीएसएल ने हमारे दावे के एवज में क्रेडिट नोट जारी किए हैं। सामंजस्य पूरा हो जाने पर तदनुसार, यदि आवश्यकता होगी तब खातों की पुस्तकों को आगे समायोजित किया जाएगा। |

**भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से**

ह/-
(राकेश मोहन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, राँची
स्थान: राँची
दिनांक: 22.09.2010

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

ह/-
(मलय चटर्जी)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
स्थान: कोलकाता
दिनांक